खण्ड २—अंक ३१

६ अप्रैल, १९५५ (बुधवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha

(Session IX)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली ।

चार आने (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

46 LSD

विषय–सूची

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १९६१, १९६५, १९६६, १९६८ से १९७२, १९७४ से १९७७, १९८० से १९८२, १९८४ से १९८७, १९८९ से १९९२, १९९४, १९९५, १९९७, १९९८, २००० से २००६ और २००८ से २०१० २३२५––७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १९६०, १९६२ से १९६४, १९६७, १९७३, १९७८, १९७९, १९९३, १९९६ और १९९९ २३७०––७७

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०३ से ६१९ २३७७––८८

विषय-सूची

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

(खंड २—अंक २१ से ४० —२३ मार्च से १९ अप्रैल, १९५६)

अंक २१—बुधवार, २३ मार्च, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६७ से १३७३, १३७४, १३७७, १३७९ से १३८१, १३८६, १३८८, से १३९०, १३९२, १३९३, १३९६, १३९७, १३९९, १४००, १४०३, १४०४, १४०६, १४०७, १४०९, १४१३ से १४१५, १४१७, १४१८ और १४२१ . १५८७—१६३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७४, १३७६, १३७८, १३८२ से १३८५, १३८७, १३९१, १३९४, १३९८, १४०१, १४०२, १४०५, १४०८, १४१० से १४१२, १४१६, १४१९ और १४२० १६३०—१६४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६ से ४२३ . . १६४५—१६५०

अंक २२— गुरुवार, २४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४२२—१४३५, १४३८, १४४१, १४४२, १४४४, १४४६, १४४८, १४५०, १४५३, १४६४, १४६७, १४६८, १४७०, १४७१ . . . . १६५१—१६९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४३६, १४३७, १४३९, १४४०, १४४३, १४४५, १४४७, १४४९, १४५१, १४५२, १३६४, १४६६, १४७२–१४७७ १६९९—१७१०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२४ से ४२७ . . . १७१०—१७१४

अंक २३ — शुक्रवार, २५ मार्च १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४७८, १४७९, १४८०, १४८१, १४८३ से १४८५, १४८७, १४८८, १४९० से १४९२, १४९४, १४९६, १४९८, १४९९, १५०१, १५०४, १५०७, १५०८, १५१० से १५१३, १५१५ से १५१७, १५२१ से १५२३, १५२५, १५२७, १५३०, १५३१, १५३३ और १५३५ . . . १७१५—१७६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८२, १४८६, १४८६, १४६३, १४६५, १४६७, १५००, १५०२, १५०३, १५०५, १५०६, १५०६, १५१४, १५१८ से १५२०, १५२४, १५२६, १५२८, १५२६, १५३४ और १५३६ से १५३८ . . . १७६१—१७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२८ से ४६० १७७४—१८०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८०२

अंक २४—सोमवार, २८ मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३६ से १५४१, १५४३ से १५५०, १५५२, १५५४, १५५५, १५५७ से १५६०, १५६२, १५६४, १५६८, १५६६, १५७१से १५७७, १५७६, १५८०, १५८२, १५८५ से १५८८ . १८०३—१८५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५४२, १५५१, १५५३, १५५६, १५६३, १५६५ से १५६७, १५७०, १५८१, १५८३, १५८४ . . . १८५०—१८५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६१ से ४६८ . . १८५७—१८६२

अंक २५— मंगलवार, २६ मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६, १५६२, १५६४ से १६००, १६०२, १६०७, १६११ से १६१३, १६१५, १६१७, १६१६ से १६२१, १६२४ से १६२८, १६३० से १६३५, १६३८, १६४०, १६४२ से १६४८ और १६५० . . १८६३—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५६३, १६०१, १६०३ से १६०६, १६०८, १६०६, १६१४, १६१८, १६२३, १६२६, १६३६, १६३७ और १६३६ . . . . . १६१५—१६२३

तारांकित प्रश्न संख्या ४६६ से ४८४ १६२३—१६३४

अंक २६—बुधवार, ३० मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५१ से १६५६, १६६४ से १६६६, १६६८, १६७० से १६७४, १६७७, १६७८, १६८०, १६८२, १६८६, १६८६ से १६६५ और १६६७ से १७०५ . . १६३५—१६८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६० से १६६३, १६६७, १६६६, १६७५, १६७६, १६७६, १६८१, १६८३ से १६८५, १६८७, १६८८, १६६६, १७०६ से १७१० और १७१२ से १७२२ . . १६८१—२०००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८५ से ४६० और ४६२ से ५१६ २०००—२०२२

अंक २७—गुरूवार, ३१ मार्च १९५५

प्रश्नो के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२३ से १७२७, १७२९ से १७३४, १७३७, १७३८, १७४२, १७४४, १७४५, १७४७ से १७५२, १७५४, १७५५, १७७०, १७५७ और १७५८ से १७६६ . . २०२३--२०७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७३६, १७३९ से १७४१, १७४३, १७४६, १७५३, १७५६, १७६७ से १९६९ १७७१, और १७७२ . . . . . २०७१--२०७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२० से ५२३, ५२५ और ५२६ . २०७८--२०८२

अंक २८— शनिवार, २ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७७४, १७७८, १७८०, १७८६, १७८९, १७९०, १७९२—१७९४, १७९६, १७९७, १७९९—१८०२, १८०४, १८०६, १८०८, १८०९, १८११, १८१३, १८१४, १८१७, १८१९, १८२१ १८२२—१८२४, १८२६—१८२८, . २०८३--२१३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७९, १७८७, १७८८, १७९५, १७९८, १८०३, १८१०, १८१२, १८१६, १८१८, १८२०, १८२५. १८२९ . . . . . २१३३—२१४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७—५३७. . . २१४१—२१४

अंक २९-- सोमवार, ४ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८३० से १८३२, १८३६, १८३८, १८४० से १८४४, १८४७ से १८४९, १८५१ से १८५३, १८५५, १८५७, १८५९, १८६०, १८६२ से १८६४, १८६६ से १८७०, १८७२, १८७८, १८७९, १८८२ से १८८४, १८८७ से १८८९, १८९१ और १८९२ . . . . . २१४९--२१९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . २२००—२२०४

तारांकित प्रश्न संख्या १८८२ के उत्तर में शद्धि . . . २२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८३३, १८३४, १८३७, १८३९, १८४५, १८४६, १८५०, १८५४, १८५६, १८५८, १८६१, १८६५, १८०१, १८७३ से १८७७, १८८०, १८८१, १८८५, १८८६, १८९० और १८९३ से १८९९ . . . . २२०५—२२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५७५ . . . २२२३—२२५

अंक ३०— मंगलवार, ५ अप्रैल, १९५५

मौखिक उत्तर के प्रश्न —

तारांकित प्रश्न संख्या १९००—१९०४, १९०६, १९०७, १९०९, १९१०, १९१३, १९१६, १९१८, १९२०, १९२१, १९२४—१९२६, १९२८, १९२९, १९३१, १९३५—१९३९, १९४१, १९४२, १९४४—१९५०, १९५३ . . . २२५१—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५, १९०८, १९११, १९१२, १९१७, १९१९, १९२२, १९२३, १९३०, १९३२, १९३३, १९४०, १९४३, १९५१, १९५२, १९५४–१९५९ . . . २२९७—२३०८

अतारांकित प्रश्न सख्या ५७६, ५७७, ५७९—५९४, ५९७—६०२ . २३०८—२३२४

अंक ३१— बुधवार, ६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९६१, १९६५, १९६६, १९६८ से १९७२, १९७४ से १९७७, १९८० से १९८२, १९८४ से १९८७, १९८९ से १९९२, १९९४, १९९५, १९९७, १९९८, २००० से २००६ और २००८ से २०१० . . . . २३२५—२३७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९६०, १९६२ से १९६४, १९६७, १९७३ १९७८, १९७९, १९९३, १९९६ और १९९९ . . . २३७०–२३७७

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०३ से ६१९ . . . . २३७७–२३७८

अंक ३२— बृहस्पतिवार, ७ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०१३, २०१५–२०१७, २०१९, २०२२, २०२३, २०२५, २०२६, २०२८, २०३०, २०३३–२०३५, २०३७, २०३९—२०४२, २०४४, २०४५, २०४७–२०५३, २०५६, २०५९–२०६५, २०६७ . . २३८९—२४३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०११, २०१२, २०१८, २०२०, २०२१, २०२४, २०२७, २०२९, २०३१, २०३२, २०३६, २०३८, २०४३, २०५४, २०५५, २०५७, २०५८, २०६६, २०६८—२०७१. . २४३५—२४४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२०—६५५ . . . . २४४६—२४७०

अंक ३३—शनिवार, ९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७२, २०७४, २०७६, २०७७, २०७९ से २०८१, २०८५, २०९१, २०९२, २०९५, २०९९, २१००, २१०२ से २१०४, २१०६, २१०७, २१०९, १७३५, २०८२, २०९३. २०९४, २०९६, २०९७ और २०९०. . . . . २४७१—२५०५

प्रश्नों के लिखित उत्तेर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७५, २०७८, २०८३, २०८४, २०८६ से २०८९, २०९८, २१०५, २१०८ और २११०. . . २५०५—२५१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५६ से ६८२. . . . २५१२—२५३०

अंक ३४—सोमवार, ११ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१११ से २११४, २११८, २१२०, २१२३, २१२५, २१२९, २१३०, २१३२, २१३३ से २१३५, २१३८, २१३९, २१३९—क, २१४०, २१४१, २१४३ से २१५९ . . २५३१—२५७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९८३, १९८८, २००७, २११५ से २११७, २११९, २१२१, २१२२, २१२४, २१२६, २१२८, २१३१, २१३६, २१३७, २१४२. . . . . २५७९—२५८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८५ से ७१६. . . . २५८९—२६१०

अंक ३५—मंगलवार, १२ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१६० से २१६३, २१६५, २१६६, २१६८, २१६९, २१७१, २१७४, २१८० से २१८४, २१८६, २१८७, २१८९, २१९२ से २१९४, २१९६, २१९८, २२०० से २२०२, २१७६, २१७८, २१६७ और २१९०. . . २६११—५०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७— . . . २६५०—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१६४, २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७७, २१७९, २१८५, २१८८, २१९५, २१९७, २१९९ और २२०३ . . . . . २६५३—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१७ से ७७८ . . . . २६५९—९६

अंक ३६—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२०४ से २२०८, २२१० से २२१५, २२१९, २२२१, २२२३ से २२२९ और २२३४ से २२४३ २६९७—२७३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२०९, २२१६ से २२१८, २२२०, २२२२, २२३० और २२३२ . . २७३५—४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ८०७ . . . . २७४०—५८

अंक ३७—शुक्रवार, १५ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४४, २२४८, २२५१, २२५२, २२५६, २२५९, २२७६, २२६१, २२६२, २२६५, २२६६, २२६८, २२७०, २२७१, २२७२ से २२७४, २२७७ से २२७९, २२८१ से २२८४, २२५५, २२५८, २२६३, २२६९, २२५३ और २२८० . . २७५९—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४६, २२४७, २२४९, २२५०, २२५४, २२६०, २२६४, २२६७ और २२७५ . . २७९८—२८०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८१६ और ८१८ से ८२९ . . २८०२—१४

अंक ३८— शनिवार, १६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८६ से २२८८, २२९२, २२९४, २२९६ से २२९८, २३००, २३०२ से २३०४, २३०६, २३१०, २३१३ से २३१५, २३१७, २३१८, २३२१, २३२२ और २२९९ २८१५—४१

तारांकित प्रश्न संख्या २२९२ के उत्तर में शुद्धि २८४१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ २८४१—४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८५, २२८९, २२९० से २२९३, २२९५, २३०१, २३०५, २३०७ से २३०९, २३११, २३१२, २३१६, २३१९, २३२० और २३२३ . २८४७—५४

अतारांकित प्रश्न संख्या ८३० से ८७० . . . . २८५४—७८

अंक ३९—सोमवार, १८ अप्रैल, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २८७९

प्रश्नों के मौत्तिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३२५, २३२७, २३२८, २३३० से २३३९, २३४१, २३४४ से २३४६, २३४९, २३५१, २३५३ से २३५५, २३५७ से २३५९, २३६२ और २३६४ . . .२८७९—२९११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३२४, २३२६, २३२८, २३२९, २३४०, २३४२, २३४७, २३४८, २३५०, २३५२, २३५६, २३६०, २३६१ और २३६३. . . . . २९११—२९१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७२ से ८८५ . . . . २९१७—२९२६

अंक ४०—मंगलवार, १९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३६५ से २३७०, २३७२ से २३७६, २३८० से २३८४, २३८६, २३८८, २३९०, २३९२, २३९३, २३९७ . २९२७—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३७१, २३७७ से २३७९, २३८५, २३९१, २३९४, २३९५, २३९८ . . . . . २९५७—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८६ से ९०१, ९०३ से ९०८ . २९६२—७२

खंड २ की अनुक्रमणिका . . . . . १—१८९

लोक-सभा

बुधवार ६ अप्रैल, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रचार

*१९६१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में प्रचार के लिये कितनी फिल्में बनाई गईं और उन की कितनी प्रतियां मुद्रित की गईं; और

(ख) इसी अवधि में विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को कुल कितने प्रलेखीय चलचित्र तथा उन की प्रतियां (पृथक् पृथक्) वितरित की गईं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) १९५४ में भारत में प्रचार के हेतु ९८ चलचित्रों की २२,७७९ प्रतियां बनाई गईं, इन में ग़ैर-सरकारी निर्माताओं के प्राप्त किये गये आठ प्रलेखीय चलचित्र भी शामिल हैं । इस के अतिरिक्त १९५३ में बनाये गये पांच चलचित्रों की ४८६ प्रतियां चलती फिरती गाड़ियों को दिये जाने के लिये बनाई गईं ।

(ख) विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को १३६ प्रलेखीय चलचित्रों की जिन में ग़ैर-सरकारी निर्माताओं से प्राप्त १३ चलचित्र भी शामिल हैं, २५६१ प्रतियां भेजी गईं । प्रत्येक प्रलेखीय चलचित्र की प्रतियों की संख्या दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३२**]

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं उन देशों के नाम जान सकता हूं कि जिन में ये प्रलेखीय चलचित्र वितरित किये गये हैं ?

डा० केसकर : हम स्वयं उन्हें किसी देश को नहीं भेजते हैं । हम तो वैदेशिक कार्य मंत्रालय को प्रतियां दे देते हैं और उन का यथोचित वितरण करना उस का कार्य है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि ग्राम्य क्षेत्रों में ऐसी फिल्मों का प्रचार करने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं ?

डा० केसकर : ग्राम्य क्षेत्रों में इन प्रलेखीय चलचित्रों को दिखाने का कार्य अभी तो पंचवर्षीय योजना प्रचार एकक संस्थापन केन्द्र द्वारा किया जाता है । साथ ही अधिकांश प्रलेखीय चलचित्र राज्य-सरकारों द्वारा दिखाये जाते हैं क्योंकि हम राज्य सरकारों को समस्त प्रलेखीय चलचित्रों की एक एक प्रति मुफ्त देते हैं । इस के अतिरिक्त, जिन प्रलेखीय चलचित्रों में राज्य सरकारों की रुचि अधिक होती है, उनकी वे अनेक प्रतियां खरीद लेती हैं ।

श्री आर० एस० दोवान : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ग़ैर-सरकारी संस्थाओं से भी इन प्रलेखीय चलचित्रों के प्रदर्शन की

मांग आती है, और यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है ?

डा० केसकर : अनेक संस्थाओं ने और विशेषत: शिक्षा संस्थाओं ने समय समय पर हम से पूछताछ की है; किन्तु मैं समझता हूं कि इस प्रकार की अधिकांश पूछताछ राज्य सरकारों से की गई है हम से नहीं । देश भर की समस्त ग़ैर-सरकारी संस्थाओं को सीधे यहां से प्रलेखीय चलचित्र भेजने का प्रबन्ध करना हमारे लिये बहुत कठिन है ।

श्री केलप्पन : क्या मैं जान सकता हूं कि १९५४ में इन फिल्मों के निर्माण पर कुल कितनी लागत आई थी ?

डा० केसकर : निर्माण की औसत लागत बताने के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

बेकारी

***१९६५. श्री विभूति मिश्र :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल जो बेकारी सर्वेक्षण किये जा रहे हैं, उन के प्रयोजन के लिये क्या सरकार ने बेकारी तथा अर्धबेकारी शब्दों को कोई परिभाषा निर्धारित की है; और

(ख) यदि हां, तो वे परिभाषायें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). यह विषय विचाराधीन है । नौकरी और बेकारी सर्वेक्षण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सांख्यकीय विभाग एक पुस्तिका शीघ्र प्रस्तुत करने की आशा करता है ।

श्री विभूति मिश्र : मैंने पूछा था कि एमप्लायमेंट और अंडरएमप्लायमेंट, इन शब्दों की सरकार ने क्या कोई परिभाषा निर्धारित की है और उन की परिभाषा मैं जानना चाहता हूं ?

श्री हाथी : "अनएमप्लायमेंट" यानी बेकारी, यानी जिस शख़्स के पास जीविका कमाने का कोई साधन न हो, वह साधारण तौर से बेकार गिना जाता है, और "अंडरएमप्लायमेंट" यानी अर्धबेकारी, इस में वे शख़्स आते हैं जिन को कुछ साधन प्राप्त हों, कुछ समय काम मिलता हो और कुछ समय बेकार रहते हों, ऐसे लोगों को साधारण तौर से अंडर-एमप्लायड कहते हैं ।

श्री विभूति मिश्र : इस देश में अनएमप्लायड और अंडर-एमप्लायड लोगों की कितनी तादाद है ?

श्री हाथी : सरकार के पास अभी पूरे देश की संख्या नहीं है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि अर्थशास्त्र के अनुसार, यदि पांच व्यक्तियों के परिवार में एक व्यक्ति कमाता है तो उस परिवार में कोई बेरोज़गारी नहीं हो सकती है ?

श्री हाथी : कोई व्यक्ति सेवायुक्त है या बेरोज़गार यह अनेक बातों पर निर्भर है । उदाहरण के लिये, कुछ स्त्रियां ऐसी हो सकती हैं जिन को काम की ज़रूरत हो परन्तु कुछ परिवारों की महिलायें काम करने नहीं जाना चाहेंगी और केवल सामाजिक कार्य करना चाहेंगी । जो काम करना चाहती हैं और जिन्हें काम नहीं मिलता वे बेकार कही जायेंगी और जो केवल सामाजिक कार्य करना चाहती हैं और केवल गृह-कार्य ही करती हैं और रोज़गार की तलाश नहीं करती हैं उन को बेरोज़गार नहीं समझा जायेगा ।

खेल के सामान का उद्योग

***१९६६. श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९५४ में खेल

के सामान के उद्योग के विकास के लिये कोई विशेष रकम निर्धारित की थी; और

(ख) यदि हां, तो वह निर्धारित रक़म कितनी थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) और (ख). खेल के सामान के उद्योग को आर्थिक सहायता देने की योजनाओं को छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये सामान्यतः राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता का ही भाग समझा जाता है । १९५३–५४ में पश्चिमी बंगाल सरकार को खेल का सामान बनाने के लिये ९८,४५० रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ था । उड़ीसा सरकार को खेल के सामान सहित छोटे उद्योगों की सहकारी संस्थाओं की सहायता के लिये २९,५५१ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ था । इस प्रकार की सहायता राज्य सरकारों से योजनायें प्राप्त होने पर दी जाती हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि पंजाब में खेल के सामान के उद्योग के पुनरारम्भ के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पंजाब सरकार इस विषय पर विशेष ध्यान दे रही है और भारत सरकार ने भी समय समय पर इस उद्योग के विकास की योजनाओं पर विचार करने के लिये इस उद्योग से सम्बद्ध कुछ लोगों की एक अनौपचारिक समिति बनाई है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस उद्योग को कच्चे माल के सम्बन्ध में आत्म निर्भर बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कच्चे माल के संभरण के सम्बन्ध में विलो की लकड़ी ही एक ऐसी वस्तु है जिस के लिये मैं समझता हूं कि कुछ कठिनाई है, और आज जो दशा है उस के अनुसार हमारे लिये आत्मनिर्भर बनना बहुत कठिन है ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि उड़ीसा सरकार द्वारा कौन से खेल के सामान बनाये जा रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

विद्युत परियोजनायें

*१९६८. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री ए० मौंकहाउस द्वारा प्रस्तुत की गई विद्युत् परियोजनाओं सम्बन्धी योजना को अनुमोदित किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायगी ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) श्री मौंकहाउस ने विद्युत् परियोजनाओं के सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण में हवाई अड्डे

*१९६९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार के कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं कि उत्तरपूर्वी सीमा अभिकरण के समस्त प्रशासनिक केन्द्रों पर हवाई अड्डे होने चाहियें;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना में उनके निर्माण में कितनी प्रगति होने की आशा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : (क) से (ग). भूमि के ऊबड़ खाबड़ होने तथा सघन बनों

के कारण भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि इस क्षेत्र में मोटर मार्ग बनाने में बहुत व्यय होगा और इस में कठिनाई भी बहुत होगी, और उस के लिये बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होगी। अतः विकल्प के रूप में वहां विमान यातायात का विकास करने और अभिकरण में सर्वत्र कच्चे रास्ते व पगडंडियां बनाने का निश्चय किया गया है। अन्ततः अधिकांश प्रशासनिक केन्द्रों को वायु मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव है। तीन पृथक् स्थान निर्धारण बोर्ड जिन में वायु सेना के प्रतिनिधि और सेना के इंजीनियर हैं इन हवाई अड्डों के प्रस्तावित स्थानों का पहले से सर्वेक्षण कर रहे हैं। यदि कोई बड़ी प्राकृतिक बाधा उपस्थित न हुई, तो अगले पांच वर्षों में प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केन्द्र पर एक हवाई अड्डा बना देने की आशा की जाती है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उच्च स्तरीय सम्मेलन में दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन संचार योजनाओं पर विचार किया गया था, और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री जे० एन० हज़ारिका : इन पर विचार किया गया था और जैसा मैं ने कहा है, संचार सुविधाओं का विकास करने का निश्चय किया गया।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय कितने ड्रॉपिंग प्वाइंट चालू हैं ?

श्री जे० एन० हज़ारिका : मुझे इस समय की तो उन की संख्या ज्ञात नहीं है। किन्तु १९५४ के अन्त तक ३६ ड्रॉपिंग केन्द्र थे जहां से बीस स्थानों को सामान बांटा जाता था।

श्री एस० सी० सामन्त : इस समय कितने हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जा रहा है।

श्री जे० एन० हज़ारिका : इस समय तो एक भी हेलीकॉप्टर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है; किन्तु दस लाख रुपये की लागत से दो हेलीकॉप्टर खरीदने का एक प्रस्ताव है।

कपड़ा मिलें

*१९७०. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में उत्पादन आरम्भ करने वाली नई कपड़ा मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) नई कपड़ा मिलों के खोले जाने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३३**]

(ख) सरकार की नीति कताई की क्षमता की वृद्धि को प्रोत्साहन देना है और करघों की वर्तमान क्षमता में कोई बढ़ोतरी करने को प्रोत्साहन देना उसकी नीति नहीं है।

श्री इब्राहीम : विवरण से पता चलता है कि आंध्र में केवल एक ही मिल है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वह उस क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : संभव है वह पर्याप्त न हो।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण से पता चलता है कि नौ मिलें चालू की गई हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन से धोतियों और साड़ियों के उत्पादन का कोटा बढ़ गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे माननीय मित्र ने प्रश्न को भली भांति समझा

नहीं है । यदि उन्होंने मूल प्रश्न को पढ़ा होता तो उन को ज्ञात हो गया होता कि कताई मिलों को अनुज्ञप्तियां दी गई थीं और इन मिलों में काते गये सूत के हाथ करघों में काम में लाये जाने से धोतियां और साड़ियां बन सकती हैं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वाणिज्य मंत्री का ध्यान अम्बरनाथ सिल्क एण्ड वुलन मिल्स के बन्द होने तथा तीन वर्ष से कार्य न करने की ओर आकर्षित किया गया है, और इसे पुनः चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि इस प्रश्न का सम्बन्ध कताई मिलों से नहीं है । माननीय प्रश्नकर्ता द्वारा अवश्य ही मेरा ध्यान इस मामले विशेष की ओर आकर्षित किया गया है ।

आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो)

*१९७१. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आल इण्डिया रेडियो में ऐसे अफसरों की संख्या कितनी है जिन का सेवा काल अतिवयस्कता आयु से आगे बढ़ा दिया गया है; और

(ख) उन के अब तक सेवायुक्त रखे जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तीन ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३४**]

मैं यह भी बता दूं कि इस सम्बन्ध में कोई भ्रान्ति नहीं होनी चाहिये कि ये तीनों अफसर छोटे छोटे अफ़सर हैं---एक एकाउन्टेन्ट है, एक डिवीज़नल एकाउन्टेन्ट और एक सीनियर क्लर्क है ।

श्री एम० सोमना : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई अवकाश-प्राप्त व्यक्ति भी नियुक्त किये गये हैं, और यदि हां, तो कितने ?

डा० केसकर : मुझे पता नहीं ।

भाखड़ा बांध

*१९७२. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा बांध पर कितने विद्युत् जनित्रों के लगाये जाने की प्रस्थापना है; और

(ख) उन से कुल कितनी शक्ति के उपलब्ध होने की आशा है?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). भाखड़ा पर कितने एकक होंगे यह प्रश्न अभी विचाराधीन है और इस के सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई निश्चय किये जाने की आशा है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार द्वारा किन्हीं जनित्रों के लिये अभी तक कोई स्वीकृति दी गई है ?

श्री हाथी : वर्तमान प्राक्कलनों के अनुसार, इस समय तो केवल दो बिजलीघर हैं—एक तो नांगल में है और दूसरा भाखड़ा मुख्य बांध पर है । इस समय यही दो बिजली-घर प्रस्तावित हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : जब कि भाखड़ा बांध पर १० जनित्रों का उपबन्ध है, तब अभी केवल दो की ही स्वीकृति दिये जाने के क्या

कारण हैं ? क्या इस शक्ति का कोई उपयोग नहीं है या कोई और कठिनाइयां हैं ?

श्री हाथी : यह तो १९५३ में किये गये भार वहन अनुमान के आधार पर किया गया था ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन जनित्रों की शक्ति समान रहेगी या उन की शक्ति में अन्तर होगा ?

श्री हाथी : नांगल के दो बिजलीघरों में से प्रत्येक की २४,००० किलोवाट तथा भाखड़ा बांध पर ५३,००० किलोवाट शक्ति होगी ।

हिमालय प्रदेश का सर्वेक्षण

*१९७४. **श्री ब्रह्म चौधरी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कटाव को रोकने और बाढ़ों पर नियंत्रण करने की दृष्टि से आसाम से लेकर हिमाचल प्रदेश तक हिमालय प्रदेश का सर्वेक्षण करने का उपक्रम किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भूमि पर विमानों द्वारा और दोनों प्रकार के सर्वेक्षण किये जायेंगे; तथा

(ग) कब सर्वेक्षण आरम्भ होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी बाढ़ नियंत्रण उपक्रमों की प्रगति विषयक विवरण में दी गई है, जो ४ अप्रैल, १९५५ को सभा पटल पर रखा गया था ।

श्री अमजद अली : क्या प्रभारी मंत्री यह बतायेंगे कि हिमालय की तलहटी के प्रदेशों में होने वाली झूम की खेती भूमि के कटाव के लिये किस प्रकार उत्तरदायी है ?

श्री हाथी : यह प्रश्न वास्तव में इस प्रदेश होने वाले सर्वेक्षण से सम्बन्ध रखता है । मैं पूछे गये प्रश्न को समझ नहीं सका हूं । क्या वह इसे दुहराने की कृपा करेंगे.....

अध्यक्ष महोदय : क्या झूम की खेती भूमि के कटावों के लिये उत्तरदायी है ?

श्री हाथी : कई कारणों में यह भी एक कारण है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो सर्वेक्षण का काम किया जायेगा वह केवल राज्य सरकारों द्वारा ही किया जायेगा या केन्द्रीय सरकार भी उस में कोई सहायता देगी ?

श्री हाथी : केन्द्रीय सरकार उस में सहायता देगी ।

श्री अमजद अली : क्या हिमालय की तलहटी के प्रदेश में झूम की खेती को रोकने के लिये कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हाथी : यह विचाराधीन है ।

वैदूर्यमणि

*१९७५. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने १९५३ और १९५४ में वैदूर्य का निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितना और किन किन देशों को; और

(ग) क्या भविष्य में भी इस का निर्यात करने का कोई विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). सरकार का विचार है कि इस सम्बन्ध में जानकारी देना जनहित की दृष्टि से उचित नहीं होगा ।

श्री जी० पी० सिन्हा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम अणुशक्ति का प्रयोग करने जा रहे हैं और उस के लिये

वैदूर्य की आवश्यकता है, क्या भविष्य में इस के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उक्त कारण से मैं कुछ भी बताने में असमर्थ हूं ।

विस्थापित किसानों को प्रतिकर

*१९७६. **श्री यू० एम० त्रिवेदी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के नाम इस प्रकार का कोई पत्र भेजा है कि जिन विस्थापित किसानों के खेत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में विलीन हो जायेंगे उन को प्रतिकर दिया जायगा; और

(ख) क्या भुगतान किसी एकरूप आधार पर किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या दामोदर घाटी योजना का उद्घाटन करते समय स्वर्गीय श्री वल्लभभाई पटेल ने जो वचन दिया था कि वहां के विस्थापित किसानों को भूमि के बदले भूमि और मकान के बदले मकान दिया जायेगा, पूरा किया गया है ?

श्री हाथी : जहां तक दामोदर घाटी निगम का सम्बन्ध है, उस नीति का अनुसरण किया जा रहा है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार को पता है कि बिहार विधान सभा के बहुत से प्रतिनिधियों ने सरकार के पास अभ्यावेदन भेजा है कि उस क्षेत्र में बहुत असंतोष फैला हुआ है क्योंकि किसानों की भूमि ली गयी है ?

श्री हाथी : दामोदर घाटी क्षेत्र में तिलैया बांध के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन आये थे जहां के किसान विस्थापित हुए थे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि बहुत से किसानों को उन की भूमि के बदले भूमि नहीं दी गयी है और दो तीन वर्षों से उन्हें प्रतिकर भी नहीं दिया गया है ?

श्री हाथी : मुझे ठीक पता नहीं है कि कब से प्रतिकर नहीं दिया गया है क्योंकि प्रतिकर का भुगतान भूअधिग्रहण के अधिनियम के अधीन होता है जिस का प्रशासन सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि राजस्थान में गम्भीरी परियोजना के अधीन चित्तौड़गढ़ के समाहर्ता ने बांध के निकटवर्ती तीन गांवों के किसानों से मई के अन्त तक भूमि खाली कर देने के लिये कहा है और अभी तक उन के पुनर्वास या प्रतिकर के भुगतान के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है ?

श्री हाथी : मैं बता चुका हूं कि यह मामला राज्य सरकार का है । इस परियोजना के सम्बन्ध में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

त्रिपुरा में विस्थापितों को ऋण

*१९७७. **श्री बीरेन दत्त :** क्या पुनर्वास मंत्री २९ सितम्बर, १९५४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से त्रिपुरा सरकार और पुनर्वास वित्त प्रशासन के पास विस्थापितों के ऋण के लम्बित प्रार्थना पत्रों को निबटा दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो कितने प्रार्थना-पत्र निपटाने के लिय शेष हैं; और

(ग) कब तक उन्हें निपटाने की आशा है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) अब तक विस्थापितों के त्रिपुरा सरकार के सामने लम्बित २,१४८ ऋण-प्रार्थना पत्रों और पुनर्वास वित्त प्रशासन के पास लम्बित ९ ऋण-प्रार्थना पत्रों का निपटारा किया जा चुका है ।

(ख) अभी त्रिपुरा सरकार के पास १,६७६ प्रार्थना पत्र और पुनर्वास वित्त प्रशासन के पास एक प्रार्थनापत्र निपटाने को शेष हैं ।

(ग) आशा है कि त्रिपुरा सरकार लम्बित प्रार्थना पत्रों को ३१–३–५५ तक निपटा लेगी और पुनर्वास वित्त प्रशासन के पास लम्बित एक प्रार्थना-पत्र २६–४–५५ तक निपटा दिया जायेगा ।

श्री बीरेन दत्त : क्या इन प्रार्थना-पत्रों की छानबीन करने में गौहाटी का कार्यालय विलम्ब कर रहा है ? चूंकि वह कार्यालय अब कलकत्ता भेज दिया गया है अत: गौहाटी या कलकत्ता में से कौन सा कार्यालय अब इस कार्य को करेगा ?

श्री जे० के० भोंसले : मैं प्रश्न नहीं समझ सका हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा भेजे गये कामों के व्यौरों का हिसाब रखने वाला केन्द्रीय सरकार का कौन-सा कार्यालय है ? वह गौहाटी कार्यालय है या कलकत्ता कार्यालय ?

श्री जे० के० भोंसले : उन में से दोनों । उन्हें पश्चिमी बंगाल की सरकार से सम्बन्ध रखना पड़ता है और भारत सरकार का नाम बाद में आता है ।

हिमालय में पर्वतारोहण तथा वैज्ञानिक गवेषणा

*१९८०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधा मंत्री** सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) हिमालय में पर्वतारोहण तथा वैज्ञानिक गवेषणा के लिये इस वर्ष कितने विदेशी दलों ने अनुमति मांगी है;

(ख) वे किन-किन देशों के हैं;

(ग) हिमालय के किस विशेष क्षेत्र में जाने की उन की योजना है; और

(घ) उन को क्या सुविधायें दी जा रही हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (घ). इस का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३५]**

श्री भक्त दर्शन : यह जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया है उस से मालूम होता है कि चार विदेशी दल हिमालय में जाने वाले हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन के साथ कोई भारतीय ऑबज़रवर या लायज़न आफिसर भी भेजने का प्रबन्ध किया गया है ?

श्री सादत अली खां : जी हां, बाज़ दल जो जायेंगे उन के साथ हमारे कुछ अफसर

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या किसी भारतीय दल ने भी हिमालय पर जाने की अपनी इच्छा प्रकट की है और क्या उसे भी कोई सुविधायें दी जा रही हैं ?

श्री सादत अली खां : अभी तक ऐसी कोई दरख्वास्त हमारे पास नहीं आई है ।

श्री भक्त दर्शन : जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया है उस से पता चलता है कि जो चौथी पार्टी है वह उस स्थान पर इसलिये नहीं जा पाई क्योंकि उसे इनर लाइन तक जाने की अनुमति नहीं मिली । क्या गवर्नमेंट अनुभव करती है कि बाहर के आने वालों के रास्ते में इस तरह के प्रतिबन्ध लगने से रुकावट पड़ती है ?

श्री सादत अली खां : हम बाहर के आने वालों को इनर लाइन के बाहर वाले इलाकों में जाने की अनुमति नहीं देते ।

अध्यक्ष महोदय : उन का सवाल है कि क्या इस से कोई रुकावट पड़ती है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट अनुभव करती है कि इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगने से इन दलों द्वारा जो वैज्ञानिक सर्वे होता है उस में किसी तरह की अड़चन पड़ती है या कोई कमी आती है ?

श्री सादत अली खां : जहां तक हमारे सर्वे करने का ताल्लुक है कोई रुकावट का सवाल पैदा नहीं होता ।

बुनाई का सामान

*१९८१. **श्री राम शंकर लाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सुधरे हुए किस्म के बुनाई के सामान के लिये किये गये उस प्रयोग के क्या परिणाम निकले जो टेक्निकल सहयोग प्रशासन के एक सदस्य, श्री एच० सी० फोर्ड द्वारा किया और जिस के लिये सरकार द्वारा ५,००० .ये का एक अनुदान स्वीकृत हुआ था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : श्री एच० सी० फोर्ड द्वारा जोड़े गये करघे पर किये गये परीक्षणों का परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

एकीकृत प्रचार कार्यक्रम

*१९८२. **श्री एम० डी० जोशी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री निम्न जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना के एकीकृत प्रचार कार्यक्रम के अधीन विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के लिये कितने सम्पादक नियक्त किये गये हैं;

(ख) राज्यवार उन की संख्या कितनी है;

(ग) उन को किस प्रकार का कार्य सौंपा गया है; और

(घ) प्रत्येक भाषा में अब तक किस सीमा तक कार्य हुआ है, और कितनी प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (घ). मांगी गयी जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३६]** नियुक्तियां राज्यवार नहीं, बल्कि भाषावार की जाती हैं । उन का मुख्य कार्य प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तिकायें तैयार करना तथा अन्य प्रकाशन कराना है ।

श्री एम० डी० जोशी : अभी तक किन किन भाषाओं में कितनी पुस्तिकायें तैयार की जा चुकी हैं ?

डा० केसकर : इस वर्ष लगभग ६२ पुस्तिकायें प्रकाशित की जा चुकी हैं; कुल ३१८ पुस्तिकायें निकालने की आशा है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार प्रादेशिक भाषाओं में समाचार प्रसारण का प्रचार कर रही है, क्या सरकार प्रादेशिक भाषाओं के पृथक् पृथक् समाचार बुलेटिन निकालने जा रही है । जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, वह भारत के प्रेस ट्रस्ट पर निर्भर है । क्या सरकार पृथक् प्रादेशिक प्रसारण का प्रबन्ध करने जा रही है ?

डा० केसकर : इस प्रश्न का सम्बन्ध पंच वर्षीय योजना प्रचार पुस्तिकाओं और उन के सम्पादकों से है । मैं नहीं समझता कि इस में प्रसारण का प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ।

श्री एम० डी० जोशी : क्या इन सम्पादकों को भी समाचारपत्रों के सम्पादकों की भांति ठीक ठीक समाचार प्राप्त करने के लिये बाहर जाने और परियोजनाओं को स्वयं देखने की कोई विशेष सुविधायें दी गयी हैं ।

डा० केसकर : यह सम्पादक समाचार-पत्रों के से सम्पादक नहीं हैं । यह बाहर वालों द्वारा लिखित पुस्तिकाओं का सुधार करते हैं । वह प्रकाशन विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार उन पुस्तिकाओं में हेरफेर करते या उन का समायोजन करते हैं । हम इस बात का ध्यान रखने का प्रयत्न करते हैं कि यह सम्पादक जो पुस्तिकायें लिखते हैं उन्हें अपने कार्य की कल्पना के सम्बन्ध में व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या पंचवर्षीय योजना, स्थानीय विकास निर्माण या सामुदायिक परियोजनाओं या इस प्रकार की किन्हीं अन्य योजनाओं के अधीन ऐसी योजनाओं का कोई प्रकाशन है जिस के अन्तर्गत गांव वालों के लिये प्रसूति और शिशु कल्याण केन्द्र खोले जायें ?

डा० केसकर : मैं ठीक ठीक जानकारी देने में असमर्थ हूं, परन्तु इस प्रकार की एक पुस्तिका के प्रकाशन का आयोजन पंचवर्षीय योजना प्रचार के अन्तर्गत नहीं, केन्द्रीय समाज कल्याण योजना के अन्तर्गत किया गया है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं एक-दो दिन में जानकारी दे सकूंगा ।

नारियल की गिरी और नारियल का तेल

*१९८४. **श्री अच्युतन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार ने अभी हाल में नारियल की गिरी या नारियल के तेल पर निर्यात शुल्क कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक उसे कम किया गया;

(ग) इस कमी का भारत में नारियल की गिरी के आन्तरिक मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) क्या सरकार नारियल की गिरी या नारियल के तेल पर आयात शुल्क बढ़ाने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां । १०/११ मार्च, १९५५ की आधी रात से ।

(ख) नारियल की गिरी के सम्बन्ध में २६० रुपये से २०० रुपये प्रति टन और नारियल के तेल के सम्बन्ध में २०८ रुपये से १३५ रुपये प्रति टन कर दिया गया है ।

(ग) और (घ) अभी तक इस कमी के परिणामस्वरूप नारियल की गिरी या नारियल के तेल के आन्तरिक मूल्य पर कोई अलाभदायक प्रतिक्रिया नहीं हुई है ।

श्री अच्युतन : क्या सरकार को पता नहीं है कि श्रीलंका सरकार द्वारा निर्यात शुल्क की कमी की इस घोषणा के बाद आल्लप्पि में नारियल की गिरी का मूल्य प्रति कैण्डी २५० रुपये से घट कर २३५ रुपये हो गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह कारण और कार्य सम्बन्धी प्रश्न है । माननीय सदस्य का कहना है कि नारियल की गिरी के मूल्य में कमी श्रीलंका सरकार द्वारा निर्यातशुल्क में कमी करने की घोषणा के कारण हुई है । पर मैं देखता हूं कि सत्यता इस के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इस दशा में भी, जब कि शुल्क में कमी हो गयी है, श्रीलंका की नारियल की गिरी और नारियल के तेल के मूल्य त्रावनकोर-कोचीन के नारियल की गिरी और नारियल के तेल के वर्तमान मूल्य की अपेक्षा कहीं अधिक होंगे ।

श्री अच्युतन : इस बात में सरकार को क्या आपत्ति है कि श्रीलंका ने निर्यात शुल्क में जितनी कमी की है, हम उसी अनुपात से आयात शुल्क में वृद्धि कर दें ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार यह बात नहीं स्वीकार करती कि श्रीलंका द्वारा निर्यात शुल्क में कमी हो जाने के कारण कोई विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई हो । मैं बताऊंगा कि मार्च के महीने में कोचीन में नारियल की गिरी का औसत मूल्य क्या था । यह ८५३ रुपये है और श्रीलंका की नारियल की गिरी का मूल्य ९३८ रुपये होगा । इसी प्रकार, तेल के सम्बन्ध में भी मार्च के महीने में औसत मूल्य १,२७० रुपये है और श्रीलंका के तेल का मूल्य, घटे हुए निर्यात शुल्क पर भी, १५४५ रुपये पड़ेगा ।

श्री अच्युतन : क्या सरकार को पता नहीं है कि दो दिन पूर्व त्रावनकोर-कोचीन विधान सभा में एक स्थगन प्रस्ताव रखा गया था और सरकार ने भी कहा था कि वह भी इन चीज़ों के मूल्यों की गिरावट को रोकने के लिये चिन्तित है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने देखा है कि मूल्य में क्रमशः कमी होती गई है । पर मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जहां तक श्रीलंका से आयात किये गये नारियल के तेल के मूल्य और हमारे स्थानीय मूल्य में किसी ठोस अन्तर का प्रश्न है उस का इस बात से कोई भी सम्बन्ध हो कि श्रीलंका सरकार ने निर्यात शुल्क कम कर दिया है ।

कागज़ का उत्पादन

*१९८५. **श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिय कागज़ उत्पादन का क्या लक्ष्य निश्चित किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : कागज़ के उत्पादन के लिये वर्ष १९५५–५६ में कितने नये केन्द्र खोले जायेंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस समय हमारे पास वर्तमान केन्द्रों के ही विस्तार की योजनायें हैं । यह कहना कि इस वर्ष के दौरान कितने केन्द्र उद्योग प्रारम्भ करने के लिये आवेदन-पत्र देंगे, अभी समय से बहुत पहले की बात होगी ।

श्री जी० पी० सिन्हा : घरेलू उत्पादन से हमारे उपयोग की कितनी राशि पूरी होती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पिछले वर्ष हमारा घरेलू उत्पादन १५५ हजार टन के आसपास रहा है । मेरे विचार से १९५३–५४ के दौरान हमारा आयात भी १२० हजार टन के आस पास रहा है । मेरे पास चालू वर्ष के केवल जनवरी तक के आंकड़े हैं, तथा उन के आधार पर यह १२० हजार टन तक होगा । आंकड़ों में वृद्धि होना भी सम्भव है, क्योंकि कागज़ का उपभोग बढ़ रहा है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : ये नये केन्द्र ग़ैर-सरकारी क्षेत्रों में खोले जायेंगे अथवा सरकारी क्षेत्रों में ? क्या कच्ची सामग्री की बहुतायत के कारण छोटा नागपुर में एक नया केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक नये केन्द्रों का सम्बन्ध है, इस प्रश्न का निर्णय, प्रस्तावों के आने पर किया जायेगा । यदि ग़ैर-सरकारी क्षेत्र उत्पादन में वृद्धि नही करते हैं, क्योंकि उत्पादन में पर्याप्त रूप से वृद्धि होनी चाहिये, तो कदाचित् सरकारी क्षेत्र को उसे अपने हाथ में लेना होगा । जैसा कि मध्य प्रदेश में सरकारी तत्वावधान में एक केन्द्र अखबारी कागज़ बनाने का कार्य कर रहा है । जहां तक छोटा नागपुर में कागज़

का केन्द्र स्थापित करने की योजना का सम्बन्ध है, इस मामले पर विचार होना चाहिये ।

हिन्दचीन (अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय)

*१९८६. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **प्रधान मंत्री** १३ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दचीन में अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय का व्यय वहन करने के लिये सामान्य पुञ्ज बना लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो निधि की कुल राशि तथा प्रत्येक सदस्य-देश द्वारा दी गयी राशि क्या है;

(ग) इस प्रयोजन के लिये भारत द्वारा वास्तव में कितनी राशि दी गई है; तथा

(घ) इस हिसाब में भारत द्वारा अग्रेतर कितनी राशि दी जायेगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी, हां । अभी कुछ औपचारिक कार्यवाही की जानी बाकी है ।

(ख) से (घ). सोवियत रूस की सरकार ने ७५,००० डालर की राशि दी है । ब्रिटेन की सरकार ने भी यह सूचना दी है कि इस निधि में दिये जाने के लिये ५०,००० पौंड की व्यवस्था की जा रही है । जेनेवा सम्मेलन के सह-अध्यक्ष से यह प्रार्थना की गई है कि वह जेनेवा सम्मेलन में भाग लेन वाली अन्य शक्तियों से शीघ्र रुपया भेजने की व्यवस्था करें । इस बीच में कनाडा, पोलैंड तथा भारत में से प्रत्येक ने १००,००० डालर तक की धनराशि अग्रिम के रूप में दी है । यह अग्रिम धन लौटाया जा सकता है । तीन अन्तर्राष्ट्रीय आयोगों को दिये गये भारत के राष्ट्रीय शिष्टमण्डल के सदस्यों के वेतन तथा भत्तों से सम्बन्धित व्यय को छोड़ कर भारत सरकार, आयोगों के कार्य की और किसी मद में, व्यय नहीं करेगी ।

श्री के० सी० सोधिया : इस सचिवालय में पोलैंड तथा अन्य भागीदार कितना धन दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : पोलैंड और कनाडा कितना चन्दा दे रहे हैं ?

श्री सादत अली खां : जैसा कि मैंने कहा है, उन में से प्रत्येक एक लाख डालर अग्रिम राशि के रूप में दे चुका है ।

श्री के० के० बसु : इस सामान्य पुञ्ज के सदस्य कौन कौन हैं तथा उन्होंने कितनी राशि देने का वचन दिया है ?

श्री सादत अली खां : जेनेवा शक्तियां ।

श्री के० सी० सोधिया : भारत का अंशदान कितना है ?

श्री सादत अली खां : एक लाख डालर ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह एक लाख डालर अग्रिम धन ज्ञात होता है । किन्तु इस राशि को जो कि वापस मिल सकता है, छोड़ कर भारत द्वारा वास्तव में जो राशि व्यय की जायेगी, यह तो उन्होंने बता दी है; परन्तु कनाडा तथा पोलैंड द्वारा कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

श्री सादत अली खां : स्थिति यह है कि वेतन भत्ते इत्यादि सभी सामान्य व्यय प्रत्येक देश के द्वारा दिये जायेंगे । अन्य व्यय इस समय सामान्य पुञ्ज से दिया जाता है ।

एबोनाइट (कचकड़ा) के ब्लॉक बनाने का संयंत्र

*१९८७. **श्री वोडयार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एबोनाइट (कचकड़ा) ब्लाक बनाने का यंत्र स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वह कब से चालू होगा; और

(ग) यह संयंत्र कहां से आयात किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष १९५५–५६ के दौरान चालू होगा ।

(ग) ब्रिटेन अथवा युरोप से, यह उन टेंडरों पर निर्भर है जो कि प्राप्त एवं स्वीकृत होंगे ।

श्री वोडयार : प्रस्तावित संयंत्र का अनूमित मुल्य क्या है ?

डा० केसकर : संयंत्र की लागत का अनूमान ८३,००० रुपये है ।

श्री वोडयार : क्या सरकार ने किसी व्यक्ति को संयंत्र के ढांचे का अध्ययन करने के लिये संप्रेषित किया है, तथा क्या उस ने अध्ययन कर के अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

डा० केसकर : यह बहुत बड़ा और पेचीदा संयंत्र नहीं होता है । ऐसे संयंत्रों का कार्य देश के सभी बड़े प्रैसों को ज्ञात है, इसलिये मैं किसी विशेष व्यक्ति को उस का अध्ययन करने के लिये भेजने की आवश्यकता नहीं समझता हूं ।

श्री वोडयार : संयंत्र कहां रखा जायेगा?

डा० केसकर : यह संयंत्र सरकारी प्रेस में, जो कि पुरानी दिल्ली का संयुक्त प्रेस है, रखा जायेगा ।

बेकारी

*१९८९. **कुमारी एनी मैस्करीन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा बेकारी की समस्या के सम्बन्ध में पूछ ताछ एवं जांच करने में कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितने कमचारी नियुक्त किये गये; और

(ग) इस योजना को तैयार करने में कितना समय लगा तथा इस सम्बन्ध में किस प्रकार का कार्य हुआ ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) ५६,८७० रुपये ।

(ख) (१) भारतीय सांख्यकी संस्था को सौंपे गये सर्वेक्षण का कार्य, संस्था के कर्मचारियों ने, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के कर्मचारियों की सहायता से, अपने अवकाश के समय किया ।

(२) त्रावनकोर-कोचीन सर्वेक्षण पर विभिन्न वर्गों के १६५ जन-मास लगे ।

(ग) (१) लगभग ६ से १८ महीने ।

(२) सर्वेक्षण का रूपांकन, सूचना एकत्र करना, उस का सारिणीकरण करना तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।

कुमारी एनी मैस्करीन: क्या सरकार को यह पता है कि योजना आयोग पूछताछ प्रतिवेदन की कंडिका ११ में की गयी सिफारिशों में, त्रावनकोर-कोचीन राज्य की बेकारी के सम्बन्ध में कोई जांच एवं पूछताछ नहीं हुई मालूम देती ?

श्री हाथी : मेरे विचार से सर्वेक्षण-कार्य में इस पर विचार किया गया है ।

कुमारी एनी मैस्करीन : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि योजना आयोग के जांच प्रतिवेदन में सांख्यकी प्राप्त करने के राज्यों अथवा स्रोतों के नाम, जिन से कि पुस्तक के अधिकांश पृष्ठ भरे हुए हैं नहीं दिये गये हैं ?

श्री हाथी : यदि माननीय सदस्या योजना आयोग के प्रगति प्रतिवेदन के पृष्ट २९२ को देखें तो उन्हें यह जानकारी प्राप्त हो जायेगी ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सब को काम मिलना ही द्वितीय पंच वर्षीय योजना का लक्ष्य है, क्या सरकार द्वितीय पंच वर्षीय योजना का अन्तिम रूप से निर्णय करने के पूर्व बेकारी का एक व्यापक सर्वेक्षण करने का विचार कर रही है ?

श्री हाथी : योजना आयोग ने एक नमूना सर्वेक्षण किया है । इस सर्वेक्षण के परिणामों के पश्चात् इस योजना पर विचार किया जा सकेगा ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार के पास यह सर्वेक्षण करने की कोई प्रणाली है कि किस सीमा तक विशेष निधियों के विनियोग से उत्पन्न नौकरी दिलाने की क्षमता का उपयोग, नये स्थानों एवं नौकरियों के निर्माण में किया जाता है ?

श्री हाथी : में प्रश्न नहीं समझ सका हूं ।

श्री के० के० बसु : विशेष तथा अन्य निधियों से उत्पन्न काम देने की क्षमता ने वास्तव में किस सीमा तक बेकारी की समस्या को हल करने में सहायता दी है ?

श्री हाथी : हमें अभी, अपने द्वारा किये गये पांच सर्वेक्षणों के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं ।

श्रीलंका नागरिकता अधिनियम

*१९९०. **श्री कासलीवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका की सरकार श्रीलंका नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने का विचार कर रही है; और

(ख) क्या प्रस्तावित संशोधनों से, उन भारतीयों पर, जिन्हें श्रीलंका की नागरिकता प्राप्त हो चुकी है, हानिकर प्रभाव पड़ेगा ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी, हां । प्रतिनिधि-सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव) द्वारा १८ मार्च, १९५५ को, श्रीलंका नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने वाला एक विधेयक पारित किया गया है । उस पर सीनेट द्वारा विचार होना बाकी है ।

(ख) प्रस्तावित संशोधनों पर, यह निश्चित करने के लिये विचार किया जा रहा है कि इस से श्रीलंका के उन भारतीय उद्भव के लोगों पर, जिन्हें श्रीलंका की नागरिकता मंजूर हो चुकी है, किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है ।

श्री कासलीवाल : क्या इस संशोधन अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कार्यकारिका को उन भारतीय नागरिकों के आवेदन-पत्रों का निरसन करने का भी अधिकार है जिन्हें श्रीलंका के उच्चतम न्यायालय से स्वीकृति एवं समर्थन प्राप्त हो चुका है ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के द्वारा मंत्री को विदेशी उद्भव के व्यक्तियों को स्वीकृत, नागरिकता के अधिकारों को रद्द करने का अधिकार है ।

श्री कासलीवाल : वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव ने श्रीलंका की प्रतिनिधि सभा में इस विधेयक पर विचार प्रारम्भ करते हुए कहा कि इस विधेयक के लिये भारत सरकार की सहमति प्राप्त हो चुकी है । यह कहां तक सही है ?

श्री अनिल के० चन्दा : नहीं । भारत सरकार से परामर्श नहीं किया गया ।

श्री कासलीवाल : यदि हां, तो क्या भारत सरकार हमारे उच्चायुक्त को, लंका की सरकार के साथ इस मामले पर परामर्श करने और यह कहने का निर्देश करेगी कि यह बात सही नहीं है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मेरे विचार से सभासचिव के सम्बन्ध में समाचारपत्रों में यथार्थ संवाद प्रकाशित नहीं हुआ है ।

श्री केलप्पन : क्या यह प्रस्तावित संशोधन दोनों सरकारों के बीच हुए समझौते के प्रतिकूल नहीं है ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह दूसरा मामला है, मेरे विचार से माननीय सदस्य श्रीलंका की संसद् के समक्ष प्रस्तुत १९४८ के आप्रवासी एवं प्रव्रजक अधिनियम से सम्बन्धित संशोधन के सम्बन्ध में सोच रहे हैं ।

श्री टी० के० चौधरी : माननीय मंत्री यह बात किस आधार पर कह रहे हैं कि श्रीलंका सरकार के सभा-सचिव के सम्बन्ध में भ्रांति हुई है अथवा इस बात का यथार्थ संवाद प्रकाशित नहीं हुआ है ।

श्री अनिल के० चन्दा : श्रीमान्, हमें यह जानकारी श्रीलंका से प्राप्त हुई है ।

भाखड़ा नंगल पर स्मारक

*१९९१. **श्री जेठा लाल जोशी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन सहस्रों इंजीनियरों एवं श्रमिकों की स्मृति में जिन्होंने इस विशाल बांध को बनाने में सहायता की है, भाखड़ा-नंगल पर एक स्मारक बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : अपेक्षित जानकारी पंजाब से एकत्र की जा रही है, तथा यथासम्भव शीघ्रता से पटल पर रखी जायेगी ।

श्री जेठा लाल जोशी : क्या केन्द्रीय सरकार पंजाब सरकार को इन इंजीनियरों तथा श्रमिकों के परिश्रम, कुशलता तथा कर्त्तव्य निष्ठा के प्रतीक के रूप में एक स्मारक निर्मित करने का परामर्श देगी ?

श्री हाथी : मैं स्वीकार करता हूं कि यह एक अच्छा सुझाव है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि. . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले प्रश्न को लेंगे ।

विदेशी विशेषज्ञ

*१९९२. **श्री आर० पी० गर्ग** : क्या **उत्पादन** मंत्री निम्नलिखित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय, सिन्दरी उर्वरक कारखाने तथा हिन्दुस्तान केबल्ज़ फैक्टरी में कितने विदेशी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं;

(ख) देश वार उन की संख्या कितनी है; तथा

(ग) उन की सेवाओं के निबन्धन और शर्तें क्या हैं ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।**[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३७]**

थाईलैण्ड के प्रधान मंत्री का आगमन

*१९९४. **श्री एन० राचय्या** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थाइलैण्ड के प्रधान मंत्री भारत आयेंगे;

(ख) यदि हां, तो वे भारत कब आयेंगे; तथा

(ग) क्या वे भारत सरकार के निमंत्रण पर यहां पधार रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (ग). थाइलैण्ड के प्रधान मंत्री ने अपनी विश्व-यात्रा में वापसी पर दिल्ली से गुज़रने की इच्छा प्रकट की थी ।

यह सूचना प्राप्त होते ही हम ने उन्हें सरकार के अतिथि के रूप में भारत पधारने का निमंत्रण दिया । परन्तु जब ऐसा मालूम हुआ कि जिस तिथि को थाइलैण्ड के प्रधान मंत्री भारत पधारेंगे, उस दिन हमारे प्रधान मंत्री भारत से बाहिर होंगे, तो थाइलैण्ड के प्रधान मंत्री ने उस दिन दिल्ली आने का विचार छोड़ दिया । तो भी संभवतः वे वापिस जाते समय कलकत्ते होते हुए जायेंगे ।

श्री एन० राचय्या : उन का भारत पधारने का उद्देश्य क्या है ?

श्री सादत अली खां : मित्रता ।

महानदी परियोजना

*१९९५. **श्री संगण्णा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री महानदी परियोजना पर होने वाले खर्चे के नियत किये जाने से सम्बद्ध तारांकित प्रश्न संख्या ४३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अभी तक इस के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : नहीं, श्रीमान् । इस मामले पर मंत्रालयों तथा अन्य प्रकार के सम्बन्धित प्राधिकारियों से परामर्श किया जा रहा है और अभी यह विचाराधीन है ।

श्री संगण्णा : क्या लोक लेखा समिति के उन सदस्यों ने जिन्होंने अभी हाल ही में हीराकुड बांध का दौरा किया था, इस सम्बन्ध में कोई प्रत्यक्ष अध्ययन किया है ?

श्री हाथी : यह तो केवल हिसाब करने का ही प्रश्न है ।

श्री रंगधर दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस के सम्बन्ध में चम्फेकर समिति ने लगभग १८ मास पूर्व ही और लोक लेखा समिति ने लगभग १० मास पूर्व ही अपने प्रतिवेदन भेज दिये थे, क्या कारण है कि इस का निर्णय करने में इतनी देर लग रही है ?

श्री हाथी : वास्तव में, यह प्रश्न लोक लेखा समिति और चम्फेकर समिति की सिफ़ारिशों से ही उत्पन्न हुआ था । उसी समय से एक समिति नियुक्त की गयी, और मंत्रालयों के मध्य कई बैठकें भी हुई हैं । उन की अंतिम बैठक नवम्बर, १९५४ में हुई थी । वे लेखे का निरीक्षण कर रहे हैं, और इस बात का निर्णय करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रत्येक मंत्रालय के हिसाब में किस प्रकार से धन जमा किया जा सके ।

सिक्किम का आर्थिक विकास

*१९९७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने सिक्किम की सरकार को वहां के आर्थिक विकास के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये, अपने पदाधिकारी वहां भेजे हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो उन्होंने वहां किस प्रकार का परामर्श दिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) तथा (ख). जी, हां; सिक्किम दरबार की प्रार्थना पर भारत सरकार ने राज्य सरकार को परामर्श देने के लिये समय-समय पर अनेकों शिल्पिक पदाधिकारियों को भेजा है । उन्होंने वहां पर (१) स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सम्बन्धी उन्नति, (२) उद्यानविद्या तथा आलू विकास, (३) वनस्पति विज्ञान सम्बन्धी गवषणा, (४) जलविद्युत् शक्ति अनुसंधान, और (५) भूतत्वीय-परिमाप के क्षेत्रों में आर्थिक विकास के सम्बन्ध में परामर्श दिये हैं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या अखिल भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्था ने सिक्किम में कोई सर्वेक्षण दल भेजा है, और यदि हां,

तो क्या अभी तक उन का कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

श्री सादत अली खां : जी, हां । अखिल भारतीय स्वास्थ्य तथा लोक स्वास्थ्य संस्था ने १९५३ में एक सर्वेक्षण दल सिक्किम भेजा था, और उस ने जांच करने के उपरान्त एक व्यापक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या कोलम्बो योजना के अधीन सिक्किम को कोई वित्तीय सहायता भी दी गयी है, और यदि हां, तो वह राशि कितनी है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : इस के लिये एक अलग प्रश्न पूछना चाहिये । हमने सिक्किम के विकास के लिये आगामी ६ वर्षों के लिये एक भारी राशि मंजूर की है ।

श्री भक्त दर्शन : अभी बतलाया गया है, कि अगले ६ वर्षों के लिये अनुदान दिया जायेगा वहां के विकास के लिये, मैं जानना चाहता हूं कि इस अनुदान को देने से पहले क्या स्कीम के बारे में पूरी तरह से छानबीन कर ली गई और पूरी तरह से सर्वे कर लिया गया है ?

श्री सादत अली खां : यक़ीनन, छानबीन के बिना कैसे मदद दी जा सकती है ।

दुग्ध चूर्ण का कारखाना

*१९९८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ दिसम्बर, १९५४ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से सरकार ने पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक दुग्ध चूर्ण का कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो वह किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा; और

(ग) ऐसे कारखाने के लिये स्थान चुनने के हेतु किन बातों का होना आवश्यक है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ऐसा समझती है कि इस देश में मिल्क पाउडर की ज़रूरत है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तो अपने अपने मत की बात है । मेरा मत इसके विरुद्ध नहीं ।

श्री विभूति मिश्र : बाहर से सरकार प्रति वर्ष कितना मिल्क पाउडर मंगाती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : १९५३-५४ में विदेशों से १२५० टन शुद्ध दुग्ध चूर्ण और १७,५०० टन मक्खन उतरे हुए दूध का चूर्ण मंगाया गया था ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार ने दुग्ध चूर्ण उत्पादन के क्षेत्र में आगे आने के लिए निजी उत्पादकों को निमंत्रित किया है, और क्या इसके सम्बन्ध में सरकार को कोई व्यापक योजना प्राप्त हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां, श्रीमान् । हमने कुछ एक निजी उत्पादकों से कई योजनाओं के विषय में विचार-विमर्श किया है, इस समय सरकार के सम्मुख दो योजनाएं हैं । एक तो कैरा जिला दुग्ध सहकारी संस्था के द्वारा भेजी गयी है जिसमें ऐसा कहा गया है कि दुग्ध चूर्ण का उत्पादन किया जाए और इसे बम्बई सरकार की ओर दुग्ध योजना के साथ ही समन्वित कर दिया जाए । दूसरी योजना मद्रास के एक सार्थ से प्राप्त हुई है, परन्तु इसके सम्बन्ध में उनकी ओर से और कोई पत्र नहीं आया है । एक और तीसरी योजना हार्लिक माल्टिड मिल्क वालों की

ओर से प्राप्त हुई थी । उन लोगों ने भारत पधार कर यहां की स्थिति का सर्वेक्षण किया है । प्रतीत ऐसा होता है कि उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि अपनी योजना को चालू करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा ।

बिनौले का तेल

*२०००. **श्री इब्राहीम** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय, देश में प्रति वर्ष उत्पादित बिनौलों में से कितने प्रतिशत बिनौले तेल-उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं ; तथा

(ख) राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पूना ने बिनौले के अशोधित (कच्चे) तेल को शोधित करने के लिए जिस प्रक्रिया की खोज की थी, क्या किसी कारखाने ने उस प्रक्रिया का उपयोग किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) लगभग पांच प्रतिशत ।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं ।

लाहौर अस्थायी शिविर

*२००१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाहौर अस्थायी शिविर में १० फरवरी, १९५५ को, अभी तक ऐसे कितने विस्थापित व्यक्ति विद्यमान थे, जो कि अपने देश को भेजे जाने की प्रतीक्षा में थे ; तथा

(ख) दिसम्बर, १९५४ तथा जनवरी, १९५५ में कितने विस्थापित व्यक्तियों को अपने देश को भेजा गया ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) १६८ ।

(ख) दिसम्बर, १९५४ में ३५३
जनवरी १९५५ में १०० ।

सरदार हुक्म सिंह : अपने देश को लौटने से पूर्व उस शिविर में ठहरे हुए विस्थापित व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति को सब से अधिक कितनी देर तक वहां पर ठहरना पड़ता है ?

श्री जे० के० भोंसले : प्राय: ८ से दस सप्ताह तक ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कोई ऐसे मामले भी हैं जहां विस्थापित व्यक्तियों को अपने देश को लौटाने से पूर्व वहां पर लगातार आठ या दस मास तक रहना पड़ा हो ?

श्री जे० के० भोंसले : हां, ऐसे एक या दो मामले हैं जिनकी जांच करने में पाकिस्तानी पुलिस को कुछ अधिक समय लगा था ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह पाकिस्तानी सरकार की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह शिविर में आये हुये विस्थापित व्यक्तियों को अपने देश में भेजें अथवा न भेजें ?

श्री जे० के० भोंसले : प्राय: उन्हें अपने देश को जाने की अनुमति दी जाती है । सभी औपचारिक कार्यों में कुछ समय लगा ही करता है ।

सरदार हुक्म सिंह : हरिजनों की एक भारी संख्या वहां पर अभी तक प्रतीक्षा कर रही है—क्या उसका कारण भारत सरकार की असावधानी है अथवा पाकिस्तान सरकार अपना अधिकार जताती हुई उन्हें स्वयं वापिस नहीं भेज रही है ? जहां तक मुझे ज्ञात है, वे बड़ी देर से यहां आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री जे० के० भोंसले : इसमें भारत सरकार की कमज़ोरी नहीं है जैसा मेरे मान्य मित्र ने बताया उन्हें अत्यावश्यक कार्यों के लिए हरिजनों की आवश्यकता है । बल्कि पाकिस्तान

सरकार स्वयं यह नहीं चाहती कि उन्हें भेज दिया जाए । परन्तु यदि कैम्प में कोई ऐसे व्यक्ति ह जो यहां अवश्य आना चाहते हैं, तो उन्हें प्राय: यहां भेज दिया जाता है ।

श्री मेघनाद साहा : पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों को इस देश में अपना लेने से पूर्व उन्हें अस्थायी शिविरों में अधिकतम कितनी देर के लिए ठहरना पड़ता है ?

श्री जे० के० भोंसले : इस प्रश्न का सम्बन्ध वास्तविक प्रश्न से नहीं है तो भी मैं इसका उत्तर दे सकता हूं । तीन मास हुए हमने ऐसा निर्णय किया है कि वे ज्यों ही पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करें, उन्हें सीधा ही निर्माण कार्य शिविरों में भेज दिया जाए ।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि कुछ एक व्यक्तियों को अस्थायी शिविरों में ४ वर्ष, ३ मास और दस मास तक रहना पड़ा है ?

श्री जे० के० भोंसले : यही तो मैंने कहा ह कि अभी तीन मास हुए हैं, हमने ऐसा निर्णय किया है । आजकल तो उनके पहुंचने के ४८ घंटों के अन्दर ही उन्हें निर्माण-कार्य शिविरों में भेज दिया जाता है ।

नेपा मिल्ज़

*२००२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २९ सितम्बर, १९५४ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या ८९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक नेपा मिल्ज़ पर कुल कितना खर्च आया है; तथा

(ख) ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां से सहायक कच्ची सामग्री प्राप्त की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ३१ दिसम्बर, १९५४ तक ४६४.४५ लाख रुपया खर्च किया गया ।

(ख) सलाई की लकड़ी और बांस, आदि बुनियादी कच्चा सामान तो मध्य प्रदेश राज्य के निमार और बेतूल के वन-विभागों से प्राप्त किया गया है, परन्तु कॉस्टिक सोडा, सोडा ऐश, साल्ट केक, लिक्विड क्लोरीन और चीनी मिट्टी, इत्यादि अन्य कच्ची सामग्री को, जो कि एक सहायक सामान के रूप में हैं, स्वयं राज्य से और उस से बाहिर के विभिन्न स्थानों से प्राप्त करना होगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : यह मिल कब तक अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा पूरा उत्पादन करने लगेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वर्तमान अवस्था को दृष्टि में रखते हुए यही अनुमान लगाया जा सकता है कि मिल इस वर्ष के अन्त तक अपनी सामर्थ्य का ५० प्रतिशत उत्पादन अर्थात १०० टन का उत्पादन कर सकेंगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या अपेक्षित यंत्र यहां समय पर पहुंच गया ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस बारे में बहुत सी विस्तार की बातें हैं, जिन के बारे में मैं उत्तर नहीं देना चाहता ।

श्री के० सी० सोधिया : इस मिल का भारत सरकार से क्या सम्बन्ध है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बहुत दूर का सम्बन्ध है ।

श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच सम्पर्क

*२००३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों में प्रबन्धकों और श्रमिकों

के बीच सम्बन्धों को एक स्तर पर लाने के लिये योजना आयोग ने कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या इस योजना में श्रमिकों की सुविधाओं के स्तर का उपबन्ध करना भी सम्मिलित होगा; और

(ग) वह योजना अन्तिम रूप में कब तक तैयार हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या योजना आयोग ने सरकारी, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों में श्रमिकों और प्रबन्धकों के सम्बन्धों और श्रमिकों की परिस्थितियों का कोई अध्ययन किया है या उस ने एसा कोई अध्ययन करना आरम्भ किया है ?

श्री हाथी : उन्होंने अध्ययन किया है परन्तु यह विषय श्रम मंत्रालय को निर्दिष्ट किया गया है । उन्हें प्रार्थना की गई है कि वे उन मंत्रालयों के साथ परामर्श कर के योजना तैयार करें जो मंत्रालय नियोक्ता है और उस योजना पर विचार किया जा रहा है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या उपमंत्री यह बता सकते हैं कि कम से कम सरकारी उद्योगों में श्रमिकों की सुविधाओं का क्या स्तर है ?

श्री हाथी : सुविधाएं तो दी जाती हैं परन्तु वे भिन्न भिन्न परियोजनाओं में भिन्न हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध करना चाहती है कि भिन्न भिन्न परियोजनाओं में श्रमिकों की सुविधाओं का स्तर भिन्न भिन्न न हो अथवा योजना आयोग इस विषय पर चर्चा करेगा ?

श्री हाथी : वस्तुत: योजना में सरकारी उद्योगिक स्थापनाओं के श्रमिकों के लिये एक रूप सुविधाओं के स्तर का उपबन्ध किया जायेगा और उस स्तर को लागू करने के लिये प्रबन्ध किये जायेंगे । ये दो विशेष बातें हैं ।

श्री के० के० बसु : प्रश्न के उत्तर के भाग (क) में से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जहां तक श्रमिक सम्पर्क का सम्बन्ध है क्या श्रमिकों द्वारा निर्वाचित एक निर्देशक नियुक्त करने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है ?

श्री हाथी : जैसा मैंने बताया है यह सब विषय श्रम मंत्रालय तैयार कर रहा है और योजना आयोग के साथ परामर्श कर के योजना तैयार की जायेगी । इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता कि यह योजना क्या होगी ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्ति

*२००४. **श्री जेठा लाल जोशी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी और फरवरी १९५५ में पूर्वी पाकिस्तान से कितने विस्थापित व्यक्ति आये हैं; और

(ख) सरकार ने उन्हें पुन: बसाने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) :

(क)	(१) जनवरी १९५५	१८,१२८
	(२) फरवरी १९५५	२४,३२८
	कुल	४५,४५६

(ख) जिन केन्द्रों में इन लोगों को एकत्र किया जाता है वहां से उन्हें संक्रमण शिविरों में भेज दिया जाता है और फिर वहां से उन्हें यथाशीघ्र कार्य-क्षेत्र शिविरों में भेज दिया जाता है । कुछ मामलों में उन्हें सीधे ही ४८ घंटों के बीच कार्य-क्षेत्र शिविरों में भेज दिया जाता है ।

इस बीच में उन्हें बसाने के लिये ज़मीनें अधिग्रहण की जा रही हैं । उन्हें लाभदायक व्यवसाय दिलाने और उन्हें ऋण दे कर व्यापार में लगवाने के लिये भी प्रयत्न किये जाते हैं ।

श्री जेठा लाल जोशी : क्या मंत्री इस सम्बन्ध में ब्योरा देंगे और बतायेंगे कि कितने व्यक्ति (१) अपने परिवारों के अपहरण और उन्हें डराये धमकाये जाने के कारण, (२) उन की चल और अचल सम्पत्ति पर ज़बरदस्ती और अवैध कब्ज़ा करने और (३) ऐसी परिस्थितियों के कारण जिन में उन का शान्तिपूर्वक अपने व्यवसाय चलाना असंभव है, पाकिस्तान से भारत आये हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : मैं इन आंकड़ों का ब्योरा नहीं दे सकता । यह सर्वथा असम्भव है । परन्तु सामान्य कारण आर्थिक स्थितियों का खराब होना है ।

श्री जेठा लाल जोशी : परन्तु जब विस्थापित व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आते हैं तो पंजियों के स्तम्भों में ये बातें दर्ज़ होती हैं ।

श्री जे० के० भोंसले : मेरे पास यह जानकारी नहीं है ।

श्री जेठा लाल जोशी : क्या जिन उपायों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने अभी कहा है क्या उन का अपनाना इन लोगों के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पुनर्वास के लिये पर्याप्त है ?

श्री जे० के० भोंसले : केवल यही उपाय नहीं हैं । और भी उपाय हैं जैसे कि बड़े और माध्यम दर्जे के उद्योगों और कुटीर उद्योगों का विकास और फिर चितरंजन के कारखाने और दामोदर घाटी परियोजना और अन्य ऐसी परियोजनाओं में और व्यावसायिक तथा शिल्पिक प्रशिक्षण केन्द्रों का स्थापित करना ।

श्री टी० के० चौधरी : माननीय मंत्री ने जो अभी उत्तर दिया है कि उन्हें कार्य-क्षेत्र शिविरों में सीधा भेज दिया जाता है उस के सम्बन्ध में क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि विस्थापित लोगों के लगभग ३०० परिवार सीलदाह स्टेशन की पुरानी चुंगी के शेड में बहुत दुखद स्थिति में पड़े हैं । उन के लिये क्या किया गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : मैं इस का तुरन्त उत्तर नहीं दे सकता ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक मास शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है और अगले १॥ मास में मूनसून आरम्भ हो जायगी, क्या सीमांत के स्टेशनों में आने वाले लोगों को आश्रय देने के लिये आश्रय-स्थान बनाने के कुछ प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : पहले से ही ऐसे उपाय करने कठिन हैं । परन्तु तो भी सरकार इस बात का प्रबन्ध करने के लिये कि जो लोग आयें उन की भली प्रकार देख भाल हो भरसक प्रयत्न करेगी ।

दामोदर घाटी निगम में विदेशी विशेषज्ञ

*२००५. **श्री आर० पी० गर्ग :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री निम्नलिखित दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय दामोदर घाटी निगम में काम करने वाले विदेशी विशेषज्ञों की संख्या; और

(ख) देशानुसार उन की संख्या; और

(ग) उन की सेवाओं की शर्तें आदि ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३८]**

श्री आर० पी० गर्ग : क्या सरकार को इन विदेशी विशेषज्ञों के सम्बन्ध में हमारे अपने इंजीनियरों और विशेषज्ञों की ओर से जो उन के साथ वहां काम करते हैं, कोई शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो सरकार उन की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री हाथी : कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली ।

श्री के० के० बसु : क्या यहां नियुक्त किये गये सभी विदेशियों को स्थानापन्न करने के लिये भारतीय पदाधिकारी हैं और अंततः कब तक वे दामोदर घाटी निगम को छोड़ कर जायेंगे ?

श्री हाथी : यदि माननीय सदस्य विवरण में देखें तो केवल एक इंजीनियर अर्थात् मुख्य इंजीनियर ही दामोदर घाटी में नियुक्त किया गया है । अन्य विशेषज्ञ विभिन्न सहायता कार्यक्रमों के अधीन हैं । तो भी इन विशेषज्ञों को स्थानापन्न करने के लिये हम ने इन के अधीन प्रशिक्षार्थी रखे हुए हैं ।

श्री आर० पी० गर्ग : श्रीमान्, क्या . .

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

नेपाल में औद्योगिक प्रदर्शनी

*२००६. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ दिसम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ११२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परोपकार-सामाजिक कल्याण संस्था के तत्वावधान में नेपाल में हुई औद्योगिक प्रदर्शनी में भारतवर्ष ने कितनी प्रदर्शनीय वस्तुएं भेजी थीं और प्रदर्शनी को देखने वालों ने किन वस्तुओं को सब से अधिक पसन्द किया;

(ख) नेपाल में उन वस्तुओं की कहां तक बिक्री हो सकती है; और

(ग) उस प्रदर्शनी पर सरकार द्वारा कुल कितना व्यय किया गया और वस्तुओं की बिक्री से कुल कितनी आय हुई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३९**]

(ख) इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सका कि वस्तुओं की कितनी बिक्री हो सकती थी क्योंकि प्रदर्शनी के समय उन्हें बेचने की अनुज्ञा नहीं थी ।

(ग) सरकार ने प्रदर्शनी पर कुल २,६०५ रु० ३ आने ६ पाई की राशि व्यय की है । प्रदर्शनी के समय प्रदर्शित वस्तुओं में से कोई नहीं बेची गई ।

श्री विभूति मिश्र : जिन जिन वस्तुओं को नेपाल की प्रदर्शनी में पसंद किया गया उन में से किन किन के लिये अब तक यहां मांग आई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास जानकारी नहीं है ।

भारतीय वैदेशिक सेवा (ख)

*२००८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** १३ सितम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ८७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैदेशिक सेवा पदालि
(ख) को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सेवा का ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). भारतीय वैदेशिक सेवा (ख) को तैयार करने के बारे

में विभिन्न बातों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका परन्तु आशा है कि अगले कुछ मास में यह कर दिया जायेगा ।

सीमा पर धावा

*२००९. **श्री जेठा लाल जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २० मार्च १९५५ को या उस के आसपास, खेमकरण के पास भारतीय क्षेत्र के एक भूभाग पर पाकिस्तानी पुलिस द्वारा कब्ज़ा करने के प्रयत्न के फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान की सीमा पर पुलिस के बीच गोलियां चली थीं;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी पुलिस ने विवादस्पद क्षेत्र में खाइयां खोद ली थीं और उन के पास पूरी तरह स्वचालित यंत्र भी थे; और

(ग) क्या कोई हताहत हुए थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). जी हां, तो भी इस सम्बन्ध में इस समय कोई जानकारी नहीं है कि पाकिस्तानी सीमा पुलिस के पास किस प्रकार के शस्त्र थे ।

(ग) कोई हताहत नहीं हुआ ।

श्री कासलीवाल : क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ पता है कि पाकिस्तानी सेना के सैनिक भी इस घटना में शामिल थे ?

श्री सादत अली खां : नहीं श्रीमान्, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या पाकिस्तान सेना के सैनिक भी इस धावे में थे ?

श्री सादत अली खां : मैं पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं ।

भोवानी जंक्शन

*२०१०. **श्री आर० पी० गर्ग** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** १५ नवम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 'भोवानी जंक्शन' चित्र के निर्माताओं को सामान्य सुविधाएं देने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निश्चय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : प्रेस समाचारों से यह पता चलता है कि उक्त चित्र का निर्माण पाकिस्तान में आरम्भ हो चुका है । उस सार्थ को सामान्य सुविधाएं देने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री० आर० पी० गर्ग : क्या यह सच है कि इस चित्र के निर्माण के लिये भारत सरकार की मंजूरी से एक भारतीय राष्ट्रजन की सेवाएं ली गई हैं ?

डा० केसकर : मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है । इस के अतिरिक्त यह प्रेस समाचार एक या दो समाचार पत्रों में आया है और जहां तक मुझे पता है यह सच नहीं है ।

श्री के० के० बसु : मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का समय समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वस्त्र

*१९६०. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय इंडोनेशिया को वस्त्रों का कितना निर्यात होता है और भविष्य में कितना निर्यात होने की संभावना है; और

(ख) क्या भारत से उस देश को निर्यात में कोई वृद्धि दिखाई देती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सूती वस्त्रों के बारे में जानकारी पूछ रहे हैं । १९५३ में

३४९.२ लाख गज़ कपड़े के टुकड़े भेजे गये थे और १९५४ में ३२६.९ लाख गज़ कपड़ा भेजा गया था। ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता कि चालू वर्ष १९५५ में यह निर्यात स्थिर नहीं रहेगा ।

कुटीर उद्योग उत्पाद

*१९६२. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं जिन के कुटीर उद्योगों के उत्पाद अमरीका में तुरन्त बेचे जा सकते हैं; और

(ख) क्या सरकार ने इन वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये और उन की किस्म में सुधार करने के लिये उन राज्यों की सहायता की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, बम्बई, हैदराबाद, मैसूर, त्रावनकोर-कोचीन, मद्रास, आंध्र, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार और आसाम।

(ख) हां, श्रीमान् ।

इस्पात संयंत्र

*१९६३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस्पात संयंत्रों को स्थापित करने के लिये कितने विदेशी राष्ट्रों ने प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) अभी तक सरकार ने उनमें से किन्हें स्वीकार किया है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) और (ख). भारत में इस्पात का कारखाना स्थापित करने के बारे में समय समय पर विदेशी प्रतिनिधियों से बातचीत होती रही है । हिन्दुस्तान और जापान, भारत में एक संयुक्त इस्पात का कारखाना खोलें इस विषय में १९५२ में जापानी व्यापारियों से बातचीत हुई थी लेकिन इस बातचीत का कोई फल नहीं निकला । उस के बाद कुछ जर्मन फर्मों से बातचीत हुई जिस के फलस्वरूप एक समझौता हुआ जिस के अनुसार वे अब रूरकिलाम में इस्पात का सरकारी कारखाना स्थापित कर रहे हैं।

इसी तरह रूसी विशेषज्ञों द्वारा भी भारत में एक इस्पात का कारखाना स्थापित करने के विषय में कुछ प्रस्तावों के फलस्वरूप रूसी सरकार के साथ ऐसा कारखाना स्थापित करने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर हो गये हैं ।

कुछ समय हुआ एक प्रस्ताव अंग्रेजी सरकार की तरफ से मिला जिस में अंग्रेजों के सहयोग से भारत में इस्पात का कारखाना स्थापित करने के लिये इच्छा प्रकट की थी। एक अंग्रेजी इस्पात प्रतिनिधि मण्डल भारत में इस कारखाने के खोलने के विषय में सविस्तार बातचीत करने के लिये इस देश में आया हुआ है ।

कुछ अन्य देशों के प्रतिनिधियों से भी इस विषय में कुछ पूछ ताछ की है परन्तु उन की ओर से कोई बाजाब्ता प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए ।

आजकल

*१९६४. **श्री मुरारका** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजकल (हिन्दी) और आजकल (उर्दू) पत्र, जो कि प्रकाशन विभाग द्वारा देश में प्रचार के लिये प्रकाशित किये जाते हैं, उन में से प्रत्येक लगभग ३५,००० रु० वार्षिक घाटे पर चल रहा है; और

(ख) इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि स्थानीय दैनिक पत्रों और पत्रिकाओं से काफी प्रचार कार्य हो रहा है, क्या सरकार

उनका प्रकाशन जारी रखना ठीक समझती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) १९५३–५४ में 'आजकल' (उर्दू) पर २६,८५८ रु० का घाटा हुआ, और उसी साल 'आजकल' (हिन्दी) पर ३४,७३१ रु० का घाटा हुआ ।

(ख) इन पत्रों का उद्देश्य प्रचार कार्य नहीं है । उन का प्राथमिक उद्देश्य सांस्कृतिक कार्य करना है । हाल ही में 'आजकल' (हिन्दी) में इस प्रकार के लेखों का प्रबन्ध किया गया है जो कि भारतीय भाषाओं में सब से अच्छे हों, घटनाओं का एक भव्य चित्र उपस्थित करते हों और राष्ट्रीय भाषा अर्थात् हिन्दी में मूल लेखों के लिये प्रोत्साहन देते हों । ग़ैर सरकारी लोगों के हाथों में भी इस प्रकार के सांस्कृतिक प्रकाशनों में बराबर हानि होती रही है ।

दिल्ली के चारों ओर विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां

*१९६७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली के चारों ओर विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में जो पंजीबद्ध संस्थायें हैं, उन्हें धार्मिक स्थानों तथा पूजागृहों के लिये भूमि के प्लाटों का आवंटन करने के लिये उसी समय रुपये का भुगतान करने से सम्बन्धित सामान्य नियमों को शिथिल कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय ऐसे प्लाटों के लिये उसी समय कितना रुपया दिया जायगा ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी, हां ।

(ख) भवन निर्माण की सामग्री के लिये १०,००० रुपये जमा करना है, किन्तु उन बस्तियों के लिये, जो कि कुछ दूरी पर हैं यह रकम केवल ५००० रुपये रखी गई है और सस्ती आवास व्यवस्था करने वाली बस्तियों के लिये २००० रु० ।

राजस्थान में सीमेन्ट का कारखाना

*१९७३. **श्री भोखाभाई** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने चित्तौड़-गढ़ में सीमेन्ट का एक कारखाना चालू करने के लिये कोई प्रस्थापना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्थापना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध म राजस्थान सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता मांगी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बाल चलचित्र संस्था

*१९७८. **डा० सत्यवादी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २५ फरवरी, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से बाल चलचित्र संस्था पंजीबद्ध (रजिस्टर) की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उस संस्था द्वारा तैयार की गई योजना की रूपरेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). संस्था के ज्ञापन और नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है और शीघ्र ही संस्था पंजीबद्ध (रजिस्टर) की जायगी ।

उर्वरक

*१९७९. **श्री पी० एल० बारूपाल :** क्या उत्पादन मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) आजकल भारत में किस किस प्रकार के और कितनी-कितनी मात्रा में रसायनिक उर्वरक तैयार होते हैं; और

(ख) किस-किस प्रकार के तथा कितनी-कितनी मात्रा में अतिरिक्त रसायनिक उर्वरक तैयार करने का विचार है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४०]**

अखबारी कागज़ का कारखाना

*१९९३. **श्री ए० आर० सेवल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक मध्यम आकार के अखबारी काग़ज़ के कारखाने की स्थापना के लिये कोई योजना या मांग भारत सरकार के पास भेजी है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निश्चय किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिये हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध कच्चे माल के मूल्य के सम्बन्ध में कोई जांच पड़ताल की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). जी हां, ज्ञात हुआ है कि इस प्रकार का एक प्रस्ताव योजना कमीशन को मिला है ।

(ग) जी नहीं, एफ० ए० ओ० के काग़ज़ और लुग्दी विशेषज्ञ द्वारा कच्चे माल का सामान्य पर्यवेक्षण किये जाने के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विषय में अब तक और कोई खास पयवेक्षण नहीं कराया है ।

कोक-भट्टी परियोजना जांच समिति

*१९९६. **श्री एस० एन० दास :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने कोक-भट्टी परियोजनाओं के सम्बन्ध में जो विशेषज्ञ जांच समिति नियुक्त की थी, क्या उस ने अपना काम समाप्त कर दिया है तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने उस प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है और कोक-भट्टी तथा तत्सम्बन्धी छोटे मोटे उत्पादों के संयंत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) ३१ मार्च, १९५५ को कोक-भट्टी परियोजना जांच समिति ने योजना आयोग को एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जो कि कोक-भट्टी संयंत्र तथा सहायक योजनाओं के बारे में था, और उस में कोक-भट्टी की गैस से तत्सम्बन्धी छोटे मोटे उत्पाद तथा कोलतार शुद्ध कर के उत्पाद निकालने के बारे में बताया गया था ।

(ख) आशा है कि जल्दी ही केन्द्रीय मंत्रालयों के परामर्श से योजना आयोग उस अन्तरिम प्रतिवेदन पर विचार करेगा ।

रेल की पटरियों का आयात

*१९९९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारतीय रेलों के प्रयोग के लिये भारत ४०,००० टन पटरियां जापान से मंगा रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : हां, श्रीमान्, ५०,००० टन रेल की पटरियां मंगाई जा रही हैं ।

केन्द्रीय सचिवालय में काम

६०३. **श्रीमती गंगादेवी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय का एक असिस्टैंट एक सप्ताह में साधारण और आवश्यक दोनों तरह के कितने प्राप्त हुए पत्र निपटा लेता है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के असिस्टैंटों को नियत समय से अधिक काम करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) प्राप्त हुए पत्रों को निपटाने के लिये जितने समय, श्रम तथा ध्यान की आवश्यकता है, वह सब उन के प्रकार तथा उनकी जटिलता पर निर्भर करता है । इस सम्बन्ध में प्रत्येक मंत्रालय में यहां तक कि प्रत्येक विभाग में अन्तर है । एक एकरूप स्तर कायम करने की जो पुरानी कोशिश थी, वह छोड़ दी गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रत्येक विभाग पदाधिकारी से यह आशा की जाती है कि वह इस बात की पूरी निगरानी रखे कि उस के प्रभार में जो असिस्टैंट हैं, उन को कितना काम मिलता है । ओ० एन्ड एम० विभाग ने यह जानने के लिये कि कितना काम आता है, असिस्टैंट दैनिक डायरी तथा बकाया काम के साप्ताहिक और मासिक विवरण जैसे कुछ नियंत्रण-उपाय किये हैं जिन से अच्छी तरह यह पता चल जाता है कि किन मामलों में काम अधिक रहा और किन में कम ।

नौवहन के भाड़े की दरें

६०४. **श्री तुलसीदास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हांगकांग में "एकैफी" व्यापार उन्नति सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि ने नौवहन के भाड़े की विभेदपूर्ण दरों के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया था;

(ख) क्या "एकैफी" इस सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण कराने को सहमत हो गई है;

(ग) क्या भारत सरकार ने विदेशी नौवहन समवायों द्वारा ली जाने वाली विभेद-पूर्ण दरों का एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण करवाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रारम्भिक सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) कुछ चुनी हुई चीज़ों के बारे में एक प्रारम्भिक जांच की, उस से यह मालूम हुआ कि भारत से निकटवर्ती स्थानों के लिये ली गई भाड़े की दरें यूरोप के कुछ देशों से उन्हीं स्थानों के लिये ली गई भाड़े की दरों से

ऊंची हैं, यद्यपि वहां से उन स्थानों की दूरी कहीं अधिक है । इस की जांच करने के लिये एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया गया है कि आर्थिक दृष्टिकोण से भाड़े की दरों में यह अन्तर कहां तक युक्तिसंगत है और उस के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है ।

बंगलौर में विस्थापित व्यक्ति

६०५. **श्री केशवैयंगार** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर शहर में इस समय विस्थापित व्यक्तियों के कितने कुटुम्ब रह रहे हैं;

(ख) कितने कुटुम्बों को अभी पुनः बसाना है ।

(ग) सम्पूर्ण मैसूर राज्य में कितने विस्थापित कुटुम्ब स्थापित हो गये हैं; और

(घ) कितने कुटुम्बों का अभी पुनर्वास करना है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

विदेशों में चलचित्रों की प्रदर्शनी

६०६. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में दिखाये गये हमारे प्रलेखीय चलचित्रों (डाक्यूमेंटरी) तथा समाचार चलचित्रों के बारे में उन की क्या राय है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : प्राप्त सूचनाओं, रिपोर्टों तथा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सवों के परिणामों से पता चलता है कि विदेशों में हमारे डाक्यूमेंटरी और समाचार चित्रों की सामान्यतः सराहना की गयी है । कभी-कभी इन चलचित्रों में सुधार के लिये आलोचना और सुझाव भी प्राप्त होते हैं । इन पर विचार किया जाता है और जहां संभव होता है, कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया जाता है ।

कास्टिक सोडा का कारखाना

६०७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार का विचार मंडी (हिमाचल प्रदेश) में कास्टिक सोडा का एक कारखाना बनाने का है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जी, नहीं ।

गोआनी कर्मचारी

६०८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि गोआ में पुर्तगाली यूरोपियन कर्मचारियों के स्थान पर गोआनी रखे जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : गोआ के ऊंचे ओहदों पर यूरोपियन नियुक्त हैं । छोटे ओहदों पर गोआनी रखे जाते हैं । इस नीति में कुछ विशेष अन्तर नहीं हुआ है । लेकिन कुछ स्थानों पर, जहां पर पहले से यूरोपियन थे, गोआनियों को रखने की कोशिश हो रही है—इस आशा से कि उनकी भारत से मिलने की मांग कमज़ोर हो जाय ।

दामोदर घाटी परियोजना

६०९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दामोदर घाटी परियोजना के विद्युत्गृहों से कुल कितने किलोवाट विद्युत् पैदा की गई है;

(ख) इस समय बिहार और पश्चिमी बंगाल में उपभोक्ताओं को कुल कितने किलोवाट विद्युत् का संभरण किया जा रहा है;

(ग) भविष्य में कुल कितने किलोवाट विद्युत् का संभरण करने का विचार है; और

(घ) स्वीकृत मांग पूरी करने के लिये किस साल तक पर्याप्त मात्रा में विद्युत् पैदा कर ली जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) ४६,४५० किलोवाट ।

(ख) ४६,४५० किलोवाट ।

(ग) जिन स्थापनाओं की स्वीकृति मिल चुकी है, उन से कुल १,९७,००० किलोवाट विद्युत् का संभरण किया जायेगा ।

(घ) स्वीकृत मांग से, संभवतः माननीय सदस्य का तात्पर्य स्थिर मांग से है । १९५८–५९ तक उपभोग में जो वृद्धि होगी, उस को पूरा करने के लिये दामोदर घाटी निगम के पास विद्युत पैदा करने की पर्याप्त क्षमता है । उपभोग में अग्रेतर वृद्धि को पूरा करने के लिये विद्युत पैदा करने की क्षमता उपयुक्त रूप से बढ़ाई जायगी ।

एशियाई देशों का सम्मेलन

६१०. श्री वोडयार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव दूर करने के उद्देश्य से निष्पक्षीय आधार पर अप्रैल १९५५ में नई दिल्ली में एशियाई देशों का एक सम्मेलन करने का विचार किया गया है;

(ख) यह सम्मेलन कोलम्बो योजना के राष्ट्रों द्वारा बुलाया गया है अथवा वह किसी प्रकार अफ्रेशियाई सम्मेलन से सम्बन्धित है; और

(ग) इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये कितने देश बुलाये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी हां ।

(ख) यह सम्मेलन बांडुग में होने वाले अफ्रेशियाई सम्मेलन तथा कोलम्बो योजना के राष्ट्रों से किसी प्रकार सम्बन्धित नहीं है । यह सम्मेलन गैर सरकारी रूप से किया जा रहा है ।

(ग) भारत सरकार को इस सम्बन्ध में ठीक जानकारी नहीं है ।

प्रतिकर के दावें

६११. डा० सत्यवादी : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में अन्तरिम प्रतिकर के लिये अब तक ज़िलेवार कितने दावे मिले हैं;

(ख) आजकल कितने मामले विचाराधीन हैं; और

(ग) कब तक उन के बारे में निर्णय हो जायेगा ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) १९ मार्च, सन् १९५५ तक प्राप्त हुए प्रतिकर दावों की संख्या का ज़िलेवार ब्योरा सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट, अनुबन्ध संख्या ४१**]

(ख) २८,१२५ ।

(ग) विचाराधीन मामलों का जल्दी से जल्दी निपटारा करने का हर प्रयत्न किया जा रहा है ।

निष्क्राम्य सम्पत्ति का प्रबन्ध

६१२. डा० सत्यवादी : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में निष्क्राम्य सम्पत्ति का प्रबन्ध करने

वाले कर्मचारियों का वेतन केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है, और महा अभिरक्षक अथवा केन्द्रीय सरकार का उन के ऊपर कोई प्रशासनीय नियंत्रण नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) और (ख). निष्काम्य सम्पत्ति का प्रबन्ध करने वाले कर्मचारियों के वेतन आदि के लिये सम्पत्ति की कुल आय के १० प्रतिशत के बराबर शुल्क लगाया जाता है । जहां यह शुल्क पर्याप्त नहीं होता वहां केन्द्रीय सरकार द्वारा समुचित अर्थ सहाय्य दिया जाता है । इन कर्मचारियों पर राज्य सरकारों का प्रशासनीय नियंत्रण होता है परन्तु अभिरक्षक, निष्काम्य सम्पत्ति, महा अभिरक्षक की साधारण देखभाल तथा नियंत्रण में काम करते हैं ।

प्राविधिक सहायता

६१३. **डा० सत्यवादी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री प्राविधिक सहायकों के स्थानों के लिये १९५३ के संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या ४७ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने स्थान भरे गये और कितने स्थान अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित किये गये तथा उन की अपेक्षित अर्हतायें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : प्राविधिक सहायकों के ६६ स्थान भरे गये । अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये २२ स्थान रक्षित किये गये । फिर भी, संघ लोक सेवा आयोग को जो ६८७ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए, उन में अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के केवल सात प्रार्थनापत्र थे और उन में से आयोग ने एक अभ्यर्थी को चुन लिया ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के पदाधिकारी

६१४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आजकल भारत में रहने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के पदाधिकारी तथा विशेषज्ञ किन-किन राष्ट्रों के हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारियों और विशेषज्ञों की संख्या तथा राष्ट्रीयता की सूची, जिसमें कि भारत तथा पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सैनिक पर्यवेक्षक दल के सदस्य भी शामिल हैं तथा जो कि भारत में इस समय रह रहे हैं, सभा पटल पर रख दी गई है । [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४२]

हिन्दचीन

६१५. **सरदार अकरपुरी** :
डा० सत्यवादी :

क्या **प्रधान मंत्री** २४ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १४६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जेनेवा करार की मदों के अधीन भारत द्वारा हिन्द-चीन भेजे गये कर्मचारियों को जो भत्ते मिलते हैं, वे अन्य देशों द्वारा भेजे गये कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों के मुकाबले में कैसे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : अन्तर्राष्ट्रीय आयोगों के साथ काम करने के लिये हिन्द चीन भेजे गये अपने कर्मचारियों को कनाड़ा और पोलैण्ड द्वारा जो भत्ते दिये जाते हैं, उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है ।

मकानों का दिया जाना

६१६. **चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कितने मकान बनाकर २८ फरवरी, १९५५ तक गजटेड और अ-गजटेड पदाधिकारियों को उनके दावों, जिनकी जांच हो चुकी है, के स्थान पर दिये हैं ;

(ख) उनमें से कितनों ने कब्जा कर लिया है और कितनों को २८ फरवरी, १९५५ तक कब्जा नहीं दिया गया था ; और

(ग) इन मामलों में कब्ज़ा न देने के कारण क्या हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) सरकार द्वारा बनाये गये मकान उन दावों के स्थान पर जिनकी जांच हो चुकी है भारत सरकार के पदाधिकारियों को देने की कोई योजना नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दामन

६१७. **श्री एन० राचय्या :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५ फरवरी, १९५४ को दामन के एक गांव वासागुंटा में भारतीय झंडा फहराया गया था ;

(ख) यदि हां, तो झंडा किस ने फहराया था ; और

(ग) क्या यह सच है कि दामन के गवर्नर ने झंडा फहराने वाले व्यक्ति को बड़ा कठोर दंड दिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) तथा (ख) सरकार के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) मिले हुए समाचारों के अनुसार श्री ठाकुर प्रसाद सक्सेना नामक एक भारतीय राष्ट्रजन ५ फरवरी १९५५ को दामन में घुस गया और उसे पुर्तगाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया । बताया जाता है कि जेल में उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया और कहा जाता है कि वह अधमरा हो गया था । ६ मार्च को उसे गोआ भेजा गया और भारत में निर्वासित कर दिया गया ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

६१८. **श्री निरंजन जेना :** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में वर्ग १ से ४ तक की सेवाओं में अब तक कुल कितनी नियुक्तियां हुई हैं ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पद अभी वर्गों में नहीं बांटे गये हैं, पर सरकारी सेवा में अपनाये गये आधार के अनुसार कम्पनी में वर्ग १ से ४ तक में निम्न संख्या में नियुक्तियां की गयी हैं :—

वर्ग १	२८
वर्ग २	२४
वर्ग ३	१९३
वर्ग ४	७३
	योग २८८

रंग-रोगन

६१९. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में १९४७ से १९५४ तक प्रति वर्ष कितने मूल्य के और कितनी मात्रा में पेंट और वारनिशों की खपत हुई ; और

(ख) उक्त काल में प्रति वर्ष सरकार द्वारा कितने मूल्य के और कितनी मात्रा में रंग रोगन (पेंट और वारनिशों) की खपत की गयी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ठीक ठीक आंकड़े नहीं दिये जा सकते । स्थानीय उत्पादन और निर्यात के आधार पर स्थानीय खपत का निम्न अनुमान लगाया जाता है :—

वर्ष	खपत हुए पेंट एनामेल और वारनिशों की मात्रा (टनों में) लगभग	अनुमानित मूल्य (रुपयों में) करोड़
१९४७	४०,०००	८
१९४८	३८,०००	७.५
१९४९	३३,०००	६.७
१९५०	३०,०००	६
१९५१	३४,०००	६.८
१९५२	३३,०००	६.७
१९५३	३३,०००	६.५
१९५४	३६,०००	७.२

(ख) ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है ।

लोक -सभा
वाद-विवाद

(भाग २——प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

(खंड ३, १९५५)

(२ से २१ अप्रैल, १९५५)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

3-4-9
11.1.83

नवम सत्र, १९५५

(खण्ड ३ में अंक ३१ से अंक ४५ तक हैं)

zettes & Debates Unit
rliament Library Building
om No. FB-025
Block 'G'

सभा सचिवालय
दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ३, संख्या ३१ से ४५—२ अप्रैल से २१ अप्रैल, १९५५ तक)

संख्या ३१—शनिवार, २ अप्रैल १९५५

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांग—	३१०१—५४
मांग संख्या ६२—सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . .	३१०१—५४
मांग संख्या ६३—प्रसारण	३१०१—५४
मांग संख्या ६४—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३१०१—५४
मांग संख्या १२६—प्रसारण पर पूंजी व्यय . .	३१०१—५४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पच्चीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३१५३
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—	
परिचालन का प्रस्ताव—स्वीकृत .	३१५३—६९
श्री भागवत झा आजाद . .	३१५३—५५
श्री रघुवीर सहाय . .	३१५५—५७
श्री मूल चन्द दुबे . . .	३१५७
श्री राघवाचारी . . .	३१५८—५९
श्री अच्युतन	३१५९—६०
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा . .	३१६०—६१
श्री वी० जी० देशपांडे	३१६१—६३
श्री दातार	३१६३—६९
श्री यू० सी० पटनायक	३१६९
भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . .	३१७०—३२०४
सेठ गोविन्द दास	३१७०—७४, ३२०१—०२
पंडित ठाकुर दास भार्गव	३१७५—९५
श्री एन० सी० चटर्जी	३१९५—९७
श्री जवाहरलाल नेहरू	३१९७—३२०१

संख्या ३२—सोमवार, ४ अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
बाढ़ नियंत्रण उपायों की प्रगति के बारे में विवरण . . .	३२०५
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचना .	३२०५
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	३२०५—३२०६
सभा का कार्य	३२०६

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	३२०६—३३०२
मांग संख्या ६२—सूचना और प्रसारण मंत्रालय .	३२०६—३२४६
मांग संख्या ६३—प्रसारण . . .	३२०६—३२४६
मांग संख्या ६४—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . .	३२०६—३२४६
मांग संख्या १२६—प्रसारण पर पूंजी व्यय . .	३२०६—३२४६
मांग संख्या ८५—उत्पादन मंत्रालय . .	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८६—नमक . . .	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८८—सरकारी कोयला खानें . .	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३२४५—३३०२
मांग संख्या १३१—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय	३२४५—३३०२
भारतीय ढोर परिरक्षिण विधेयक—	
मत-विभाजन के अंकों में शुद्धि . . .	३७५
संख्या ३३—मंगलवार, ५ अप्रेल १९५५	
पटल पर रखे गय पत्र—	
प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ के अधीन अधिसूचना इत्यादि	३३०३
सभा का कार्य—	३३०४—३३०५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . .	३३०५
मांग संख्या ८५—उत्पादन मंत्रालय . .	३३०५—३०
मांग संख्या ८६—नमक . . .	३३०५—३०
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन	३३०५—३०
मांग संख्या ८८—सरकारी कोयला खानें .	३३०५—३०
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३३०५—३०
मांग संख्या १३१—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय	३३०५—३०
मांग संख्या ६५—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय .	३३२९—३४०५
मांग संख्या ६६—सिंचाई (कार्य-वहन व्यय सहित) नौ परिवहन, बन्ध तथा जल-निस्सारण कार्य (राजस्व से देय)	३३२९—३४०४
मांग संख्या ६७—बहु-योजनीय नदी योजनायें .	३३२९—३४०४
मांग संख्या ६८—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३३२९—३४०४
मांग संख्या १२७—बहु-योजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय	३३२९—३४०४
मांग संख्या १२८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३३२९—३४०४

संख्या ३४—बुधवार, ६ अप्रैल, १९५५

	स्तम्भ
गर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	३४०५
समिति के लिये निर्वाचन—	
केन्द्रीय रेशम-बोर्ड	३४०५—३४०७
सभा का कार्य—	३४०७—३४०८
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . .	३४०८—३५१८
मांग संख्या ६५—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . .	३४०८—३४२८
मांग संख्या ६६—सिंचाई (कार्य-वहन व्यय सहित) नौ परिवहन, बंध तथा जल निस्सारण कार्य (राजस्व से देय) .	३४०८—३४२८
मांग संख्या ६७—बहु प्रयोजनीय नदी योजना . .	३४०८—३४२८
मांग संख्या ६८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४०८—३४२८
मांग संख्या १२७—बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय	३४०८—३४२८
मांग संख्या १२८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४०८—३४२८
मांग संख्या ५०—गृह-कार्य मंत्रालय . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५१—मंत्रिमण्डल . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५२—दिल्ली	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५३—पुलिस	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५४—जनगणना. . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५५—देशी राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५६—अन्दमान और निकोबार द्वीप समह .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५७—कच्छ . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५८—मनीपुर	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५९—त्रिपुरा	३४२९—३५१८
मांग संख्या ६०—राज्यों से सम्बन्ध . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ६१—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४२९—३५१८
मांग संख्या १२५—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय .	३४२९—३५१८

संख्या ३५—गुरुवार, ७ अप्रैल, १९५५

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
अन्तर्राज्यिक व्यापार पर बिक्री कर	३५१९—३५२२
पटल पर रखा गया पत्र—	
बलात् श्रम के बारे में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ अभिसमय (संख्या २९) का अनुसमर्थन	३५२२

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . .	३५२३—३६२२
मांग संख्या ५०—गृह-कार्य मंत्रालय . . .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५१—मंत्रिमण्डल	३५२३—३५९९
मांग संख्या ५२—दिल्ली	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५३—पुलिस	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५४—जनगणना	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५५—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५६—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५७—कच्छ	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५८—मनीपुर	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५९—त्रिपुरा . . .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ६०—राज्यों से सम्बन्ध . . .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ६१—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३५२३—३५९८
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . .	३५९९—३६२२
मांग संख्या २—उद्योग	३५९९—३६२२
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . .	३५९९—३६२२
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३५९९—३६२२
मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	३५९९—३६२२

संख्या ३६—शनिवार, ९ अप्रैल, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

गोआ राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान तथा अन्य व्यक्तियों पर आक्रमण ३६२३

समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . ३६२४—३६४१

श्री डाभी . . . . . ३६२४—३६२५

श्री तुलसीदास . . . . ३६२५—३६२७

श्री के० सी० सोधिया . . . . ३६२७—३६२९

श्री बंसल . . . . . ३६२९—३६३१

श्रीमती जयश्री . . . . ३६३१—३६३२

श्री टेक चन्द . . . . ३६३२—३६३३

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी . . . ३६३३—३६३४

श्री ए० सी० गुहा . . . . ३६३४—३६४१

खंड २ से १४ . . . . . ३६४२—३६७४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—छब्बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . ३६७४—३६७५

राजनैतिक पेंशनों के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . ३६७५—३७२०

बाटों और नाप के बारे में संकल्प—असमाप्त . . ३७२०—३७२४

संख्या ३७— सोमवार, ११ अप्रैल १९५५

	स्तम्भ
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	३७२५
पटल पर रखे गये पत्र—	
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना संख्या १६३ और १६४, दिनांक १८-१२-५४ और संख्या २८, दिनांक २६-२-५५ .	३७२५—३७२६
समिति के लिये निर्वाचन—	
केन्द्रीय रेशम बोर्ड	३७२६
गणपूर्ति के बारे में प्रथा	३७२६—३७२७
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३७२७—३८०५
श्री जवाहरलाल नेहरू	३७२८—३७४२
श्री ए० के० गोपालन	३७४३—३७४७
श्री फ्रेंक ऐंथनी	३७४७—३७५०
श्री टी० के० चौधरी	३७५०—३७५२
श्री एन० पी० नथवानी	३७५२—३७५४
डा० कृष्णस्वामी	३७५४—३७५६
श्री एम० पी० मिश्र	३७५६—३७६२
श्री एन० सी० चटर्जी	३७६३—३७६९
श्री एस० एल० सक्सेना . . .	३७६९—३७७१
श्री जयपाल सिंह	३७७१—३७७४
श्री बी० पी० सिंह	३७७४—३६८१
श्री ए स० वी० रामस्वामी . . .	३७८१—३७८४
स्वामी रामानन्द तीर्थ	३७८४—३७८९
श्री जी० डी० सोमानी . . .	३७८९—३७९२
पंडित ठाकुर दास भार्गव . . .	३७९२—३७९६
श्री आर० डी० मिश्र	३७९६—३८०४
श्री वेंकटरामन्	३८०४—३८०५

संख्या ३८—मंगलवार, १२ अप्रैल, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
डा० लोहिया तथा अन्य व्यक्तियों की इम्फाल में गिरफ्तारी .	३८०७
वित्त विधेयक—याचिका उपस्थापित . . .	३८०८
प्रधान सेनापति (पदनाम में परिवर्तन) विधेयक—पुरःस्थापित .	३८०८
औद्योगिक तथा राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	३८०८—३८०९

	स्तम्भ
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	३८०९—३८२३
श्री वेंकटारमन . . .	३८१४—३८१७
पंडित जी० बी० पन्त	३८१७—३८२२
खड १ से ५	३८२३—३८७२
संशोधित रूपमें पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	३८७२—३८८८
श्री एच० एन० मुकर्जी	३८७२—३८७५
श्री वी० जी० देशपांडे	३८७५—३८७८
श्री एस० एल० सक्सेना . . .	३८७८—३८७९
श्री जवाहरलाल नेहरू	३८७९—३८८८
संख्या ३९—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
गोलपाड़ा से बंगला-भाषी लोगों का निष्क्रमण . .	३८८९—३८९२
पटल पर रखे गये पत्र—	
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५१-५२ और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५३ और उस का वाणिज्यिक परिशिष्ट . . .	३८९२
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दक्षिण-चीन-सागर में इंडियन-एयर-लाइन्स-कांस्टेलेशन का गिर जाना .	३८९२—३८९५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . .	३८९५—३९६४
मांग संख्या २—उद्योग	३८९५—३९६४
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . . .	३८९५—३९६४
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३८९५—३९६४
मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	३८९५—३९६४
संख्या ४०— शुक्रवार, १५ अप्रैल, १९५५	
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	३९६५—४०२४
मांग संख्या २—उद्योग . . .	३९६५—३९८५
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . .	३९६५—३९८५
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . . .	३९६५—३९८५
मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय .	३९६५—३९८५
मांग संख्या २५—वित्त मंत्रालय . .	३९८७—४०२४

	स्तम्भ
मांग संख्या २६—सीमा शुल्क	३९८७—४०२४
मांग संख्या २७—संघ उत्पादन शुल्क	३९८७—४०२४
मांग संख्या २८—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर .	३९८७—४०२४
मांग संख्या २९—अफीम	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३०—स्टाम्प	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३१—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३२—लेखा परीक्षा . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३३—चलमुद्रा . . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३४—टकसाल	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३५—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३६—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३७—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३८—राज्यों को सहायक अनुदान . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३९—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३९८७—४०२४
मांग संख्या ४०—विभाजन पूर्व के भुगतान . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११४—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११५—चलमुद्रा पर पूंजी व्यय . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११६—टकसालों पर पूंजी व्यय .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११७—निवृत्ति वेतनों का राशिकृत मूल्य .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११८—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११९—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या १२०—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन .	३९८७—४०२४
जाति भेद उन्मूलन विधेयक—	
विचार करने, परिचालित करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—	
असमाप्त	४०२४—४०७६
डा० एम० एम० दास . . .	४०२४—४०२७
श्री डाभी	४०२७—४०३१
श्री एन० बी० चौधरी . . .	४०३२—४०३३
श्रीमती ए० काले . . .	४०३३—४०३४
श्री एन० राचय्या . . .	४०३४—४०३६
श्री केशवैयंगार . .	४०३६—४०३७
श्री साधन गुप्त	४०३७—४०३९
श्री एस० सी० सामन्त . .	४०३९
श्री जांगड़े	४०३९—४०४२
डा० सुरेश चन्द्र . . .	४०४३

	स्तम्भ
श्री राम दास . . .	४०४३—४०४४
श्री एस० सी० सिंघल	४०४४—४०४७
श्री वाल्मीकि	४०४७—४०५४
श्री भक्त दर्शन	४०५४—४०५७
सरदार हुक्म सिंह	४०५७—४०५९
श्री नवल प्रभाकर	४०५९—४०६१
श्री एन० सोमना . . .	४०६१—४०६२
पंडित ठाकुर दास भार्गव . .	४०६२—४०६७
पंडित एस० सी० मिश्र . .	४०६७—४०६८
सरदार ए० एस० सहगल .	४०६८—४०७०
श्री वीरस्वामी . . .	४०७०—४०७२
श्री आर० के० चौधरी . .	४०७२—४०७४
श्री जी० एल० चौधरी .	४०७४—४०७६
राज्य-सभा से सन्देश . .	४०७६
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूपमें पटल पर रखा गया .	४०७६

संख्या ४१—शनिवार, १६ अप्रैल १९५५

भारत का राज्य बैंक विधेयक—पुरःस्थापित .	४०७७
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	४०७८
मांग संख्या २५—वित्त मंत्रालय .	४०७८, ४१५०, ४१७३, ४१७४
मांग संख्या २६—सीमा-शुल्क .	४०७८—४१५०
मांग संख्या २७—संघ उत्पादन शुल्क	४०७८—४१५०
मांग संख्या २८—निगम कर तथा सम्पदा-शुल्क सहित आय पर कर .	४०७८—४१५०
मांग संख्या २९—अफीम .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३०—स्टाम्प	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३१—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३२—लेखा परीक्षा	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३३—चल मुद्रा	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३४—टकसाल . . .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३५—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३६—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३७—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३८—राज्यों को सहायक अनुदान . . .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३९—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	४०७८—४१५०

स्तम्भ

मांग संख्या ४०—विभाजन-पूर्व के भुगतान . . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११४—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११५—चल-मुद्रा पर पूंजी व्यय . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११६—टकसालों पर पूंजी व्यय . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११७—निवृत्ति वेतनों का राशिकृत मूल्य . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११८—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११९—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या १२०—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन ४०७८—४१५०
मांग संख्या १६—शिक्षा मंत्रालय . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १७—पुरातत्व . . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १८—अन्य वैज्ञानिक विभाग . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १९—शिक्षा . . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या २०—शिक्षा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ११२—शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ७४—विधि मंत्रालय . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ७५—न्याय व्यवस्था . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ८४—संसद-कार्य विभाग . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९३—परिवहन मंत्रालय . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९४—पत्तन तथा पोत-मार्ग प्रदर्शन . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९५—प्रकाश-स्तम्भ तथा प्रकाश-पोत . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९६—केन्द्रीय सड़क निधि . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९७—संचार (राष्ट्रीय राज-पथों सहित) . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९८—परिवहन मंत्रालय के अधीन विविध व्यय ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३३—पत्तनों पर पूंजी व्यय . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३४—सड़कों पर पूंजी व्यय . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३५—परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १०४—संसद . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १०५—संसद सचिवालय के अधीन विविध व्यय . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १०६—उपराष्ट्रपति का सचिवालय . . . ४१७३—४१७४

वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) संशोधन विधेयक—पारित ४१४९—४१५१

श्री एम० सी० शाह . . . ४१४९—४१५१

समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर विचार—असमाप्त . . ४१५१—४१७३
खंड १४ . . . . . ४१५१—४१७३

विनियोग (संख्या २) विधेयक—पुरःस्थापित . ४१७५—४१७६

संख्या ४२—सोमवार, १८ अप्रैल, १९५५

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९५४ (भाग १) . .	४१७७
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	४१७७—४१७८
समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक— . . .	४१७८—४१८३
खंड १४ से १७ और १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	४१७८—४१८३
पंडित ठाकुर दास भार्गव	४१८३—४१९२
श्री आर० के० चौधरी	४१८३—४१८७
पंडित एस० सी० मिश्र	४१८७—४१८८
श्री ए० सी० गुहा	४१८८—४१९२
विनियोग (संख्या २) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४१९२—४१९८
डा० लंका सुन्दरम्	४१९३—४१९५
श्री सी० डी० देशमुख	४१९५—४१९७
पारित	४१९८
वित्त विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४१९८—४२६६
श्री सी० डी० देशमुख	४१९८—४२१८
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	४२१९—४२२३
श्रीमती मायदेव	४२२४—४२२६
श्री के० के० बसु	४२२६—४२३१
श्री यू० सी० पटनायक	४२३१—४२३२
पंडित एस० सी० मिश्र . . .	४२३२—४२३४
श्री एस० सी० सामन्त	४२३४—४२३६
श्री के० एल० मोरे	४२३६—४२३९
श्री एन० सी० चटर्जी . .	४२३९—४२४४
श्री वाई० एम० मुक्णे . .	४२४४—४२४६
श्री बंसल	४२४६—४२४९
श्री नेवटिया	४२४९—४२५०
श्री जी० डी० सोमानी	४२५१—४२५३
पंडित ठाकुर दास भार्गव . . .	४२५३—४२६६

संख्या ४३—मंगलवार, १९ अप्रैल, १९५५

वित्त विधेयक-याचिका उपस्थापित	४२६७
वित्त विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव—असमाप्त . .	४२६७

	स्तम्भ
श्री रामचन्द्र रेड्डी	४२६७—४२७१
श्री विमला प्रसाद चालिहा	४२७१—४२७५
श्री बासप्पा	४२७५—४२७८
श्री एन० बी० चौधरी	४२७८—४२८१
श्री तुलसीदास	४२८१—४२८५
डा० कृष्णस्वामी	४२८५—४२८८
श्री रघुनाथ सिंह	४२८८—४२९४
श्री विश्वनाथ रेड्डी	४२९४—४२९७
श्री रिशांग किशिंग	४२९७—४३००
श्री जजवाड़े	४३००—४३०८
पंडित के० सी० शर्मा	४३०८—४३११
बाबू राम नारायण सिंह	४३११—४३१६
श्री मात्तन	४३१६—४३१८
श्रीमती सुषमा सेन	४३१८—४३२०
श्रीमती इला पालचौधरी	४३२०—४३२३
श्री बोगावत	४३२३—४३२५
श्री थानू पिल्ले	४३२५—४३२७
श्री वी० जी० देशपांडे	४३२८—४३३४
श्री डी० डी० पन्त	४३३४—४३३६
श्री ईश्वर रेड्डी	४३३६—४३३८
श्री टी० सुब्रह्मण्यम्	४३३८—४३४०
श्री एम० आर० कृष्ण	४३४०—४३४१
श्री शिवनजप्पा	४३४१—४३४४
श्री डी० सी० शर्मा	४३४४

संख्या ४४— बुधवार, २० अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण ४३४५—४३४६

सभा का कार्य— ४३४६—४३५०

समय-नियतन का आदेश ४३५०—४३५१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अठाट्इसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ४३५१

वित्त विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ४३५१—४३८०

श्री डी० सी० शर्मा ४३५१—४३५४

श्री टंडन ४३५४—४३६२

श्री एम० सी० शाह ४३६२—४३८०

खंड २ से ३० ४३८०—४५८६

संख्या २५— गुरुवार, २१ अप्रैल, १९५५

श्री डी० डी० पन्त का निधन ४५८७—४५९०

लोक-सभा

बुधवार, ६ अप्रैल, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ बजे मध्यान्ह

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

समिति के लिये निर्वाचन

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८, यथा संशोधित, की धारा ४ की उपधारा (३) के खंड (ग) के अनुसार यह सभा उस रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करने के लिये कार्यवाही करे ।"

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव को सभा के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये जाने के बाद ही मांगा जा सकता है ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मैं जानना चाहता था कि कितनी बैठकें हुई और क्या कार्यवाही की गई, तथा क्या बैठक की कार्यवाही सभा को उपलब्ध की जाती है या की गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रतिवेदन सभा में दिया जाता है, पर मैं नहीं जानता था कि इस औपचारिक प्रस्ताव के समय इन विवरणों का प्रश्न उठेगा । मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देने के लिये बिल्कुल तैयार नहीं हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिये रखूंगा ।

[अध्यक्ष महोदय]

प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८, यथा संशोधित, की धारा ४ की उपधारा (३) के खंड (ग) के अनुसार यह सभा उस रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करने के लिये कार्यवाही करे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सम्बन्ध में नाम निर्देशन, नाम वापस लेने और आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिये निम्न तिथियां निश्चित की गई हैं :—

नामनिर्देशन की तिथि —७-४-१९५५ ।

नाम वापस लेने की तिथि—९-४-१९५५

निर्वाचन की तिथि—१२-४-१९५५ ।

नामनिर्देशन और नाम वापस लेने के पत्र संसदीय सूचना कार्यालय में इन तिथियों को ४ म० प० तक लिये जायेंगे । निर्वाचन, जो एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, समिति कमरा संख्या ६२, पहली मंजिल, संसद् भवन में ११ म० पू० से १-३० म० प० तक होगा ।

सभा का कार्य

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : जैसा सभा को विदित है, समुद्र सीमाशुल्क (संशोधन) विधेयक पर और आगे विचार तथा वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) संशोधन विधेयक और मद्यसारिक उत्पाद अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक पर विचार शनिवार, ९ अप्रैल, १९५५ की कार्यसूची में सम्मिलित किया गया हैं । फलस्वरूप वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर मतदान जो गुरुवार, ७ अप्रैल को होने वाला था, संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक के पास हो जाने के बाद फिर लिया जायेगा । वित्त मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर मतदान उस के बाद होगा ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान के कार्यक्रम में यह थोड़ा सा सुधार कार्य की आवश्यकता के कारण अपेक्षित हो गया है और मैं इस की घोषणा इस सभा में ४ अप्रैल को कर भी चुका हूं ।

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें*

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के बारे में मांगें

अध्यक्ष महोदय : अब सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय की मांगों पर और आगे चर्चा होगी । नियत पांच घंटों में से चार कल पूरे हो गये थे, एक घंटा बाकी है । कल श्री बूबराघस्वामी बोल रहे थे, आज मैं उनके बाद मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिये बुलाऊंगा ।

श्री बूबराघस्वामी (पैराम्बलूर) : मैं कल परियोजनाओं के सम्बन्ध में मंत्रालय की प्रगति की चर्चा कर रहा था । १९४८ में शुरू हुई हीराकुड परियोजना के बारे में १९५६ तक पानी और बिजली उपलब्ध हो जाने की बात कही गई है, इसमें बहुत लम्बा समय लगा है ।

कोणार बांध पूरा हो गया है और उस में पानी भरा गया है । उसे शीघ्र उपयोग

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

के लिये उपलब्ध करना चाहिये । मैथोन में प्रयुक्त सामग्री से ही पंचेट में काम शुरू किया जायेगा, अतः वहां काम अब तक शुरू नहीं हुआ है । पता नहीं यह कब शुरू हो पायेगा ।

भाखड़ा नंगल का काम १९४६ में शुरू हुआ था, पर बांधों की खुदाई काम अब शुरू हुआ है । उस के बाद ही इस से बिजली पानी उपलब्ध हो सकेंगे । तुंगभद्रा में काम लगभग पूरा हो चुका है, पर छोटे-मोटे काम पूरे न होने में बहुत देर होने से बिजली-पानी जनता को शीघ्र प्राप्त नहीं हो सकगे ।

अतिरिक्त कर्मचारियों और १४५८ लाख के अतिरिक्त व्यय के होते हुए भी परियोजनाओं के काम की यह दशा है और अब वे कर्मचारियों के लिये ४·५ लाख की और मांग कर रहे हैं ।

कृषि-कार्य में नई टेकनीक और छोटे-मोटे उद्योगों के लिये देहातों में बिजली बड़ी आवश्यक है । सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

हमारी शिकायत है कि बिजली और सिंचाई की बड़ी-बड़ी योजनाओं में दक्षिण की अवहेलना की जा रही है, और हमारे राज्य की योजनायें संसाधनों के अपर्याप्त होने आदि कारणों से ठुकरा दी गई हैं । संसद् सदस्यों ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र की अत्यावश्यक योजना मोहनूर नहर का सुझाव दिया है । कावेरी का पानी इस नहर में जाने से एक दुर्भिक्षग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी । उधर डेल्टा में लोग तीन-तीन फसलें करते हैं । योजना में बताया गया है कि कावेरी का ६० प्रति शत से अधिक पानी उपयोग में आता है । पर अभी सरकार ने यह प्रति शत ९५ बताया है । मुझे मद्रास सरकार के एक सचिव से मिले पत्र से पता चला है कि कावेरी का ८०-८५ प्रतिशत पानी काम में आता है, और सरकार को सावधानी से आगे बढ़ना होगा । पता नहीं इन में कौन सही है । वे आंकड़े बिना उचित पड़ताल किये ही दिये गये हैं, अतः उचित जांच कर के यह परियोजना अगली पंचवर्षीय योजना में शामिल करनी चाहिये ।

पुल्लमपदी नदी योजना से उक्त नहर योजना का व्यय कम किया जा सकता है, और उक्त क्षेत्र के लगभग आधे की आवश्यकता पूरी हो सकती है । कुछ और छोटी नदियां हैं । उन की भी पड़ताल होनी चाहिये । अय्यर प्रपात से भी बिजली पैदा हो सकती है और पानी से बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है । डैल्टा वालों की आपत्ति के आधार पर मोहनूर नहर योजना को टालना नहीं चाहिये । आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन तक कर के देश के संसाधनों को प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप में वितरित करना चाहिये । अतः उचित पड़ताल के बाद मोहनूर नहर योजना अगली पंचवर्षीय योजना में शामिल की जानी चाहिये ।

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : कल की चर्चा में सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की कार्य प्रणाली के बारे में सब प्रकार की बातें कही गई थीं । मैं उन उदार शब्दों के लिये बड़ा कृतज्ञ हूं और विवाद के बीच उठाये गये प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर दूंगा ।

आलोचना की सारपूर्ण बात वस्तुतः एक ही थी, वह भाखड़ा नहरों के बारे में थी । शेष तो माननीय सदस्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों सम्बन्धी विचार थे और कुछ बातें सूचना प्राप्त करने के लिये कही गई थीं । मेरे पास सभी बातों के बारे में टिप्पणियां हैं और उपलब्ध समय में मैं अधिकाधिक को निपटाने का प्रयत्न करूंगा । शेष के बारे में मैं माननीय सदस्यों के साथ बातचीत के लिये आगे आने वाले अवसरों

[श्री नन्दा]

और बैठकों में उन को उचित रूप से, सन्तुष्ट करने की चेष्टा करूंगा ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

सामने आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों के विरुद्ध मंत्रालय द्वारा किये गये समुचित उपायों की सराहना करते हुए इस बात पर जोर दिया गया था कि बहुत बड़ी-बड़ी राशियों के अन्तर्ग्रस्त होने के कारण पूरी-पूरी सावधानी रखी जानी चाहिये । मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं । हमारे संसाधनों का एक बड़ा अंश सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के बांट में आता है । इन परियोजनाओं की सक्षम और बचतपूर्ण कार्यान्वित के लिये वह हमारे उत्तरदायित्व का विषय हो जाता है । मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि इन परियोजनाओं का प्रशासन अधिकाधिक सक्षम और बचतपूर्ण बनाने के लिये हम प्रत्येक सम्भव कार्यवाही करते रहे हैं । हमारा लक्ष्य दुहरा था---एक तो हम अपने कामों में उच्च कारबार दक्षता प्राप्त कर सकें और दूसरे मंजूरी के लिये आने वाली परियोजनायें पर्याप्त आंकड़ों और उचित पड़ताल पर आधारित हों और उन की कल्पना सुदृढ़ रूप में की गई हो और परियोजनाओं के अधिकारी और सिंचाई और विद्युत संसाधनों के आयोजन से सम्बद्ध व्यक्ति जन, मशीन और सामग्री सम्बन्धी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने की चेष्टा करें और कार्य के निष्पादन में रोड़े खड़े न हों ।

श्रीमान्, इन बातों में प्रगति हुई है । पहला काम हम ने यह किया कि परियोजनाओं से मुख्यतः सम्बद्ध इंजीनियरों की गोष्ठियां करवाईं, जिन में सब प्रकार की व्यावहारिक बातों पर विचार किया गया । इन चर्चाओं से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ, क्योंकि इस से मेरे निकट यह प्रकट हो गया कि हमारे पास ज्ञान और अनुभव का अपार भंडार है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं । साथ ही विधिवत् अध्ययन के लिये और उचित उपपत्तियों और निष्कर्षों पर पहुंचने के लिये समितियां भी बनाई गईं ।

एक समिति से माननीय सदस्यगण परिचित हैं, जिसका नाम संयंत्र और मशीन समिति है । इस का प्रतिवेदन हमारे पास है और उस पर कार्यवाही की जा रही है । एक और दूसरी समिति थी, जिस की आवश्यकता इस कारण उत्पन्न हुई कि हमें अनुभव हुआ कि विभिन्न परियोजनाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की कमी है । अब सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अधीन हम ने एक विस्तृत कार्यक्रम बना रखा है, और इसलिये हमें इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ये कठिनाइयां बढ़ न जायें । इसलिये यह कर्मचारी-समिति अक्तूबर १९५४ में नियुक्त की गई थी । इस समिति का यह काम है कि यह १० या १५ वर्ष आगे का ध्यान रखते हुए व्यापक कार्यक्रम बनाये, और इस बात का ध्यान रखे कि विदेशी कर्मचारियों को बुलाने की आवश्यकता क्रमशः कम होती जाय और यदि वे मंगवाये भी जायें, तो कम से कम संख्या में मंगवाये जायें । यह समिति शीघ्र ही प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।

इस समिति का एक महत्वपूर्ण काम यह है कि वह हमारी परियोजनाओं के कार्य की इस प्रकार व्यवस्था करें कि जब एक परियोजना पूर्ण हो जाय तो उस के टैक्निकल कर्मचारियों को दूसरी परियोजना में लगा दिया जाय, ताकि ऐसा न हो कि एक समय हमारे पास कर्मचारी कम हैं और एक समय इतने कर्मचारी हैं कि हम उन सब से काम नहीं ले सकते ।

इस मंत्रालय के सम्बन्ध में एक बात मेरे मन में चक्कर काट रही है कि भूतकाल में विलम्ब बहुत हुआ है । हमारे पास फजूल-खर्ची के भी उदाहरण हैं परन्तु हमें इन बातों का पता तब लगा जब ये बातें हो चुकी थीं । इसलिये यह समस्या हमारे सामने है कि हम इन बातों को क्यों नहीं रोक सके और हम काफी पहले ही क्यों ऐसी कार्यवाही न कर सके ताकि ये बातें न होतीं या जब कोई गड़बड़ आरम्भ होती तो हम तुरन्त कार्यवाही करते ताकि वह बात न बढ़ पाती और अधिक हानि न हो सकती । यह बात मेरे ध्यान में थी, और इसी उद्देश्य से कि हम गड़बड़ी को तुरन्त समय पर पकड़ सकें, यह आवश्यक हो गया था कि ऐसी प्रणाली निकाली जाय जिस के द्वारा हम यह अनुमान लगा सकें कि किसी परियोजना विशेष का काम पिछले समय की तुलना में किसी समय विशेष पर किस प्रकार चल रहा है और अन्य परियोजनाओं की तुलना में कैसा है और जहां विलम्ब अथवा अपव्यय हो, वहां उसे पकड़ सकें । अभिलाषा यह है कि अन्य किसी व्यापार गृह के सम हम महीने की समाप्ति के कुछ दिन पश्चात् यह कह सकें कि इतना व्यय हुआ है, आया वह वास्तविक काम से मेल खाता है अथवा अधिक है या अनुमानित राशि से कम है ।

इस लक्ष्य की प्राप्ति में दो बातें बाधक सिद्ध हुई । हमारे पास लागत का हिसाब लगाने की प्रणाली नहीं थी और दूसरे, हमारे पास लागत तथा दरों आदि को निर्धारित करने वाले विभिन्न तत्वों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी, जिन के द्वारा हम यहां बैठे हुए यह निश्चय कर सकते कि अमुक स्थान पर अवश्य भिन्नता होगी—आया यह भिन्नता उस स्थान की परिस्थितियों के कारण युक्तियुक्त है । परन्तु इस कमी को पूरा करने के लिये हमने दरों और लागत के समस्त मामले का परीक्षण करने की दृष्टि से एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की । इस समिति ने अपना काम अभी समाप्त नहीं किया है, परन्तु इसने अपना काम करते हुए हमें ऐसी स्थितियों का निपटारा करने में पर्याप्त सहायता दी है ।

हाल ही में ऐसा अनुभव हुआ कि अमुक स्थान पर अधिक व्यय हो रहा था और इस समिति ने उस मामले की जांच की और मालूम किया कि वहां सन्तोषजनक काम नहीं हो रहा था । इसलिये हम उस मामले में समय पर कार्यवाही करने में समर्थ हो सके । अन्यथा हमें उस बात का कई महीने बाद पता चलता और तब हम उस को हल करने में असमर्थ रहते । उस समिति को नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श के साथ भांडारों का लेखा तथा फार्मों का काम सौंपा गया है और यह काम भी किया जा रहा है ।

मैंने कुछ उपायों का संकेत किया है जो समस्या को हल करने और इस बात का निश्चय करने के लिये, कि हम अपने उत्तर-दायित्व को अच्छी तरह पूरा कर रहे है, किये जा रहे हैं । अभी यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि हम वास्तव में इस कार्य में कितने सफल हुए हैं । मैं इतना कह सकता हूं कि जिस मात्रा तक इस काम की ध्यानपूर्वक पड़ताल की गई है, हम न्यूनाधिक रूप में सफल हुए हैं । विशिष्ट समय पर विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ न्यूनतम अपव्यय और कुछ अवांछनीय बातें होती ही रहेंगी । किन्तु हम प्रयत्न करते रहते हैं कि उपायों तथा साधनों द्वारा इन की मात्रा यथासंभव न्यूनतम रखी जाय ।

भाखड़ा नहरों के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार के प्रश्न उत्पन्न किये गये थे । मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि अन्य स्थानों पर छोटे

[श्री नन्दा]

पैमाने पर भ्रष्टाचार नहीं होता । मैं यह नहीं कह सकता कि यह प्रवृत्ति पूर्णतया नष्ट हो चुकी है । हमें इस के लिये मार्ग खोजने पड़ेंगे । अभी हम इस स्तर पर नहीं पहुंचे कि साधारणतया प्रचलित भ्रष्टाचार को पूर्णतया समाप्त कर सकें । अभी यह पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ है । हम इसे रोकने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और हमें पर्याप्त सफलता मिल रही है । हमें यह मालूम होना अच्छा ही है कि भ्रष्टाचार अभी हो रहा है, क्योंकि तभी हम इस को रोक सकते हैं । मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब भी मुझे भ्रष्टाचार के छोटे या बड़े मामले की सूचना मिलेगी, मैं उस की जांच करूंगा, और यदि मैं स्वयं उस की जांच नहीं कर सकूंगा तो मैं उस की यथोचित जांच का उचित प्रबन्ध करूंगा । यदि कोई त्रुटि है तो उसे जानने और जान कर दूर करने का प्रयत्न करने और हालात को सुधारने में बड़ी प्रसन्नता मिलती है ।

सरदार हुक्म सिंह ने भाखड़ा-नंगल स्थिति के बारे में कल जो आलोचना की है, वह उचित नहीं है । यदि उन्होंने मेरी या अन्य किसी व्यक्ति की जानकारी के साथ ठीक जांच पड़ताल की होती, तो निश्चय ही वह यह बातें न कहते । उदाहरणार्थ, जब वह बोल रहे थे, तो मैं उठा और मैंने अपने निजी सचिव के बारे में कहा । मैं ने जांच पड़ताल की । यह प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति की जाति उन सम्बद्ध व्यक्तियों से भिन्न है, और उसका उन लोगों से कोई रिश्ता नाता नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : रिश्ते के भाइयों के भाइयों की जाति भिन्न हो सकती है । मंत्री महोदय को अपना उत्तर देना चाहिये, और उसके पश्चात् मुझे भी बोलने का अवसर देना चाहिये ।

श्री नन्दा : मैं इस प्रकार के सब सम्बन्धियों की जांच कर चुका हूं । वास्तव में यदि वह अन्य जातियों के साथ मेल करता तो मुझे प्रसन्नता होती, क्योंकि हम जाति प्रणाली को समाप्त करना चाहते हैं । उसका उन क्षेत्रों में कोई भाई बन्धु नहीं है । उन का उस से कोई भी सम्बन्ध नहीं है । मेरे संयुक्त सचिव का मध्य प्रदेश का १५ वर्ष का अनुभव है । वह अपने कई सम्बन्धियों को जानता भी नहीं, और उसने भाखड़ा-नंगल परियोजना क्षेत्र में पांव भी नहीं रखा । दुर्भाग्यवश पंजाब की उस परियोजना में शुद्ध वातावरण नहीं है । कुछ लोगों को कठिनाइयां और आन्दोलन उत्पन्न कर के कुछ लाभ होता है, वह अवांछित ढंग से समाचारपत्रों और आन्दोलनों द्वारा प्रचार करते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के लिये अच्छा काम नहीं है । यदि ऐसा समझा जाता हो कि मेरे पास उनका अभ्यावेदन नहीं पहुंचता तो उस विषय में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि मेरे पास उनका भेजा हुआ कोई पत्र न आये, तो सम्बद्ध अधिकारी को कड़ा दण्ड दिया जायगा ।

अब मैं भाखड़ा-नंगल के विभिन्न मामलों का संक्षेप में उत्तर दूंगा । कुछ सदस्यों ने कहा है कि भाखड़ा-नंगल परियोजना की बिजली को प्रयोग में नहीं लाया जाता । मैं इसका पहले ही उत्तर दे चुका हूं । आशा की जाती है कि मई १९५५ के अन्त तक २४,००० किलोवाट बिजली का पूर्णतया उपभोग होगा ।

प्रवाह-परिवर्तन कार्यक्रम के स्थगित करने के बारे में कहा गया है लेकिन लम्बे वर्षाकाल के अतिरिक्त मशीनरी पहुंचने में भी बहुत विलम्ब हुआ । मैं केवल एक दृष्टान्त दूंगा । मई १९५२ में ५ १/२ घन गज़ विद्युत्

फावड़ा के लिये भारतीय भंडार विभाग, लन्दन, को आर्डर दिया गया था । तुरन्त भेजने का वचन दिया गया था, परन्तु वास्तव में फावड़ा जनवरी १९५३ में आया परन्तु इस के साथ काम में आने वाली तार और ट्रांसफारमर क्रमशः जुलाई और मार्च १९५३ में पहुंचे । इसी प्रकार के और भी उदाहरण हैं । संयुक्त राज्य अमरीका में इस्पात की हड़ताल हो गई थी । मुझे विश्वास है कि प्रवाह-परिवर्तन में जिन कारणों से विलम्ब हुआ है उन के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था, पूर्णता की तिथियों में कोई अन्तर नहीं पड़ता, क्योंकि यह काम साथ साथ किसी और चीज़ के साथ चल रहा है, और वह परम्परा जारी है ।

भाखड़ा में बारूद से जमीन उड़ाने का मामला बड़ा दुष्कर है । जब मुझे सन्देह हुआ मैं ने स्वय जांच की और पूरी जांच के पश्चात् मैं ने निश्चय किया कि वहां कोई खराबी नहीं हुई है । यह भी आरोप लगाया गया कि बारूद से अधिक भूमि उड़ाये जाने के कारण भाखड़ा बांध का स्थान खराब हो गया है और बांध तथा विद्युत संयंत्र दोनों को स्थानान्तरित करना पड़ेगा, जिस पर ३ करोड़ रुपये खर्च आयेगा । माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि भूतत्व-शास्त्री ने पहले ही बता दिया था कि इस स्थान पर बारूद से अधिक भूमि उड़ाने से काफी हानि हो सकती है, परन्तु उस की चेतावनी की उपेक्षा की गई । बात यह है कि अमरीकी भूतत्व शास्त्री डा० निकल ने १९४९ में भाखड़ा बांध का स्थान देखा था और उस ने यह परामर्श दिया था कि विद्युत संयंत्र को क्ले-स्टोन पर स्थापित किया जाय और खुदाई का काम ध्यानपूर्वक किया जाय । अक्तूबर १९५२ में भी भाखड़ा मंत्रणादाता बोर्ड ने इसका परीक्षण किया था, जिस के श्री निकल भी एक सदस्य थे । इस बोर्ड ने १९४९ में डा० मैवेज द्वारा प्रस्तावित विद्युत संयंत्र स्थान को अनुमोदन दे दिया और उपलब्ध स्थान की सीमाओं को देखते हुए और जिस सतर्कता के साथ नींव और खाद्य का स्थान तैयार करना चाहिये इसको दृष्टिगत रखते हुए, बोर्ड ने कुछ प्रक्रिया निश्चित की । बोर्ड के अनुदेशों का ध्यान पूर्वक पालन किया गया । वास्तव में स्थानीय अधिकारियों ने सब अवस्थाओं में सुरक्षा का ध्यान रखा । जून १९५४ में बोर्ड ने फिर इस स्थान को देखा और यह अनुभव किया कि उन के द्वारा जो प्रक्रिया निश्चित की गई थी, उस का ठीक पालन किया जा रहा है और इस ने उस काम को अनुमोदित किया । पुनः इस स्थान की बोर्ड के सभापति श्री ए० एन० खोसला द्वारा जांच की गई और तत्पश्चात् भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण के निदेशक डा० एम० एस० कृष्णन और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के सभापति श्री कंवर सेन ने इस स्थान का निरीक्षण किया और उन सब का यही मत था कि बारूद उड़ाने के कारण कोई हानि नहीं हुई । बांध के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । खुदाई के दौरान में होने वाली कुछ घटनाओं के कारण विद्युत संयंत्र को स्थानान्तरित किया गया है ।

विद्युत संयंत्र के स्थानान्तरण पर ३ करोड़ नहीं अपितु केवल २३ लाख रुपया खर्च होगा ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या बिजली घर का स्थानान्तरण करने में अधिक पाइपों की आवश्यकता पड़ेगी यदि हां तो इस पर कितनी लागत आयेगी ।

श्री नन्दा : सारा खर्च इस में शामिल है । मैं माननीय सदस्य को सब ब्यौरा बताऊंगा ।

श्री टी० एन० सिंह (ज़िला बनारस-पूर्व) : क्या अन्तिम निर्णय करने से पूर्व उस स्थान पर परीक्षा के लिये खुदाई की गई थी और खुदाई से किन नई बातों का पता चला था ?

श्री नन्दा : कुछ कुछ अन्तर पर परीक्षा के लिये खुदाई की जाती है । बाद में जब खुदाई की जाती है तो कई बार थोड़े से क्षेत्र में कोई ऐसा तत्व मिलता है जिसे तुरन्त निकालना पड़ता है ताकि परीक्षा के लिये की गई खुदाई स्थायी रूप से काम में आ सके ।

मेरे पास बोर्ड के उन सदस्यों के नाम हैं जिन्हें बदल दिया गया है । भ्रष्टाचार के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक विशेष जांच अभिकरण भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगा रहा है जिसमें सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर, एक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस, एक एग्ज़ैक्टिव इंजीनियर, दो पुलिस इंस्पैक्टर, चार सब-इंस्पैक्टर, दो असिस्टेंट सब-इंस्पैक्टर और कुछ अन्य व्यक्ति हैं । पहले पहल यह १९५२ में स्थापित किया गया था । भाखड़ा बांध और नंगल जलविद्युत नहर के बारे में दिये गये अनुसन्धान के परिणामस्वरूप कुछ मामलों का पता चला था । यह सब मामले १९४८-५१ के समय के थे । भाखड़ा नहरों के बारे में दो ऐग्ज़ैक्टिव इंजीनियर, चार सब-डिवीज़नल पदाधिकारी, सात ओवरसीयर्स, एक सब-डिवीज़नल क्लर्क और तीन ठेकेदार गिरफ्तार किये गये थे । इन का सम्बन्ध १९५२ और १९५४ की अवधि से था ।

भ्रष्टाचार को रोकने के लिये भाखड़ा बांध प्रशासन में बचाव के विशेष ढंग अपनाये गये हैं । नंगल में कुछ इमारतों को छोड़ कर सारा कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है और किसी अनुचित लाभ प्राप्त करने वाले अथवा घटिया काम करने वाले ठेकेदार को काम नहीं दिया जाता ।

काम करने वालों को एक पृथक अभिकरण नियुक्त करता है, उनकी उपस्थिति कार्य का प्रभारी फोरमैन लगाता है, मजूरी का बिल एक तीसरा अभिकरण तैयार करता है और एक चौथा अभिकरण मजूरी का भुगतान करता है । यह सब अभिकरण स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं । भंडार की सब वस्तुओं की गणना हर छः मास के बाद की जाती है । ऐसी और भी कई बातें हैं पर मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता । जैसाकि मैंने बताया, १९५२ के पश्चात् कोई शिकायत नहीं मिली है ।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है नहरों पर कार्य बड़ी जल्दी में करना पड़ा । बहुत से लोगों को अनुभव नहीं था और कई अनर्ह ओवरसीयर नियुक्त करने पड़े । चारों ओर बहुत शीघ्र विस्तार हुआ । इन कारणों से कई अनियमित बातें हुईं । अपराधियों का पता लगाने और उन्हें दंड देने का हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है । मैं उन की कोई रियायत नहीं करता । उन में से प्रत्येक को दंड मिलना चाहिये और जो हानि हुई है उस का पूरा पता लगाना चाहिये । इस के मूल्य का अभी पता नहीं है पर वह काफी होगा । सम्भव है कि १० लाख रुपये या इस से अधिक हो । इस परियोजना पर १०० करोड़ रुपये का काम किया गया है ।

सभापति ने एक विशेष बात बताई कि काम बहुत जल्दी में करना पड़ा है । पानी उपलब्ध था और वे उसे प्रयोग में लाना चाहते थे । वे एक निश्चित समय में नहरों को पूरा करना चाहते थे जिस के दौरान में कुछ अपव्यय हुआ परन्तु कितना अपव्यय हुआ यह मालूम नहीं है । सब तथ्यों का पता लगाने के लिये उपयुक्त रूप से जांच की जायेगी और फिर मैं सभा को बताऊंगा कि वास्तव में क्या बात थी ।

भाखड़ा बांध प्रशासन के पदाधिकारियों द्वारा भाखड़ा नंगल के लिये मशीनरी खरीदने के प्रश्न के बारे में भी सरदार हुक्म सिंह ने कुछ कहा था । तथ्य इस प्रकार हैं । सीधे स्थान पर पहुंचाई जाने वाली उन वस्तुओं के लिये, जो मूल्य करारों में सम्मिलित नहीं हैं, अमरीका और भारत के निर्माताओं और सार्थों से प्रतियोगितात्मक टैंडर प्राप्त किये जाते हैं और कम से कम मूल्य बताने वाले से माल मंगवा लिया जाता है । दूसरी वस्तुओं के लिये सारे भारत से अथवा संसार भर से टैंडर लिये जाते हैं । १९५२ के पश्चात् ४५०० से अधिक आदेश दिये जा चुके हैं और केवल १४ बार खुले टैंडर नहीं मांगे गये । यह बड़ी आवश्यक वस्तुयें थीं और माल बहुत अच्छी प्रकार भेजा गया था । मूल्य भी सन्तोषजनक था । श्री स्लोकम अथवा वाशिंगटन में टैक्निकल अटाशे द्वारा, जिन के नाम का सरदार हुक्म सिंह ने उल्लेख किया है, कोई मशीनरी नहीं खरीदी गई है ।

सरदार हुक्म सिंह : स्लोकम की पुरानी मशीनें खरीदी गई थीं ।

श्री नन्दा : मैं इसे भी स्पष्ट कर दूंगा । यह आरोप लगाया गया था कि एक भद्र पुरुष जो किसी के सम्बन्धी थे वहां टैक्निकल अटाशे थे । उन के बारे में कहा गया था कि ऐग्ज़ैक्टिव इंजीनियर से वह मुख्य इंजीनियर बन गये । मैं उस बारे में भी कहूंगा । उस भद्र पुरुष का मशीनें खरीदने से कोई सम्बन्ध नहीं है । वे टैंडरों के आधार पर खरीदी जाती हैं और उनके बारे में यहां निर्णय किया जाता है । श्री स्लोकम अथवा टैक्निकल अटाशे का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

माननीय सदस्य ने पुरानी मशीनों के बारे में अभी कुछ कहा था । ६ करोड़ रुपये की मशीनरी में से केवल ७,५५,००० रु० की पुरानी मशीनें खरीदी गई हैं । इस में १,२५,००० रु० की वह मशीनें भी सम्मिलित हैं जो उत्सर्जन में से खरीदी गई थीं । सब पुरानी मशीनें अच्छी हालत में हैं । मैं ने स्वयं जा कर उन्हें नहीं देखा है परन्तु मैं उस सूचना के आधार पर कह रहा हूं जो मुझे मिली है । यदि माननीय सदस्य कोई और बात मेरे ध्यान में लाना चाहते हैं तो मैं अवश्य उस पर विचार करूंगा । पुरानी मशीनों के मामले की जांच पहले ही महा-लेखा-परीक्षक और संघ लोक लेखा समिति द्वारा की जा चुकी थी और यह सौदा ठीक समझा गया था । यह नई मशीनें या तो काम में लाई जा रही हैं या लगाई जा रही हैं और आशा है कि संयंत्र को अगले मई-जून में चालू कर के देखा जायेगा ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मंत्रालय के पास लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन है ?

श्री नन्दा : यह राज्य लोक लेखा समिति है ।

कुछ नामों की बड़ी चर्चा की गई है । परामर्शदाताओं के बोर्ड के सभापति केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के भूतपूर्व सभापति हैं परन्तु वह टैक्निकल मामलों में परामर्श नहीं देते । केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के वर्तमान सभापति का जंबाई, जिसकी ओर संकेत किया गया था, कुछ पदाधिकारियों में से उपयुक्त ढंग से चुना गया था और मशीनें खरीदने से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं । वह अब भी ऐग्ज़ैक्टिव इंजीनियर है ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं ने कहा था कि वह मुख्य इंजीनियर का वेतन ले रहा है ।

श्री नन्दा : वह उतना वेतन नहीं ले रहा है । जब कोई व्यक्ति वाशिंगटन जाता है तो उसे कुछ भत्ते मिलते हैं जो इस श्रेणी के पदाधिकारियों को मिलते हैं । उसे वे भत्ते मिल रहे हैं ।

[श्री नन्दा]

यह भी कहा गया है कि महा प्रबन्धक का जमाई कुछ मामलों में फंसा हुआ था फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई जबकि दूसरों को गिरफ्तार किया गया । मेरे पास विस्तृत विवरण है परन्तु मैं संक्षेप में कहूंगा । इस व्यक्ति को अमरीका में बान्ध निर्माण का विशेष प्रशिक्षण दिलाया गया था । इसके खिलाफ एक शिकायत की गई और विशेष जांच समिति ने, जो भ्रष्टाचार के दूसरे मामलों का अनुसन्धान करती है, इस मामले का अनुसन्धान किया । पता चला कि पुलिस को भेजी गई शिकायत में जो आरोप लगाये गये थे वे सब निराधार थे । महा प्रबन्धक के एक साथी ने मामले की पूरी जांच की क्योंकि महाप्रबन्धक ने इस विषय में कोई कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया था । पुलिस के इंस्पैक्टर जनरल, वैधानिक मंत्रणाकार, सहायक महाधिवक्ता, पंजाब के सिंचाई मंत्री तथा मुख्य मंत्री ने भी इस की जांच की थी । उन्हें इस बात का सन्तोष हो गया था कि पदाधिकारी पर लगाये गये आरोप निराधार थे और उन का अभिप्राय महा प्रबन्धक को भ्रष्टाचार के मामलों का अनुसन्धान करने से रोकना था । वास्तव में स्थिति इस प्रकार थी ।

भाखड़ा नंगल को मैं ने बहुत समय लगा दिया है । माननीय सदस्य दूसरे मामलों के बारे में भी जानना चाहते होंगे । हम विभिन्न राज्यों के सदस्यों को प्रायः मिलते रहते हैं और पूरी तरह चर्चा करने के पश्चात् जानकारी दी जाती है ।

साइफ़न के मामले की जांच हो रही है । राज्य की लोक लेखा समिति उन मामलों का निबटारा कर रही है ।

अब मैं दामोदर घाटी निगम की ओर आता हूं ।

श्री बुबराधस्वामी : मैं कावेरी संसाधनों सम्बन्धी आंकड़ों में अन्तर का कारण जानना चाहता हूं ।

श्री नन्दा : पहले मुझे वे आंकड़े देखने होंगे जो माननीय सदस्य ने बताये हैं और उन्हें ठीक करना होगा ।

दामोदर घाटी निगम के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार के द्वारा भूमि का अर्जन किया जा रहा है । प्रतिकर देने में कुछ विलम्ब हो गया था । इस पर पश्चिमी बंगाल सरकार का ध्यान दिलाया गया था । उन्होंने भूमि अर्जन करने वाले कर्मचारी बढ़ा दिये हैं और आशा है कि काम तीव्र गति से हो रहा है ।

मानचित्र तैयार करने में दामोदर घाटी निगम द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की निगम ने व्याख्या की है कि कुछ टैक्निकल और आर्थिक आधारों पर सम्बधित स्थान का सर्वेक्षण करने और आगे जांच करने के पश्चात् मूल मानचित्रों को बदलना पड़ा था । जो माननीय सदस्य इस बात में विशेष रुचि रखते हैं मैं उनके साथ विस्तारपूर्वक चर्चा कर सकता हूं ।

सीतलजोर नाले से सिंचाई करने के सम्बन्ध में कुछ कहा गया है । इस नाले से जल को ऊंचे स्तर पर लाकर इस समय कुछ निकृष्ट ढंग से सिंचाई हो रही है । यद्यपि इस नाले को साली नदी में डाला जा रहा है तो भी स्थानीय लोगों पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि दामोदर घाटी निगम की नहर के दाहिने किनारे से उनकी भूमि में जलप्रवाह के ज़ोर से सिंचाई की जायगी ।

मैं सब बातों को नहीं ले सकूंगा परन्तु क्योंकि मैं ने सदस्यों को वचन दिया था कि

उन्होंने चर्चा में जो बातें उठाई हैं उनके सम्बन्ध में सभी प्रकार की जानकारी दे कर उन्हें सन्तुष्ट करूंगा इसलिये उसके निष्कर्ष स्वरूप एक विषय की ओर निर्देश करूंगा । जिस विषय की ओर मैं अन्तिम रूप से निर्देश करना चाहता हूं वह हमारी परियोजनाओं में जनता द्वारा भाग लेने का प्रश्न है । समय समय पर जब माननीय सदस्य इस विषय पर बोलते हैं तो वे इस बात के महत्व पर जोर देते हैं कि जनता को इन में अधिकाधिक भाग लेने का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । हमने इस विषय पर बहुत विचार किया है और मैं सभा को यह बता सकता हूं कि इस दिशा में काफी प्रगति हो रही है । विचार यह है कि लोगों को इस बात का ज्ञान होना चाहिये और उन्हें अनुभव करना चाहिये कि क्या कार्य किये जा रहे हैं ताकि इस प्रकार वे विभिन्न ढंगों से सहायता करें । उदाहरणत: कोसी को ही लीजिये । यदि लोग स्वेच्छा से और बिना शर्तों के जमीनें न देते--उन्होंने कहा था "जो भूमि आप को चाहिये ले लीजिये और काम आरम्भ कीजिये"--यदि वे अपने पूरे वैध अधिकार प्राप्त करने का अनुरोध करते तो इस ऋतु में हम कोई भी कार्य न कर सकते । इसका अभिप्राय यह है कि जहां लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है वहां आप उस बचत का सुगमता से अनुमान नहीं लगा सकते जो धनराशि के रूप में अथवा कार्य की प्रगति के रूप में प्राप्त होगी । आसाम, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य कई भागों में कार्यों के सम्बन्ध में हमें अब लोगों का सहयोग बहुत मात्रा में प्राप्त हो रहा है ।

अब मैं श्रमदान के बारे में अपने विचार व्यक्त करता हूं । यह बहुत अच्छी चीज़ है । परन्तु इन बड़ी परियोजनाओं में इस से अधिक लाभ नहीं हो सकता, इस विषय में लोगों की सहकारिता का मूल्य उद्देश्य लोगों से सामूहिक रूप में कार्य करवाना है । अर्थात् यदि साधारण तरीकों से कार्य किया जाये तो उस में बहुत समय लगेगा, लागत अधिक आयेगी और लाभ प्राप्त करने में विलम्ब होगा । यदि हम काफी संख्या में उन लोगों को काम में लगा सकें जो साधारण श्रमिक नहीं हैं और काश्तकारी इत्यादि कर रहे हैं तो एक ऋतु में बहुत सा कार्य हो सकेगा और साथ ही उन लोगों को कुछ काम और धन भी मिल जायेगा जो अन्यथा अपने समय का लाभदायक ढंग से प्रयोग नहीं कर सकते ।

कोसी में हमें एक और अनुभव प्राप्त हुआ है । यदि पंचायतों के आधार पर बने हुए ये लोगों के सहकारी संगठन न होते, तो व्यय अवश्य बढ़ जाता । मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इन सहकारी संगठनों ने काम भी बहुत अच्छा किया है । सहकारी काम के सिद्धान्त का अनुसरण अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है । यह राष्ट्र के लिये बड़े महत्व का विषय है बड़ी बड़ी परियोजनाओं में सहकारी आधार पर काम करवाने से वह भ्रष्टाचार भी जो आजकल इतना फैला हुआ है दूर किया जा सकता है । हम इसे बहुत महत्व देते हैं । यद्यपि इस में प्रशासनात्मक और राजनीतिक कठिनाइयां पेश आती हैं, तथापि हम इन्हें दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि राज्य सरकारें जनता का सहयोग कैसे प्राप्त करती हैं ? हम जानते हैं कि राज्य सरकारें इसके विरुद्ध हैं ?

श्री नन्दा : ये नई चीजें हैं और धीरे धीरे अड़चनें दूर की जा रही हैं । बोरी गंडक पर स्वयं पदाधिकारियों ने सहायता दी थी और जनता के सहकारी संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर काम किया गया था ।

श्री सारंगधर दास (ढेंकानाल-पश्चिम कटक) : चूंकि इस वाद विवाद में हीराकुंड का उल्लेख नहीं किया गया, इसलिये मैं पूछना चाहूंगा कि क्या उन लोगों के विरुद्ध जिनके भ्रष्टाचार के बारे में लोक लेखा समिति और अन्य समितियों ने रिपोर्ट की थी उपयुक्त कार्यवाही की गई है ?

श्री नन्दा : कार्यवाही की जा रही है और कुछ कार्यवाही की जा चुकी है ।

डा० नटवर पांडे (सम्बलपुर) : इस प्रकार का सामान्य वक्तव्य हमारी शंकायें और सन्देह दूर नहीं कर सकता ।

श्री बुबराघ स्वामी : जब मैंने विभिन्न नदियों के सम्बन्ध में आंकड़े मांगे थे, तो माननीय मंत्री ने कहा था कि उन्हें केवल एक नदी में रुचि है । मैं ने सब नदियों के सम्बन्ध में आंकड़े मांगे थे । क्या उत्तर देने का यही तरीका है ?

श्री नन्दा : मैं ने यह कहा था कि मैं सब आंकड़े इकट्ठे किये बिना और उनका समन्वय किये बिना कोई अशुद्ध वक्तव्य नहीं देना चाहता । मैं ने यह नहीं कहा था कि मैं जानकारी नहीं दूंगा । जानकारी परिचालित की जायेगी ।

श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्बटूर) : सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं में कनक्रीट और चिनाई के बांधों के गुणावगण का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा । मैं ने कहा था कि यदि हम चिनाई के बांध बनायें, तो करोड़ों रुपये बच सकते हैं ।

सभापति महोदय : इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है । यदि माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं, तो वह एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

सरदार इकबाल सिंह (फ़ाज़िलका-सिरसा) : जानकारी के हेतु । माननीय मंत्री ने कहा था कि भाकड़ा में बिजली घर का स्थान बदलने से २३ लाख रुपये और व्यय होंगे । क्या इस व्यय में संस्थापन इमारतों आदि का व्यय भी सम्मिलित है, क्योंकि बांध की लम्बाई अधिक होगी ?

श्री नन्दा : मैं ने कहा था कि यह व्यय में शुद्ध वृद्धि है । यदि माननीय सदस्य ब्योरा चाहते हैं, तो मैं दे दूंगा ।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये, और अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय द्वारा शेष मांगें संख्या ६५, ६६, ६७, ६८, १२७ और १२८ मतदान के लिए प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई ।

(लोक-सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगें नीचे दी जाती हैं—संपादक, संसदीय प्रकाशन)

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६५	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय . .	१०,४८,०००
६६	सिंचाई (कार्यवहन व्यय सहित), नौपरिवहन, बन्ध तथा जल-निस्सारण कार्य (राजस्व से देय)	२३,०००
६७	बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें . .	९५,९५,०००
६८	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . . .	५९,३२,०००
१२७	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय	३,९५,६७,०००
१२८	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	१,२८,०००

गृह-कार्य मंत्रालय के सम्बन्ध में मांगें

सभापति महोदय : अब सदन गृह-कार्य मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ करेगी । माननीय सदस्य चुने हुए कटौती प्रस्तावों की संख्यायें पटल पर दे दें । यदि ये नियमानुकूल हुए और सम्बन्धित सदस्य उपस्थित हुए, तो इन्हें प्रस्तुत समझा जायेगा ।

१९५५-५६ के लिए अनुदानों की ये मांगें सभापति महोदय ने प्रस्तुत कीं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
५०	गृह-कार्य मंत्रालय	१,९३,०१,०००
५१	मंत्रिमंडल .	२८'६९,०००
५२	दिल्ली .	१,४७,८४,०००
५३	पुलिस . .	१,६२,९७,०००
५४	जनगणना	१८,३३,०००
५५	देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	२,०३,०००
५६	अन्दमान और निकोबर द्वीप समूह .	१,८३,६३,०००
५७	कच्छ . . .	१,२३,८६,०००
५८	मनीपुर . .	८५,५६,०००
५९	त्रिपुरा . . .	१,३४,४६,०००
६०	राज्यों से सम्बन्ध . .	४१,८७,०००
६१	गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . . .	१,६८,३४,०००
१२५	गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय .	२,५६,४३,०००

श्री तेलकीकर (नान्देड़) : मुझे आय-व्ययक के पक्ष या विरोध में कुछ नहीं कहना है । मैं अपने राज्य सम्बन्धी कुछ शिकायतों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि हैदराबाद राज्य के न्यायालयों में गांधी टोपियां पहनने पर प्रतिबन्ध है और वकीलों को न्यायालयों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता जब तक कि वे अपने सिर से गांधी टोपी उतार न लें । आजकल वहां जो नियम लागू हैं, उन के अनुसार दस्तार या पगड़ियां पहन कर तो न्यायालयों में जा सकते हैं, किन्तु टोपियां पहन कर नहीं । देखना चाहिये कि यह नियम किस सिद्धान्त पर आधारित है । यदि एकरूपता लाने के हेतु यह नियम बनाया

[श्री तलकीकर]

गया है, तो टोपी के अतिरिक्त और बहुत सी चीजें हैं जिन्हें पहना जा सकता है । अतः यहां एकरूपता का प्रश्न नहीं है। यदि सभ्यता को ध्यान में रखा गया है, तो मेरे विचार में गांधी टोपी असभ्य नहीं है । टोपियां कोई अशोभनीय चीज़ें नहीं हैं । पुराने जमाने में जो राजमुकट या ताज पहने जाते थे, वे भी सोने की टोपियां ही होती थीं । अतः मैं यह नहीं समझ सका कि टोपियों से घृणा क्यों की जाये ।

इस प्रकार गांधी टोपी का आदर करने वाले बहुत से वकील गांधी टोपी पहने हुए न्यायालयों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं ।

सम्मान प्रकट करने के भिन्न भिन्न तरीक़े भिन्न भिन्न लोगों में पाये जाते हैं । यदि लोग नंगे सिर जाना पसन्द करें तो इस में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । ध्यान देने की बात केवल इतनी है कि जो भी न्यायालय में जाये वह उसको सम्मान करे । कई प्रकार की पोशाकें विहित हैं, इसलिये एकरूपता भी नहीं हो सकती है ।

इस सम्बन्ध में मैं ने विधि मंत्रालय तथा गृह-कार्य मंत्रालय से कुछ प्रश्न पूछे थे, परन्तु उन प्रश्नों की अनुमति नहीं मिली । अनुमति न दिये जाने के कारणों का उल्लेख किया गया था जिन में कहा गया था कि इस से केन्द्रीय मंत्रालय का कोई सम्बन्ध नहीं था ।

विधि मंत्रालय के प्रतिवेदन में एक कण्डिका मुझे ऐसी मिली जिस में विधि मंत्रालय के कृत्य दिये हुए हैं । उस में कहा गया है कि विधि मंत्रालय को राज्यों के तथा केन्द्र के नियमों, उपनियमों तथा अन्य विधानों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है । विधि मंत्रालय तथा गृह-कार्य मंत्रालय दोनों ने यह बात स्वीकार की है । इस लिये मैं अपने गृह-कार्य मंत्री पंडित पन्त से निवेदन करूंगा कि वह वकीलों को न्यायालय में काम करते समय गांधी टोपी पहिनने का अधिकार दिलाये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिवेदनों को ही देखने से जान पड़ता है कि यह सब चीज़ें मार्च के पहले तैय्यार हो जाती हैं । परन्तु हमें यह मुश्किल से दो तीन दिन पूर्व दी जाती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें यह सामग्री कम से कम वाद विवाद होने के एक सप्ताह पूर्व दे दी जाये जिससे कि हम इस को वाद विवाद में भाग लेने के पहले पढ़ सकें ।

मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि संविधान के अनुच्छेद ५९ के अनुसार राष्ट्रपति की उपलब्धियों, भत्तों तथा विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में एक विधान बनाया जाने वाला है । मैं इतना और निवेदन करना चाहता हूं अनुच्छेद १५८ भी अनुच्छेद ५९ के समान है । इसलिये राज्यपाल की उपलब्धियों, भत्तों तथा विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में भी विधान बनाया जाये । यह तो भली भांति विदित है कि संविधान के अनुसार इन लोगों की उपलब्धियां और भत्ते उन की पद की अवधि में घटाये नहीं जायेंगे । इसलिये हम जो भी विधान बनायेंगे वह इन पर तो लागू होगा नहीं वह लागू होगा उन पर जो इन के बाद इन पदों पर नियुक्त किये जायेंगे । इसलिये हमें यह काम शीघ्र ही करना चाहिये और ऐसा विधान न केवल राष्ट्रपति वरन् राज्यपालों के सम्बन्ध में भी बनाना चाहिये । हमारे वर्तमान राष्ट्रपति बहुत ही सरल प्रकृति के व्यक्ति हैं, और अधिक तड़क भड़क पसन्द नहीं

करते हैं । इस लिये उन्हों ने अपनी इच्छा से इन वस्तुओं को त्याग दिया है । अतः हमारे लिये यह अवसर भी अच्छा है और साथ ही यह हमारे समाजवादी ढांचे की समाज बनाने के लक्ष्य के भी अनुकूल है ।

संविधान के अनुच्छेद १८ के अनुसार हमने सैनिक अथवा शिक्षा सम्बन्धी उपाधियों को छोड़ कर अन्य सभी उपाधियों पर निषेध लगा दिया है । परन्तु विभिन्न प्रकार के विभूषणों के रूप में वही पुरानी प्रथा फिर चल पड़ी है । लोकतंत्रात्मक ढाँचे को देखते हुए यह सुसंगत नहीं जान पड़ता है ।

सरकारी नौकरियों में भर्ती तथा लोक सेवा आयोग के सम्बन्ध में पहली बात मुझे यह कहनी है कि कुछ ही मास में सभी सेवाओं तथा सभी वर्गों को नियमित करने, उनकी पदोन्नति तथा वरिष्ठता की श्रेणियां निर्धारित करने का प्रयत्न किया गया है । कितने ही मामलों में अन्याय हुआ होगा । नियमों के द्वारा आप यह भी चाहते हैं कि वे हमें इन के सम्बन्ध में कुछ बतावें भी नहीं । मैं यह नहीं कहता हूं कि वे अपनी शिकायतें ले कर हमारे पास आयें । परन्तु कम से कम हम तो उन से सम्पर्क रख सकते हैं और इस प्रकार के ब्यौरे की बातों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ।

मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि बहुत सा कार्य जो पिछड़ गया था वह लोक सेवा आयोग द्वारा निपटाया जा रहा है । एक उपबन्ध संभवतः यह रखा गया है कि यदि कोई चुनाव किया जाय तो चुनाव को अन्तिम रूप दिये जाने के लिये संस्थापना अधिकारी से परामर्श किया जाये ।

अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपात काल के बहाने मंत्रालय या विभाग किसी व्यक्ति को रख लेते हैं ; उस के बाद लोक सेवा आयोग द्वारा समाचार पत्रों में उस पद का विज्ञापन किया जाता है । कितने ही प्रार्थना पत्र आते हैं । महीनों इन्टर्व्यू में लग जाते हैं । तब तक वह आदमी बराबर काम करता रहता है । उस के बाद सिफ़ारिश भी कभी कभी उसी अफ़सर द्वारा उसी व्यक्ति के पक्ष में की जाती है जो पहले से काम कर रहा है । कोई अर्हता उस में हो या न हो, इतने दिन काम कर के वह वातावरण को तो अपने अनुकूल बना ही लेता है । तब फिर यह सारा विज्ञापन देना, प्रार्थना पत्र आमंत्रित करना इत्यादि बिल्कुल व्यर्थ है । मैं चाहता हूं कि इस दोष को दूर किया जाये ।

इस प्रतिवेदन में कुछ बातें छंटनी के सम्बन्ध में भी हैं । इस प्रश्न पर विचार करने का काम सहायक सचिव की श्रेणी के पदाधिकारियों को दिया गया है । मैं समझता हूं कि शायद ही किसी विभाग का सचिव ऐसा हो जो यह कहे कि अमुक विभाग में इतने अतिरिक्त कर्मचारी हैं इसलिये इन को निकाल दिया जाये । यह लोग आपस में कुछ न कुछ समझौता तो कर ही लेते होंगे, जो सिफ़ारिश एक करता होगा दूसरा उस को मान लेता होगा और दूसरा सिफ़ारिश करता ही ऐसी होगा जिससे पहला व्यक्ति सहमत हो ।

राज्यों में नये मंत्रिमंडलों के बनाये जाने और पुराने मंत्रिमंडलों के भंग किये जाने के सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में जो सिफ़ारिश की जाती है यदि वह सत्तारूढ़ दल के हित में होती है तो मानी जाती है, नहीं तो नहीं । त्रावनकोर-कोचीन तथा आन्ध्र के उदाहरण इसकी पुष्टि करते हैं । पुराने मंत्रिमंडल ने जब सिफ़ारिश की थी कि विधान मण्डल भंग कर दिया जाये तो उसे स्वीकार कर लिया गया । अभी दुबारा जब वैसा ही अवसर आया और वही सिफारिश की गई तो उसे

[श्री राघवाचारी]

स्वीकार नहीं किया गया। दोनों बार सिफ़ारिश करने वाले दल अल्पसंख्यक थे और फिर भी दोनों के लिये भिन्न भिन्न प्रक्रियायें अपनाई गईं। आन्ध्र के मामले में तो इतनी औपचारिकता भी नहीं की गई कि विरोधी दल से पूछा जाता कि क्या वह मंत्रिमंडल बना सकता है। कारण यह बताया गया कि यदि ऐसा किया जाता तो वह पद का लालच दे कर अपने को अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक बना लेता। इतना होने पर भी त्रावनकोर-कोचीन में जब अवसर आया तो इन्हीं तरीकों से अल्पसंख्यक दल ने अपने को बहुसंख्यक बना लिया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इंगलण्ड की तरह हमारे यहां भी ऐसे अवसरों के लिये एक प्रथा होनी चाहिये, जिसका समान रूप से पालन किया जाये।

एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि विरोधी दल के प्रति सरकार का रवैय्या बहुत खराब है। अभी उसी दिन काश्मीर समस्या पर बोलते हुए प्रधान मंत्री ने कहा था, "आप की वहां की पी० एस० पी० और प्रजा परिषद् में अन्तर ही क्या है सिवाय इस के टोपियों की अदला बदली कर दी गई है,,। इसी प्रकार क्या-हम नहीं कह सकते हैं कि कितने ही जागीरदारों, प्रतिक्रियावादियों, जनसंघ वालों तथा अन्य व्यक्तियों को आपने केवल टोपी पहना कर अपने दल में सम्मिलित कर लिया है। काश्मीर की सारी पी० एस० पी० कार्यकारिणी भूतपूर्व राष्ट्रीय सम्मेलन वालों को ले कर बनी है। उस में प्रजा परिषद् का कोई है ही नहीं, और काश्मीर में प्रत्येक अवसर पर विरोधी दल के सामने अड़चनें उपस्थित की जा रही हैं। सभी सभ्य सरकारों में विरोधी दल आवश्यक होता है, इसलिये विरोधी दल के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिये।

कच्छ को लीजिये। वहां केन्द्रीय सरकार का प्रत्यक्ष प्रशासन है। यह क्षेत्र भी मद्य-निषेध नीति वाले क्षेत्र में सम्मिलित है, फिर भी अवैध रूप से मद्य तय्यार करना यहां एक कुटीर उद्योग बना हुआ है यहां कांडला बन्दरगाह है जहां बड़ी बड़ी मजूर बस्तियां हैं। यहां एक रासायनिक कारखाना है जहां हर प्रकार की मदिरा बनाई जाती है। उसी में से एक यू डी क्लोन है। साधारण आदमी यही समझता है कि यह कोई सुगन्धित इत्र जैसी वस्तु है। परन्तु यह एक प्रकार की मदिरा ही होती है। इस के अतिरिक्त यहां चोरी डकैती कत्ल दिन दहाड़े होते हैं, किसी की जान व माल सुरक्षित नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसका सुधार किया जाये।

विधियों में जो सुधार किया जाने वाला था वह भी अभी पूरा नहीं हुआ है। विधि आयोग तक की नियुक्ति नहीं हुई है। जब कोई विधान रखा जाता है तो वह या तो निवारक निरोध अधिनियम होता है या प्रेस एक्ट या इसी प्रकार का कोई अन्य विधान होता है। मैं चाहता हूं विधियों के सुधार का जो काम किया जाये वह डा० काटजू के नाम से सम्बद्ध हो और ऐसा सुधार किया जाये जिस से न्याय प्राप्त करना जनता के लिये कम खर्च का विषय हो जाये।

अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उनका सुधार करने का तरीक़ा केवल यही नहीं है कि छात्रवृत्तियां दी जायें या उनके लिये नौकरियां सुरक्षित रखी जायें। अनुसूचित जातियों पर, जो करोड़ों की संख्या में हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि समस्त राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों में और सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में यह एक नियम बना दिया जाये कि कोई भी हरिजन कुटिया में नहीं रहेगा, उसके लिये

आधुनिक किस्म का एक मकान बनाया जायेगा और जिसके लिये केन्द्र सहायता देगा । पास पड़ोस वालों को इससे सीख लेने का अवसर मिलेगा, तभी कुछ हो भी सकेगा ।

श्री हेमब्रोम (संथाल परगना व हज़ारीबाग़—रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं उसके बारे में मैं कुछ बातें आप के सामने रखना चाहता हूं । हमारे देहात में जहां आदिवासी लोग रहते हैं वहां आप की ओर से बहुत कुछ काम हो रहा है । इस के लिये तो हमें बहुत खुशी है लेकिन इस विषय में मैं एक बात आप के सामने रखना चाहता हूं । वहां पर जो आप के ठेकेदार लोग काम करवाते हैं, वे भोले आदिवासियों को एक रुपया, सवा रुपया दे कर अपना काम करवा लेते हैं जबकि उनको सरकार से १ रुपया १२ आना मिलना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट की ओर से हमारे क्षेत्र में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं । यहां जा कर ग़रीब आदिवासी लोग शराब में अपना पैसा खो देते हैं । यदि ये दुकानें समझदार लोगों के क्षेत्र में हों तो वे उनसे इतना नुकसान नहीं उठावेंगे, जितना कि हमारे आदिवासी भाई उठाते हैं । आदिवासियों को इतनी समझ नहीं है । इसलिये सरकार को चाहिये कि वह उन को इस से बचावे । जैसे आप हर चीज़ में उनकी मदद कर रहे हैं उसी तरह आप को उन्हें इस बुराई से भी बचाना चाहिये ।

इसके अलावा उस एरिया में बहुत से ऐसे आदमी हैं जो आदिवासियों को बहकाते हैं । जहां आपकी तरफ से स्कूल खोले जा रहे हैं वहां पर पादरी लोग आते हैं और आदिवासियों को अपने स्कूलों में भरती कराने का इन्तिज़ाम करते हैं । एक दूसरी बात जिस की ओर मैं माननीय गृह मंत्री और सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह है हमारे आदिवासियों के बीच में ईसाई मिशनरीज़ का प्रोपेगेंडा और इसको स्वयं उप गृह-मंत्री महोदय ने भी देखा और मैं समझता हूं कि उन्होंने आप के सामने उस सम्बन्ध में रिपोर्ट भी की होगी लेकिन उस ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है । इस पर आप को ध्यान देना चाहिये और यह जो हमारे आदिवासी लोगों का धर्म परिवर्तन करने की चेष्टायें की जा रही हैं, उनको रोकना चाहिये । हमारे लोगों में काफ़ी अशिक्षा फैली हुई है और अंग्रेज़ी शासन काल से हम लोग अज्ञान और अन्धकार की अवस्था में रहते आये हैं, और सरकार को हमारे उद्धार की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । सरकार इसका भी कोई ठीक हिसाब नहीं रखती है कि आज आदिवासियों की कितनी संख्या है और कितने बाहर चले गये हैं । पाकिस्तान से जो यहां लोग आये, उन रिफ्यूजीज़ का सरकार पूरा हिसाब रखती है कि इतने वहां से आये और यहां पर बसे लेकिन आदिवासियों के बारे में उसके पास कोई हिसाब नहीं है । हमारा भी हिसाब रहना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि बहुत थोड़े आदिवासियों के पास ज़मीनें हैं, बाक़ी सारे लोगों को मज़दूरी कर के अपना जीवन-निर्वाह करना पड़ता है । मैं आशा करता हूं कि सरकार उन की दुर्दशा की ओर ध्यान देगी । वहां पर हालत इतनी खराब है कि खाने के अभाव में लोग जंगल की जड़ी बूटी खा कर दिन काट रहे हैं । दूसरे हम यह भी देखते हैं कि ढाई करोड़ आदिवासियों के नाम से सरकार रुपया सैंक्शन करती है लेकिन वह सारा रुपया तीन, चार लाख आदमी खा जाते हैं, जो लोग पहले से शिक्षित हैं वह अपने लडकों को ख़ूब पढ़ाते और

[श्री हेमब्रोम]

लिखाते हैं, उनके वास्ते ईस.ई मिशनरी बाहर से भी रुपया लाते हैं और वह रुपया भी उन को मिलता है और हम देखते हैं कि उन्हीं के लड़कों को ज्यादा तादाद में स्कालरशिप्स मिलते हैं, क़रीब ८० परसेंट स्कालरशिप्स उन लोगों को मिले हैं जबकि हमारे लोगों को केवल बीस परसेंट ही मिले हैं । आदिवासियों को उठाने की स्कीम आप की दस वर्ष की है, जिस में से ६ वर्ष बीत गये, अभी ४ वर्ष बचते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है कि जब अभी तक कुछ नहीं हो पाया है तो इन चार वर्ष के दौरान आदिवासी कैसे ऊपर उठ सकेंगे । जब तक आप यह नियम नहीं बदलेंगे और आदिवासी लोगों और ईसाइयों का रुपया अलग अलग नहीं कर देंगे तब तक आप अपने मक़सद में कामयाब नहीं हो सकेंगे । भले ही आप उनको जितना देना मुनासिब समझें दीजिये लेकिन जो ढाई करोड़ आदिवासी इस देश में बसते हैं उनके वास्ते आप रुपया अलग रक्खें ।

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त मैं आप का ध्यान सरकार के जंगल विभाग द्वारा आदिवासियों के प्रति की गई सख्तियों की ओर दिलाना चाहता हूं । जंगल विभाग के अधिकारी हमारे ग़रीब आदिवासी भाइयों की ज़मीन और उनके घर द्वार दाब लेते हैं, मारपीट करते हैं और उनसे रुपया ठग लेते हैं और उल्टा उन पर झूठा केस चला देते हैं और वहां से उन बेचारों को सज़ा करवा देते हैं । दूसरे डिवीज़न फ़ारेस्ट आफ़िसर बड़े बड़े ठेकेदारों से लकड़ी को बिकवाते हैं, और मनमानी चोरी करते हैं, मुझे शक हुआ और मैं ने उसकी रिपोर्ट भी की, मैं ने अपने ज़िले के जंगल में देखा कि ६ फुट मोटी और दस फुट मोटी लकड़ी जंगल के आफ़िसर को ठेकेदार ने दे दी और उसका कोई दाम नहीं लिया और मैं ने देखा कि उस ठेकेदार पर कोई केस नहीं चला, आये दिन ऐसी अन्धेरगर्दी होती है । ठेकेदार जंगल विभाग के अफ़सरान को घूंस दे कर अपनी ओर मिला लेते हैं और फिर मनमानी चोरी करते हैं और उन पर कोई केस नहीं चलता है । ठेकेदारों ने काफ़ी जंगल इस तरह ख़त्म कर दिया है और दिन पर दिन जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, इस साल पानी भी ठीक से नहीं बरसा और उससे भी काफ़ी नुक्सान पहुंचा है । मैं ने हाल ही में इन सब बातों की रिपोर्ट की थी लेकिन उस पर अभी तक तो कोई ध्यान नहीं दिया गया है और न ही कोई मुनासिब कार्यवाही हुई है । आज क़ानून ऐसा है कि ठेकेदार यदि चोरी करे तो उसके लिये तो मिनिस्टर है और वक़ील सरकारी है, जब तक वकील सरकार को मुक़द्दमा चलाने की राय नहीं देगा, तब तक ठेकेदार पर केस नहीं चल सकता है, लेकिन बेचारे आदिवासियों पर कभी भी केस चलाया जा सकता है और उनको सज़ा दी जा सकती है, मैं चाहता हूं कि नियमों में इस तरह बदली करें जिस से दोनों में समानता आ जाये और सब पर एक तरह से केस चलाया जा सके, यह न हो कि गरीबों पर तो जब चाहे केस चला दें और ठेकेदारों पर केस चलाने के लिये पहले यह सब बातें होनी चाहियें । आज फ़ारेस्ट आफ़िसर्स हमारे आदिवासी भाइयों पर बहुत अत्याचार करते हैं और झूठ-मूठ केस चला देते हैं और उन पर जुर्माना या सज़ा करवा देते हैं । अभी विन्ध्य प्रदेश की एक ख़बर अख़बार में छपी है और मुझे चिट्ठी भी मिली है कि वहां पर किसी एक लड़के का सिर फ़ोड़ दिया गया, एस० पी० ने इनक्वायरी की, तो इस तरह गांवों में हम आदिवासियों पर जुल्म ढाये जाते हैं । मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इन को रोकने का उपाय करे । इस के अलावा हमारे यहां

देहातों में आने जाने की बहुत दिक्कत है, उन जगहों पर कोई जाने को तैयार नहीं होता और इसीलिये वहां कोई स्कूल खुलने का मौक़ा नहीं आया, वहां पर पीने के पानी की भी बड़ी कठिनाई रहती है, हमारे साउथ बिहार में जंगल उजाड़ दिये गये हैं जिस की वजह से भी पानी कम बरसा है ।

मैं गृह मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह हमारी अवस्था की ओर ध्यान दें और जिन लोगों की ज़मीनें ब्रिटिश सरकार ने सन् ४२ के आन्दोलन में ज़ब्त कर ली थीं, सरकार उनको फिर से वापस करे और रेफ्यूजीज़ की तरह आदिवासियों को भी सरकार मदद दे, उनको ज़मीन दे और बीज और हल बैल की सुविधा दे और हर एक गांव में आदिवासियों को शिक्षा देने के लिये स्कूल खोले जिस से वह अपना भरण पोषण कर सकें और इधर गवर्नमेंट की आमदनी भी बढ़े । आगे चल कर मैं आप को थोड़ी सी बात और बताना चाहता हूं । सब से पहले तो यह कि समय पर भी दरख्वास्त देने पर मेरे इलाके में कर्ज़ा वग़ैरह बहुत देर से मिलता है । अगर दरख़्वास्त जून में दी जाती है तो कहीं अगस्त में जा कर रुपया मिलता है । हमारी खेती जून और जुलाई में शुरू होती है, इसलिये नियम यह होना चाहिये कि हमको पहले से कर्जा मिल जाये ताकि हम समय से अपनी खेती कर सकें ।

दूसरी बात यह है कि हमारे इलाके में बहुत अधिक बैल मर जाते हैं । इसलिये बैलों के खरीदने के लिये भी हमें पहले से रुपया चाहिये । वहां पर बैलों से ही खेती हो सकती है । ट्रैक्टर तो वहां पर चल नहीं सकते क्योंकि इस इलाके में सभी जगह पहाड़, नदियां आदि हैं । चूंकि बैलों से ही वहां पर काम चलता है इसलिये भी मैं प्रार्थना करता हूं कि आप स्टेट गवर्नमेंट को भी इसके लिये लिखें ताकि हमें समय पर कर्जे का रुपया मिल जाय और हम अपना काम चला सकें ।

वहां पर कुओं की भी ज़रूरत है । गर्मी के दिनों में वहां पर पीने के पानी की भी बड़ी मुश्किल हो जाती है । उस जगह पर कुएं बनने चाहियें और इस तरह से बनने चाहियें कि गांव वालों को उनसे मदद मिल सके । वहां पर जो कंट्रेक्टर होते हैं वह उनको ठीक से बनवा कर पूरा नहीं करते इसलिये उन से गांव वालों को कोई फायदा नहीं होता । बांधों की भी वही हालत है । उसमें मिट्टी थोड़ा काट कर छोड़ दी जाती है और वह जगह जैसी की तैसी रह जाती है और गवर्नमेंट का रुपया भी बरबाद होता है, साथ ही हमारे गांव वालों को भी कोई फायदा उस से नहीं पहुंचता ।

अब मैं आपके सामने कुछ ईसाई मिशनरी लोगों की चर्चा करना चाहता हूं । उन लोगों का प्रचार हमारे यहां बहुत बढ़ता जा रहा है । हर साल उनका जोर बढ़ता जा रहा है । अभी हाल में करीब दो-ढाई सौ मिशनरी वहां पर आये हैं और वह अपने धर्म का बहाना कर पालिटिक्स का प्रचार कर रहे हैं । सारे देश में छुआछूत हट गई, अब धार्मिक प्रचार का मतलब क्या है ? हमारे बीच में हमारा अपना धर्म है, हम यहां पर लाखों वर्षों से रहते आये हैं तो क्या अब तक हम बिना कसी धर्म के रहे हैं । आज धार्मिक प्रचार के बहाने से हम पर क्यों जुल्म किया जा रहा है, इसकी ओर आपको ध्यान देना चाहिये । अब हमारे बीच में धार्मिक प्रचार का कोई महत्व नहीं है । हमको जो रुपया आप लोगों की तरफ से मिलता है वह उसको इस बहाने से हड़प लेते हैं और हमको तकलीफ मिलती है । इसकी ओर आप को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिये । जो हम आदिवासी हैं उन

[श्री हेमब्रोम]

को जो रकम देनी हो वह आप अलग कर दें । हमारे यहां काफी ईसाई हैं और हम लोगों को आप करीब ढाई करोड़ रुपया खिलाते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है । इस साल से अलग कर दें ; और ईसाइयों से हम लोगों को अलग कर दें । हमारा जो पुराना धर्म है वही रहेगा ।

श्री उइके (मंडला-जबलपुर दक्षिण–रक्षित-अनुसूचित आदिमजातियां) : मुझे इस बात की खुशी है कि आज पन्त जी, जिनका नाम भारत में हमारे पंडित जी यानी प्रधान मंत्री के बराबर में ही है, हमारे गृह मंत्री हैं और हमारे सौभाग्य से हम आदिवासियों, हरिजनों और पिछड़े हुए समाज, तीनों का कार्य विभाग भी उन्हीं के पास है । मैं उनके सामने छोटी मोटी बातों को न रखते हुए, आदिवासियों, हरिजनों और पिछड़े हुए समाज के मुद्दों की कुछ बातों की रखना चाहता हूं ।

पहली बात तो यह है कि इन तीनों पिछड़े हुए समाजों के लिये जो कमीशन मुकर्रर किया गया था, उसने शायद भारत सरकार के पास अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और पिछले नवम्बर महीने में यहां पर भारत के आदिवासी विभाग के अफसरों और गृह मंत्री डा० काटजू की मीटिंग हुई थी । उसके सम्बन्ध में हम लोगों के पास जो रिपोर्ट आई है उससे मालूम होता है कि उस मीटिंग में काटजू साहब ने कहा था कि पिछड़े हुए समाज के कमीशन की रिपोर्ट पर जहां तक हो सके इसी अधिवेशन में विचार कर के पास कर देना जरूरी है और उन्होंने हर एक प्रदेश के अफ़सरों से एक प्रकार से अपनी दिली इच्छा प्रकट की थी कि जितनी जल्दी हो सके वह इस कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करके अपनी सिफारिशें भारत सरकार के सामने पेश करें ताकि इस अधिवेशन में इस विषय को चर्चा के लिये लिया जा सके और जल्दी-से-जल्दी जो उन लोगों की बहुत सी छूटी हुई जनसंख्या है उनको उनमें शामिल किया जा सके । लगभग ६८ लाख उनकी जनसंख्या पिछले १९५० में राष्ट्रपति जी के आदेश से छंट गई है, खास कर एक दो प्रान्तों में जैसेकि राजस्थान में सिर्फ़ २५ फी सदी लोगों को आदिवासी माना गया है, ७५ फी सदी आदिवासी लोगों को आदिवासी नहीं माना गया है, मध्य प्रदेश में लगभग ५० फी सदी आदिवासियों को आदिवासी नहीं माना गया है, यानी २४ लाख आदमियों को तो आदिवासी माना गया पर बाकी २४ लाख को नहीं माना गया । आदिवासियों के लिए यह एक बुनियादी प्रश्न है, खास कर इन दो प्रान्तों में, जहां पर कि सरकार उनक सुधार के लिए करोड़ों रुपये खर्च करती है, पर उन आदिवासियों को उस से कोई प्रसन्नता उत्पन्न नहीं होती है जब तक कि जितने छूटे हुए आदिवासी हैं उन को आदिवासी घोषित न किया जाय । इसलिये गृह मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि यदि जितने समय यह अधिवेशन चलना है उसमें सम्भव न हो सके और २, ४ या ६ दिन के लिये, इन तीनों समुदायों की १५ करोड़ जन संख्या के लाभ के लिये, इस संसद् के अधिवेशन को बढ़ाना पड़े तो इसे अवश्य बढ़ाया जाये और पिछड़े हुए समाज के आयोग की रिपोर्ट इसी अधिवेशन में ली जाये, ताकि डिलिमिटेशन कमिशन को यह अवसर मिले कि समय के अन्दर जितनी संख्या ऐसे आदिवासियों और हरिजनों की बढ़े उसके अनुपात से उन्हें ऐसेम्बली और पार्लियामेंट की सदस्यता के लिये जगह मिल सके । हमारे संविधान को बने हुए पांच साल हुए । दस साल और बाकी हैं । अगर

आप इस बचे हुए समय में जल्दबाजी नहीं करेंगे और जो लोग इस संविधान के लाभ से वंचित हैं उनको इन बाकी सालो में सुयोग न मिला, तो आदिवासी समाज और हरिजन समाज में घोर असन्तोष फैल जायेगा । मैं समझता हूं कि जहां तक हो सकेगा हमारे गृह मंत्री जी इस बात की तरफ विशेष ध्यान द देंगे ।

दूसरी बात, जोकि अभी मुझ से पहले बोलने वाले भाई ने भी उठाई, ईसाइयों के सम्बन्ध में है । मैं हर एक अपने भाषण में ईसाइयों के सम्बन्ध में बोलता हूं । अभी थोड़े दिन पहले वैदेशिक नीति पर बोलते हुए हमारे प्रधान मंत्री जी ने हमें यह सूचित किया था कि यह क्रिश्चियन धर्म भी भारत में एक हजार साल पुराना है और उन लोगों को भी यहां रहने का हक़ है, इसी लिये हमारे संविधान ने उनको भी कुछ सुविधायें दी हैं और उनको पूरा करना हमारा कर्तव्य है । मैं प्रधान मंत्री की विचारधारा से बिल्कुल सहमत हूं और हमारा कोई भी द्वेष ईसाई धर्म या ईसाई भाइयों से नहीं है, हम तो सिर्फ अपनी रक्षा चाहते हैं । अगर वह एक हजार साल से भारत में हैं और एक हजार साल से यहां पर उन का धर्म है तो हम तो भारत के वैदिक काल के पूर्व से ही रहने वाले हैं, तभी से हमारा आचार-विचार और हमारा धर्म है । अगर आज उस धर्म और हमारी रीति-रिवाज का नाश हो रहा है, हमारी ग़रीबी के कारण ; और वह ईसाई धर्म के प्रचारक हमारी इस ग़रीबी का लाभ उठाते हैं, तो यह शोचनीय बात है । अगर वह वास्तव में अपने धर्म का उपदेश करना चाहते हैं, तो भले ही करें, अगर हमारे आदिवासी भाइयों को यह लग कि उन ईसाई भाइयों का धर्म अच्छा है, उन का समाज अच्छा है, और यह समझ कर कोई उनका धर्म ग्रहण कर लें, तो हमें कोई एतराज नहीं है । पर हमारे यहां होता क्या है ? आज गवर्नमेंट मिड्ल स्कूलों में भी आदिवासियों के खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, पर ईसाई स्कूलों में जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें भी आदिवासियों को खाने को दिया जाता है । ऐसी हालत में कहां तक आदिवासियों का ध्यान ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित नहीं होगा ? अभी पिछले दिनों मैं ने एक जगह देखा कि जहां लाखों रुपये लगा कर आदिवासी कल्याण विभाग ने एक स्कूल शुरू किया है उस के ठीक एक फर्लांग पर ईसाइयों ने एक माध्यमिक और प्राइमरी स्कूल शुरू किया है । लेकिन इन दूसरे स्कूल में आदिवासियों के लड़के जाते हैं, इस स्कूल पर उन लोगों ने लाखों रुपये खर्च किये हैं । जो आदिवासी कल्याण विभाग ने स्कूल खोला है उसमें कोई नहीं जाता । क्यों नहीं जाता ? क्योंकि वहां पर खाने की वह चीजें नहीं मिलती हैं जोकि क्रिश्चियन स्कूल में मिलती हैं । और कपड़े लत्ते जितनी भी चीजें हैं वे सब की सब उनको मिलती हैं । इतना ही नहीं, कलेवा भी वहां पर पूरी तादाद में मिलता है । इस तरह से यदि किसी स्थान पर किसी की संस्कृति का नाश होता हो तो क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वह उसकी रक्षा करे । मध्य प्रदेश का मैं उदाहरण देता हूं । अगर आप वहां के पांच लाख धर्म परिवर्तित लोगों से या ५,००० आदमियों से हमदर्दी रखते हैं और उन को हर प्रकार की सहूलियतें देना चाहते हैं जिन का कि उल्लेख संविधान में किया गया है तो क्या इस के यह मायने हैं कि साढ़े २३ लाख आदिवासियों के अधिकारों की या उन की संस्कृति की रक्षा न की जाय । क्या उनकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य नहीं है ? अपनी सरकार को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं कि वह काफी पैसा इन आदिवासियों की भलाई के लिये खर्च कर

[श्री उइके]

रही है लेकिन इस के साथ ही साथ धर्म परिवर्तन के विषय में बार-बार सरकार से यह प्रार्थना भी करता हूं कि वह हमारी संस्कृति की रक्षा करे । जिस तरीके से धर्म परिवर्तन का कार्य इस वक्त चल रहा है अगर उस को न रोका गया तो मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कहता हूं और उन लोगों की मांग को ध्यान में रख कर कहता हूं जोकि इस चीज़ के खिलाफ हैं और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर आदिवासी लोग इस मामले में मेरे साथ हैं, कि इसके गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं । यह भी मैं कहना चाहता हूं कि आप आदिवासियों को कल्याण विभाग में से निकाल दीजिये और इस कल्याण विभाग को बन्द कर दीजिये ।

आपने एक अनस्टार्ड क्वेस्चन नम्बर ५८६ के उत्तर में बताया था कि किस तरह इन धर्म परिवर्तित आदमियों को नौकरियां मिली हैं । ५८६(क) के उत्तर में बताया गया है कि आदिवासियों को कुल जो नौकरियां मिली हैं वह हैं १३८९ । उसमें आसाम में इन लोगों को १६८ और बिहार में ७२५ नौकरियां गई हैं और बाकी की जितनी नौकरियां हैं जोकि ढाई सौ के करीब हैं वे भारत के दूसरे प्रान्तों में इन लोगों को दी गई हैं । बिहार में ७२५ यानी आधी से ज़्यादा जो नौकरियां इन लोगों को गई हैं इस का कारण यह है कि यहां पर धर्म परिवर्तित ईसाई काफ़ी संख्या में शिक्षित हैं और यही कारण है कि उनको इतनी ज़्यादा तादाद में यह नौकरियां गई हैं । इसी प्रकार मैं ने इस सभा में अपने पिछले भाषण में स्कौलरशिप्स के बारे में ज़िक्र किया था । यह स्कौलरशिप्स ज़्यादा तर उन लोगों को ही दी जाती हैं । इस वास्ते मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप आदिवासियों में धर्म परिवर्तित लोगों की जितनी संख्या है उसका आप सर्वे करवायें । नौकरियां और स्कौलरशिप्स के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि धर्म परिवर्तित आदिवासियों की जितनी संख्या है आप उन को उस अनुपात से स्कौलरशिप्स दें और जितनी संख्या आदिवासियों की है उनको उस अनुपात से दें । मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि आप उनको वेटेज दें और हमारे हिस्से में से १५ प्रतिशत नौकरियां और स्कौलरशिप्स उनको दे दें । अगर आप उनको १५ प्रतिशत नौकरियां और स्कौलरशिप्स देते हैं तो आप उनको ३० प्रतिशत दे दीजिये और हमें ७० प्रतिशत दे दीजिये । लेकिन जब तक आप आदिवासियों का धर्म परिवर्तन नहीं रोकते तब तक वे सन्तुष्ट नहीं हो सकते । ढाई करोड़ की संख्या में जो आदिवासी हैं जब तक वे सन्तुष्ट नहीं होते तब तक प्रगति नहीं हो सकती और कोई तरक़्की मुम्किन नहीं है । इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और पन्त जी से आग्रह करता हूं कि वे इस ओर विशेष ध्यान दें ।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
	श्री वीरस्वामी (मयूरम्-रक्षित अनुसूचित जातियां)	केन्द्रीय सचिवालय तथा अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
५०	श्री गाडिलिंगन गौड़ (कुर-नूल)	पिछड़ी हुई जातियों में "लिंगायतों" का सम्मिलित न किया जाना ।	१००
५०	श्री गाडिलिंगन गौड़	अनुसूचित जातियों में रायलसीमा के "बोयों या बाल्मीकियों" का सम्मिलित न किया जाना ।	१००
५०	श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर-रक्षित-अनु-सूचित जातियां)	अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने में असफलता ।	१००
५०	श्री पी० एन० राजभोज .	सरकारी दफ्तरों में अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित पदों पर नियुक्तियां करने में असफलता ।	१००
५०	श्री पी० एन० राजभोज .	जनगणना में अनुसूचित जातियों का पंजीयन	१००
५०	श्री बूबराघस्वामी .	पिछड़ी हुई जातियों के लिये जनगणना के आधार पर सभी सरकारी नौकरियों में स्थानों के रक्षित किये जाने की आव-श्यकता ।	१००
५०	श्री आर० एन० एस० देव (कालाहांडी-बोलनगिर)	भारतीय राज्यों के नरेशों के सम्बन्धियों को भत्ता देने सम्बन्धी नीति ।	१००
५०	श्री पी० एन० राजभोज .	पदोन्नति से भरे जाने वाले स्थानों का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित किया जाना ।	१००
५०	श्री पी० एन० राजभोज .	प्रतियोगीय परीक्षाओं से चुने जाने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को उन की वरिष्टता के अनपेक्ष पदोन्नति करने के सम्बन्ध में विशेष रियायत दिये जाने की आवश्यकता ।	१००
५०	श्री पी० एन० राजभोज .	केन्द्रीय सेवाओं, विशेषतः अखिल भारतीय सेवाओं में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
५०	श्री आर० एन० एस० देव .	बिहार सरकार द्वारा निर्दिष्ट जी० आर० केस संख्या २०,१९५४ अन्तर्गत धारा १४८ भा० द० विधान, न्यायालय परगनाधीश सरायकेला के निपटाये जाने में असाधारण विलम्ब, जिस के फलस्वरूप एक वर्ष से अधिक से मामले के स्थगित होते रहने से अभियुक्तों का निरन्तर उत्पीड़न ।	१००
५०	श्री वी० जी० देशपाण्डे (गुना)	केन्द्रीय सचिवालय के तृतीय श्रेणी के क्लर्कों के वेतन क्रम का पुनरीक्षण ।	१००
५०	श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर)	स्वयं सेवक संगठनों के कार्यों का समन्वय करके असैनिक रक्षा एकाइयों के संगठित करने की आवश्यकता ।	१००
५०	श्री यू० सी० पटनायक	शस्त्र धारण की सुविधाओं के सम्बन्ध में सरकार के आश्वासनों का परिपालन ।	१००
५०	श्री पुन्नूस (आल्लप्पि) .	पुलिस आयोग स्थापित करने की आवश्यकता ।	१००
५०	श्री पुन्नूस . .	केन्द्रीय सरकार के आधीन काम करने वाले भिन्न श्रेणी क्लर्कों के वेतनक्रम का पुनरीक्षण ।	१००
५०	श्री यू० सी० पटनायक .	रायफ़िल संस्थाओं को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	१००
५३	श्री पी० सुब्बा राव (नौरंगपुर)	विशेष पुलिस संस्थापन में आर० एस० ओ० की भर्ती सम्बन्धी नीति का अनुमोदन ।	१००
५३	श्री वीरस्वामी . .	पुलिस कर्मचारी की दशा .	१००
५३	श्री बूबराघस्वामी .	पुलिस अधीनस्थ कर्मचारियों की दशा .	१००
५४	श्री आर० एन० एस० देव .	बिहार के सीमान्त ज़िलों में जनगणना सम्बन्धी आंकड़ों में गोलमाल ।	१००
५८	श्री रिशांग किशिंग (बाह्य मनीपुर-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां)	मनीपुर में भारत सरकार की प्रशासनिक नीति ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
५८	श्री रिशांग किशिंग .	१९५५ में मनीपुर में विधान-सभा का स्थापित किया जाना ।	१००
५९	श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा-पश्चिम)	त्रिपुरा के कृषि-उत्पादकों को सस्ते ऋण का उपबन्ध किये जाने की आवश्यकता	१००
५९	श्री बीरेन दत्त . .	त्रिपुरा के कृषि उत्पादकों को सहकारी समितियों के जरिये ऋण का उपबन्ध किये जाने की आवश्यकता ।	१००
५९	श्री बीरेन दत्त . .	त्रिपुरा में जूमिया पुनर्वास कार्य के लिये आदिम जाति के लोगों के गणमुक्ति परिषद् नाम के संगठन को सम्बद्ध करने की आवश्यकता ।	१००
५९	श्री बीरेन दत्त . .	समस्त त्रिपुरा में, विशेष कर राजधानी अगरतला की रक्षा के लिये बाढ़ नियंत्रण कार्यवाहियां प्रारम्भ करने की आवश्यकता ।	१००
५९	श्री बीरेन दत्त . .	त्रिपुरा के न्यायालयों में लम्बित असैनिक विवादों का शीघ्र निपटाया जाना ।	१००
५९	श्री बीरेन दत्त . .	बाढ़ रोकने के लिये बांध बनाने और गांव की सड़कें बनाने वाले ग्रामीणों को सहायता दिये जाने की आवश्यकता ।	१००
५९	श्री बीरेन दत्त . .	त्रिपुरा के विभिन्न भागों में सिंचाई की छोटी नहरों के लिये वित्तीय सहायता ।	१००
५९	श्री बीरेन दत्त . .	त्रिपुरा के अन्य भागों से प्रशासनिक मुख्य कार्यालयों को जोड़ने वाली सब मौसम लायक सड़कों का निर्माण ।	१००
५९	श्री बीरेन दत्त . .	त्रिपुरा में सशस्त्र पुलिस द्वारा दमन ।	१००
५९	श्री बीरेन दत्त .	त्रिपुरा के विधि न्यायालयों में शीघ्र न्याय की सुविधाओं का उपबन्ध ।	१००
५९	श्री बीरेन दत्त .	त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्र में जनता द्वारा चालू किये गये प्रारम्भिक और माध्यमिक स्कूलों को सहायता ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
५९	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा में अगरतला नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक सभायें करने और ध्वनि प्रसारकों द्वारा प्रचार करने पर लगे प्रतिबन्ध को उठाये जाने की आवश्यकता ।	१००
५९	श्री पुन्नूस	त्रिपुरा में उत्तरदायी सरकार का उपबन्ध करने में असफलता ।	१००
६१	श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) .	राइफल क्लबों की उन्नति	१००
६१	श्री रामचन्द्र रेड्डी .	मद्यनिषेध जांच समिति . .	१००
६१	श्री पुन्नूस . .	भाषा के आधार पर राज्यों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में की गई प्रगति ।	१००

सभापति महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव चर्चा के लिये सभा के समक्ष हैं ।

श्री **के० के० बसु** (डायमंड हारबर) : मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कटौती प्रस्ताव रखे हैं उन्हें बोलने की पूर्ववर्तिता दी जायगी या नहीं । जहां तक कांग्रेस सदस्यों का सम्बन्ध है, उन्हें कटौती प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं दी गई है । फिर भी इस ओर से केवल एक ही सदस्य को बोलने को कहा गया है । सामान्य प्रक्रिया यह है कि कटौती प्रस्ताव रखने वाले सदस्यों को अपनी बातें प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है ।

सभापति महोदय : जिन सदस्यों ने अपने नाम भेजे हैं अथवा और किसी तरह सभापति का ध्यान आकृष्ट किया है, उन्हें बोलने की अनुमति दी गई है । केवल इस बात से ही कि किसी सदस्य ने कटौती प्रस्ताव भेजा है, उसे यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि कटौती प्रस्तावों पर बोलने के लिये उसे पूर्ववर्तिता प्राप्त हो ।

श्री **के० के० बसु** : क्या उनमें से, जो बोलना चाहते हैं, उन्हें पूर्ववर्तिता दी जायगी जिन्होंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य भली भांति जानते हैं कि कोई पूर्ववर्तिता नहीं है । साथ ही, यदि यह नियम स्वीकार कर लिया जाय, तो कांग्रेस दल के उन सदस्यों को, जिन्होंने कटौती प्रस्ताव नहीं रखे हैं, कोई अवसर नहीं दिया जायगा । जिन सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव नहीं भेजे हैं, उन्हें कटौती प्रस्तावों पर बोलने का अवसर दिया जा रहा है और वे चाहें तो कटौती प्रस्तावों का समर्थन करें अथवा विरोध करें अथवा सरकार की आलोचना करें ।

श्री राम दास (होशियारपुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : होम मिनिस्टरी की तरफ से जो रिपोर्ट हमको दी गई है उससे मालूम होता है कि यह दो सब्जेक्ट्स से डील करती है, अर्थात् पहले, सरकारी सेवायें और दूसरे लोक-सुरक्षा ।

आगे चल कर लिखा है कि "भाग 'क' तथा 'ख' राज्यों में, बुनियादी उत्तरदायित्व उन राज्यों का ही है—भारत सरकार का काम केवल सलाह देना और समन्वय करना होगा ।"

पब्लिक....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य थोड़ा आगे आ कर बोलें क्योंकि उनकी आवाज़ रिपोर्टरों तक नहीं पहुंच पाती ।

श्री राम दास : पब्लिक सिक्योरिटी के दो हिस्से हैं । एक हिस्सा है मुल्क की रक्षा करना और दूसरा हिस्सा है मुल्क के जो बाशिन्दे हैं उन की हिफाज़त करना । मुल्क की हिफाज़त के लिये सरकार ने फौज रखी हुई है और लोगों की हिफाज़त के लिये एक ला ऐंड आर्डर का महकमा है जिस के अन्दर पोलिस आती है । लेकिन जिस तरह से फौज सरकार ने यूनियन के मातहत रखी हुई है उसी तरह से पुलिस का यूनियन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखा है । यह स्टेट्स के अधीन कर दी गई है और इस तरह से अच्छा काम नहीं हो रहा है । खास तौर से उस वक़्त काम अच्छी तरह से नहीं होता है जब लोग जिस ज़िले से भरती किये जाते हैं वे वहीं रोटेट करते हैं और वहीं पर रहते हैं । इसलिये बेहतर यह होगा कि पुलिस का कुछ हिस्सा कम-से-कम आल इंडिया सर्विस का होना चाहिये जोकि तमाम स्टेट्स के अन्दर जा सके और उन रियासतों के लोगों को इनसे फायदा उठाने का मौका मिले क्योंकि यह लोग जो जायेंगे इनका कोई खास इंट्रेस्ट उस स्टेट से नहीं होगा । आगे चल कर एक लिस्ट दी गई है जिस के अन्दर यह बताया गया है कि ३१ दिसम्बर, १९५२ को और ३१ दिसम्बर, १९५३ को रियासतों के अन्दर पुलिस की क्या तादाद थी । मैं पंजाब के मुताल्लिक जिक्र करूंगा । पंजाब में १९५२ में पुलिस की तादाद २१,३६६ थी और १९५३ के अन्दर जा कर १५,६२६ रह गई । ५,७४० आदमी कम कर दिये गये । मालूम होता है कि गृहमंत्री जी को यह यकीन दिलाया गया है कि पंजाब की हालत बहुत तसल्ली-बख्श है, वहां किसी किस्म का शोरो-शराबा नहीं है, वहां ला एंड आर्डर बिल्कुल महफूज़ है और वहां अब इतनी पुलिस की ज़रूरत नहीं है । ५७४० आदमियों की कमी कर देना मेरी समझ में मुनासिब नहीं है । पंजाब के अन्दर इस वक्त वह शान्ति मालूम होती है जोकि तूफान से पहले आम तौर पर हुआ करती है, और उस शान्ति के बाद एक ऐसा तूफान आता है, एक ऐसी अन्धेरी आती है, जोकि दरख्तों को उखाड़ देती है, आदमियों को दूर फेंक देती है और मुल्क के अन्दर तबाही ला देती है । ऐसा ही इस वक्त पंजाब के अन्दर भी मालूम हो रहा है । १९५०-५१ में जब मर्दुमशुमारी हो रही थी तो उस वक्त भी अकालियों की तरफ़ से इसी किस्म का एजीटेशन पंजाब में था । और जिस वक्त ऐसा होता है तो हरिजन ही उसके शिकार बनते हैं क्योंकि वह ग़रीब हैं, क्योंकि वह अनपढ़ हैं, क्योंकि वह किसी तरह का भी इक्तिदार नहीं रखते । इस वास्ते ऐसी तहरीक का सारा का सारा नज़ला हरिजनों पर पड़ता है और उन्हीं पर ज़ुल्म व तशद्दद होता है और उन्हीं के साथ सख्ती होती है । ऐसा ही इस वक्त भी मुल्क के उस हिस्से में हो रहा है । इस वक्त एक पंजाबी सूबे की तहरीक चल रही है । जो मुलाकात पंजाब के चीफ मिनिस्टर और मास्टर तारा सिंह की हुई वह अखबारों में छप चुकी है

[श्री राम दास]

और बहुत सारे भाई उसको जानते होंगे । पर उसकी दो एक ऐसी बातें हैं जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जुह दिलाना चाहता हूं कि यह पंजाब का सूबा क्या चीज़ है । चीफ मिनिस्टर को जवाब देते हुए मास्टर तारा सिंह ने फरमाया :

> "हम लड़ेंगे, मरेंगे और यदि ज़रूरत भी पड़े तो क्रान्ति करेंगे किन्तु अपना अधिकार प्राप्त करेंगे ।"

वह इस हद तक जाने के लिये तैयार हैं । वह क्या चाहते हैं यह इससे ज़ाहिर होगा :

> "हम इस आयोग के पंचाट से पहले या उसके बाद भी अपना आन्दोलन जारी रखेंगे यदि हमारी मांगें मंजूर नहीं हुईं ।"

वह कहते हैं कि अगर कमीशन हमारी मर्जी का फैसला करे तो हमें मंजूर है लेकिन अगर वह हमारी मर्ज़ी के खिलाफ फ़ैसला करे या करना चाहे तो उस फ़ैसले के पहले भी हम तशद्दुद का दौर चलायेंगे और उसके बाद भी हम इसी क़िस्म की तहरीक चलायेंगे ।

एक और जवाब के अन्दर उन्होंने कहा है "कि हमें जितना भी मिले, स्वतंत्र व्यक्ति के नाते मिले, दासों की तरह नहीं ।"

एक और जगह पर उन्होंने कहा है : "मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह सिक्खों का स्थान ऊंचा हो ।"

यह पंजाबी स्पीकिंग सूबे का एक स्लोगन है, एक कामूफ्लाज है, एक कवर है, एक पर्दा है । इस पर्दे के अन्दर वह एक और चीज़ का मतालबा कर रहे हैं, और वह है सिख स्टेट और वह भी इंडिपेंडेंट, खुदमुख्तार, हुकूमत । वह कहते हैं :

> "यह स्लोगन मेरी मर्ज़ी को बहुत अच्छी तरह से पूर्ण करता है क्योंकि इससे लोगों को पंजाबी सूबे का नाम दे कर धोखा दिया जा सकता है ।"

इस वक्त पंजाब में एक तहरीक चल रही है लोगों से दस्तखत कराने की । स्टेट्स रिआर्गेनाइज़ेशन कमीशन पंजाब में आने वाला है । उन तहरीक करने वालों की यह कोशिश है कि वह कमीशन के सामने बहुत सारे दस्तखत करवा कर पेश करेंगे, यह ज़ाहिर करने के लिये कि सारे के सारे लोग पंजाबी सूबे के हक में हैं । वैसे पंजाब पंजाब ही है । सब वहां पर पंजाबी बोलते हैं । केवल एक सेक्शन को यह कहने का हक नहीं है कि वह ही पंजाबी हैं और जो दूसरे लोग पंजाब में बसते हैं वे पंजाबी नहीं हैं । वे यह नहीं कह सकते कि वे ही पंजाबी बोलते हैं और दूसरे पंजाबी नहीं बोलते हैं । जो पंजाब में पैदा हुआ है वह पंजाबी है और जो पंजाब में पैदा हुआ है वह पंजाबी ज़बान बोलता है । इसलिये कोई वजह समझ में नहीं आती कि इस तरह की पंजाबी स्पीकिंग वालों की तहरीक चलाई जाती । लेकिन उन्होंने तो साफ कह दिया कि यह तो एक पर्दा है लोगों को झांसा देने का, उनको फंसाने का ताकि उनको फंसा कर हम एक इंडिपेंडेंट सिख स्टेट क़ायम कर सकें ।

इस वक्त पंजाब में हरिजनों के साथ कैसा सलूक हो रहा है उस के मुताल्लिक मैं थोड़ा सा आप की तवज्जह के लिये बयान करना चाहता हूं । स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन के सामने पंजाबी सूबे की अपनी मांग को पेश करने के लिये लोग जो तरीके

अख्तियार कर रहे हैं वे खतरनाक हैं । हमें यह जान कर दुःख होता है कि जिन गांवों में सिख जमींदारों का असर व रसूख है, वहां सिख नम्बरदार, या पटवारी तैनात हैं, वहां के मुजारों और हरिजनों पर जोर डाल कर ही नहीं बल्कि उनको डरा धमका कर उन से पंजाबी सूबे के हक में दस्तखत करवाये जा रहे हैं । यहीं तक इक्तफा नहीं है बल्कि लड़कों को स्कूलों में मुफ्त में किताबें देकर उन से इस मतलब के लिये दस्तखत लिये जा रहे हैं । आजकल लड़कों का दाखिला स्कूलों में हो रहा है । उनको मुफ्त किताबें पेश की जाती हैं और उनसे कहा जाता है कि रसीद पर दस्तखत कर दो । लेकिन उस रसीद में किताब का नाम नहीं होता । उस में पंजाबी सूबे की मांग की सपोर्ट में कुछ लिखा होता है । तो इस तरह से लड़कों को मुफ्त किताबें देकर कमीशन के आगे पेश करने के लिये दस्तखत इकट्ठे किये जा रहे हैं, ताकि यह कहा जासके कि ये सारे लोग पंजाबी प्राविंस के हक में हैं । मेरे पास एक हरिजन वर्कर की चिट्ठी आई है कि पंजाब में हरिजनों के साथ इस वक्त एसा सलूक किया जा रहा है । चूंकि उन मामलात में से कुछ इस वक्त अदालत के सामने पेश हैं, इसलिये मैं यहां पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मैं उन वाकयात को सिर्फ पढ़कर सुनाना चाहता हूं । मौज़े नधेड़, थाना शाहकोट, से एक लड़की अपने ससुर के साथ, जिसका नाम भोला राम है, जा रही थी । मौज़ा फलकरवाड़ और लोइयां के बीच उसको उठा कर ले गये । मैं उस का नाम नहीं लूंगा ।

सभ ति महोदय : क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह ामला अदालत के सामने पेश है ।

श्री .म दास : इनमें से कुछ इस वक्त अदालत के सामने पेश हैं । इसीलिये तो मैं नाम नहीं ले रहा हूं ।

सभापति महोदय : आनरेबिल मेम्बर को यह रूल मालूम है कि अगर कोई मामला अदालत के सामने पेश है तो उसका जिक्र हाउस के सामने नहीं होना चाहिये । जो मामलात अदालत में पेश नहीं हैं उनके बारे में अगर आनरेबिल मेम्बर जिक्र करना चाहें तो कर सकते हैं । लेकिन जो मामलात अदालत में पेश हैं उनका यहां जिक्र नहीं करना चाहिये ।

श्री राम दास : मैं नाम तो नहीं ले रहा हूं ।

सभापति महोदय : नाम लेने से कोई लम्बा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता । जो मामला अदालत में पेश है उसका यहां जिक्र नहीं होना चाहिये ।

श्री राम दास : वह अपने ससुर के साथ जा रही थी कि रास्ते में कुछ बदमाशो ने उसको उठा लिया, फिर वह आदमी जिनकी कि लड़की उठा ली गई थी वह उन के पास गये और कहा कि हमारी लड़की हमको वापिस मिल जानी चाहिय, तो चूंकि जिन की लड़की उठ गई थी, वे गरीब हरिजन थे, नादार थे और उनके ज़ेरे असर थे, इसलिये उन्होंने सब ने यह फ़ैसला किया कि जहां तक हो सके इसके वास्ते अदालत में नहीं जाना चाहिये और अगर बाहर ही कोई समझौता हो कर लड़की मिल जाय तो बेहतर है और चार, पांच दिन के बाद वह लड़की बीकानेर से बरामद की गई ।

दूसरा वाक़या १६ मार्च का है । वहां पर कोई मेला था और वहां के लोगों ने खूब शराब पी हुई थी और वे एक हरिजन लड़की जिसके ऊपर उन की नज़र थी, उस के घर में घुस आये और हमला कर दिया, उस दिन तो उस लड़की के घर वालों ने कुछ मुक़ाबला किया, लेकिन दूसरे दिन वे लोग लड़की को जा कर ज़बर्दस्ती घर से उठा लाये ।

[श्री राम दास]

इसी तरह ३० मार्च का वाक़या है और एक स्त्री के मुताल्लिक़ है, हमें मालूम हुआ कि एक गांव के अन्दर हरिजनों के ऊपर हमला किया गया है और उनमें से बहुत सारे आदमियों को ज़ख़्मी कर दिया गया है । एक आदमी ने अपना नाम लेकर दरख़्वास्त लिखी है जिसके अन्दर उसने बताया है कि १६ मार्च का वाक़या है, मेरी औरत मुसम्मात फ़लानी को ज़बर्दस्ती उठा कर ले गये, बड़ी मुश्किल से जा कर एक दिन उसको आज़ाद कराया लेकिन दूसरे दिन फिर हमला करके उस औरत को उठा कर ले गये, यह हाल उस पंजाब का है, जिस पंजाब में से पांच हज़ार पुलिस कम कर दी गई है ।

अभी ३, ४ अप्रैल को अम्बाला के अन्दर एक लिंगविस्टिक कान्फ्रेन्स हुई है जिसके अन्दर इस क़िस्म के प्रस्ताव पास किये गये हैं कि पंजाब के अन्दर हरिजनों पर इस तरीक़े से भयंकर ज़ुल्म हो रहे हैं । १९५०-५१ में भी उनके साथ ऐसा हुआ था और बहुत दिनों तक वह अपने घरों से बाहर नहीं जा सके थे, अपने जान माल और इज्ज़त की हिफाज़त के लिये घर में ही बन्द रहते थे, अपने मवेशियों को भी उन्होंने घर से बाहर नहीं निकलने दिया और जिस के फलस्वरूप बहुत से मवेशी उन के मर गये और कुछ मवेशी ऐसे थे जिन को कि नामिनल प्राइस पर फ़रोख़्त करना पड़ा और उस वक्त भी स्वर्गीय सरदार पटेल ने यहां से दूसरी पुलिस भेज कर वहां पर बन्दोबस्त किया था और तब जाकर वहां कुछ स्थिति सुधरी थी, पंजाब के अन्दर पुलिस विभाग में हरिजनों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है । और होता यह है कि जो ज़ुल्म करने वाले हैं उन के ही भाई, भतीजे, ससुर, ताये और चाचे, कोई थानेदार लगे हुए हैं और कोई सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस लगे हुए हैं और कोई किसी और ओहदे पर लगे हुए हैं और जब कोई शिकायत ले कर जाता है तो पहले तो उनकी शिकायत लिखी ही नहीं जाती, उनको तमाम दिन बाहर बैठाया जाता है और दिनभर बाहर बैठाने के बाद उनसे कहा जाता है कि फिर आना और अगर कभी रिपोट लिखी भी जाती है तो होता यह है कि लिखाने वाला लिखाना कुछ चाहता है और रिपोर्ट कुछ और ही लिखी जाती है, वह बेचारे कर भी क्या सकते हैं, अनपढ़ होते हैं और वह नहीं जान सकते हैं कि रिपोर्ट लिखने वाले ने क्या लिखा है और अदालत में जा कर जब एफ० आई० आर० पेश होती है तो वहां पर वह बेचारे हरिजन लोग कहते हैं कि हमने तो यह नहीं लिखाया था, हमने तो कुछ और लिखाया था । हरिजनों की हालत इस वक्त पंजाब के अन्दर निहायत ख़राब है और मैं अपने गृह मंत्री महोदय से बड़े ज़ोर से अपील करूंगा कि आप ही उन के रक्षक हों, पंजाब की पुलिस उनकी हिफ़ाज़त नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी नुमायन्दगी पुलिस के अन्दर बिल्कुल नहीं है, उनका कोई सुपरिंटेंडेंट नहीं है, उनका कोई थानेदार नहीं है, उन का कोई आदमी बड़े ओहदे पर नहीं है जिस के कारण उनकी किसी क़िस्म की सुनवाई नहीं हो सकती, अगर आप उनकी रक्षा करना चाहते हैं और अभी वह कमिशन थोड़े दिनों के अन्दर जाने वाला है, मैं ने अख़बार में पढ़ा है, इससे पहले जैसे कि उन्होंने कहा कि वह रिवोल्ट करेंगे, एजिटेशन करेंगे, हर क़िस्म की वह तैयारी कर रहे हैं, इसलिये बहुत ज़रूरी है कि केन्द्रीय सरकार को और हमारे गृह विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिये और उनकी रक्षा का भार स्वयं अपने ऊपर लेना चाहिये । पंजाब की हालत इस वक्त बहुत ख़राब है और

जो पुलिस वहां पर है वह वहां की ज़रूरतों को देखते हुए बिलकुल नाकाफ़ी है और हरिजनों की रक्षा यहां से पुलिस भेज कर कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनकी रक्षा नहीं हो सकती ।

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : इस अवसर पर जबकि मैं अपने कटौती प्रस्तावों पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं मैं सामूहिक योजनाओं के मूल्य-निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन और त्रिपुरा के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख करना चाहता हूं । त्रिपुरा राज्य का प्रशासन सीधे गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है । वहां कोई विधानसभा नहीं है । हम से प्रशासन के लिये धनराशियों पर मतदान करने के लिये कहा जाता है किन्तु इस प्रतिवेदन में त्रिपुरा के बारे एक वाक्य भी नहीं है । हम यह भी नहीं नहीं जानते हैं कि पहले किस प्रकार प्रशासन चलाया जाता था और भविष्य में किस प्रकार चलाने की प्रस्थापना की गई है । मैं नहीं समझ पाता कि इस भाग की जनता के प्रति इस प्रकार उपेक्षापूर्ण व्यवहार क्यों किया जाता है ।

मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान अपने कटौती प्रस्तावों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । हम ऐसी स्थिति में हैं कि हमें अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिये कोई स्थान ही नहीं है । गत तीन वर्षों में हमने जब कभी भी सभा में प्रश्न रखे हैं तो हमेशा यह कहा गया है कि 'जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रखी दी जायगी' । त्रिपुरा राज्य के प्रशासन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है । इसका क्या कारण है ? मुझे आशा थी कि जो मंत्रीगण वहां जा चुके हैं वे स्वयं ही कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

त्रिपुरा के सम्बन्ध में पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन प्रतिवेदनों में कोई निर्देश नहीं है । वहां कोई सिंचाई योजना, कोई बाढ़ नियंत्रण योजना कार्यान्वित नहीं की गई है । त्रिपुरा के एक कांग्रेसी समाचारपत्र में कहा गया है कि :—

> "त्रिपुरा में कांग्रेस के इतिहास में आज तक कभी ऐसा संकट काल नहीं आया था । आज स्वतंत्रता प्राप्ति के सात वर्ष बाद भी वहां एक भी प्रगतिशील विधि अधि-नियमित नहीं की गई है, लोग स्वतंत्रतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकते हैं । न्यायालयों में न्याय नहीं प्राप्त होता है । वहां न कोई निर्वाचित पंचायत है न लोकतंत्रात्मक स्वायत्तशासी संस्था है, और न कोई विधान सभा है ।"

मैं एक दो उदाहरण देता हूं । त्रिपुरा के न्यायिक आयुक्त १५ दिन मनीपुर में और १५ दिन त्रिपुरा में कार्य करते हैं । मुक़दमे निलम्बित पड़े हुए हैं और लोग निम्न न्यायालयों में कोई न्याय प्राप्त नहीं कर सकते हैं । गत सामान्य निर्वाचनों के पूर्व के मुक़दमे अभी तक न्यायालय में पड़े हुए हैं ।

त्रिपुरा भूधृति अधिनियम के अनुसार, बहुत सा बकाया लगान तमादी हो गया है जो सरकार द्वारा अब वसूल नहीं किया जा सकता है । किन्तु त्रिपुरा सरकार ने १० से २० वर्षों के भीतर के बक़ाया लगान की वसूली के लिये हजारों प्रमाणपत्र जारी किये हैं । त्रिपुरा न्यायालयों द्वारा पक्ष में निर्णय दिये जाने के बावजूद भी उनसे ज़बर्दस्ती लगान वसूल किया जा रहा है । इन सभी बातों की ओर गृह मंत्री डा० काटजू का ध्यान आकृष्ट किया गया था । उन्होंने कुछ करने का आश्वासन भी दिया

[श्री बीरेन दत्त]

था । खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट किया गया था । उस की ओर से एक व्यक्ति वहां भेजा गया था, जिस ने सभी विषयों का अध्ययन कर के एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था । हमें आश्वासन दिया गया था कि कुछ किया जायगा किन्तु वास्तव में कुछ भी नहीं किया गया है ।

विभाजन के बाद, शरणार्थियों के सामूहिक आगमन के कारण त्रिपुरा राज्य की जनसंख्या ३ लाख से ९ लाख हो गई है विभाजन के पूर्व, पाकिस्तान रेलवे के जरिये राज्य का सम्बन्ध अन्य भागों के साथ था किन्तु आज मुख्य कार्यालय से उपविभागीय मुख्य कार्यालयों में किसी सवारी से नहीं जाया जा सकता है । इस दशा में, वहां के लोगों को बहुत कष्ट है । प्रशासनिक पद्धति और प्रबंध इस प्रकार चलाया जा रहा है कि जनता के कष्टों का वर्णन नहीं किया जा सकता है । एक सामहिक योजना को कार्यान्वित करने का प्रयत्न केन्द्रीय सरकार ने किया था । किन्तु प्रत्येक छठे महीने वहां एक नया पदाधिकारी भेज दिया जाता है । पदोन्नति और नियुक्तियों के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति नहीं है । इस प्रकार प्रत्येक चीज बिना विधि और व्यवस्था के चल रही है ।

जब हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि प्रशासन में राज्य के निवासियों को सम्बद्ध करने की कोई प्रक्रिया ढूंढ निकाली जाय तो हमसे यह कहा जाता है कि राज्य इतना पिछड़ा हुआ है और वह ऐसे क्षेत्र में स्थित है कि वहां विधान सभा नहीं बन सकती है । मुझे मालूम हुआ है कि अगरतला में किस प्रकार शराब की दुकानें खोली गई हैं । लोगों को शराब पीना सिखाया जा रहा है । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इन कटौती प्रस्तावों के प्रत्येक विषय के सम्बन्ध में वह जांच करें ।

मैं एक और विषय की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । गत वर्ष, आदिम जाति के लोगों के पुनर्वास के लिये पांच लाख रुपये मंजूर किये गये थे किन्तु केवल दो लाख रुपये ही खर्च किये गये और वह भी कांग्रेस को दृढ़ और पुनर्वासित करने के लिये । बाकी रुपया लौटा दिया गया । इस वर्ष भी सात लाख रुपये मंजूर किये गये हैं । कम से कम, वह रुपया उस उद्देश्य के लिये तो काम में लाया जाय जिसके लिये वह मंजूर किया गया है । संभवत: यह धनराशि भी लौटा दी जायगी और आदिम जाति के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते ही रहेंगे ।

आपने सारे राज्य में भारतीय वन अधिनियम लागू किया है जिसका यह परिणाम हुआ है कि वनों में रहने और खेती करने वाले लोग निकाले जा रहे हैं । उन्हें जंगलों में बसने का अधिकार नहीं दिया जाता है । सारे पहाड़ी क्षेत्र के अब सुरक्षित वन प्रदेश बना दिये जाने के कारण उन्हें वहां रहने नहीं दिया जा रहा है । वन संरक्षक न्यायालयों के आदेश के बिना ही उन्हें जेलों में बन्द कर देते हैं । करीब ३०० व्यक्तियों को ज़िला दंडाधीश के किसी प्राधिकार के बिना ही जेल में रखा गया था । जब यह बात केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाई गई तो उन्हें एकाएक छोड़ दिया गया । हम बार बार सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि उस राज्य की आवश्यकताओं और दशाओं के अनुसार वन अधिनियम को जो त्रिपूरा राज्य में लागू किया जायगा, संशोधित किया जाय, अन्यथा सारे राज्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । हम सड़कों की मांग करते हैं, रेलों की मांग करते हैं किन्तु

हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है । शिक्षा, चिकित्सा सम्बन्धी सहायता और अन्य बातों के सम्बन्ध में हम मांग करते हैं । शिक्षा निदेशक उन माध्यमिक स्कूलों को जो कांग्रेस के आदेशों का अनुसरण नहीं करते, वह धनराशियां देने से इनकार करते हैं जो भारत सरकार ने उनके लिये मंजूर की हैं । हम जानते हैं कि लोगों को चिकित्सा संबंधी सहायता भी प्राप्त नहीं होती है । हमसे कह दिया जाता है तुम कम्यूनिस्ट हो गये हो, तुमको अस्पतालों से कोई सहायता नहीं मिल सकती है ।

हम अपने राज्य में अपनी सरकार की मांग करते हैं । हम आपसे यह मांग करते हैं कि जब तक वहां उत्तरदायी सरकार स्थापित नहीं हो जाती तब तक प्रशासन हमारे साथ, यदि लोकतंत्रात्मक नहीं तो कम से कम मनुष्यता का व्यवहार तो करे ।

मैं विशेषतया भूमि सुधारों और लगान की बक़ाया को रद्द करने की ओर ध्यान आकृष्ट करता हूं । किसानों को कम व्याज पर ऋण देने का कोई प्रबन्ध किया जाना चाहिये । यदि सरकार इस विषय में हमारी मदद कर सके, तो सब कठिनाइयों के बावजूद त्रिपुरा की जनता वर्तमान कष्टों को सहन कर सकेगी । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री कटौती प्रस्तावों के विषयों पर अध्ययन कर के कुछ ठोस उत्तर देंगे और उन समस्याओं को हल करने के लिये प्रभावोत्पादक कार्यवाहियां करेंगे ।

श्री सी० आर० अय्युण्णि (त्रिचूर) : भाषण के इस अवसर के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं उन दो पुस्तकों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं जो हमें परिचालित की गई हैं । सर्वप्रथम मैं अपने राज्य के बारे में कहना चाहता हूं ।

सन् १९४९ में कोचीन त्रावनकोर में मिलाया गया था और तब से वहां की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती गई है । उस विलय के बाद से त्रावनकोर और कोचीन के लोगों में सेवाओं के विलय के सम्बन्ध में बड़ी खलबली मची हुई है । वह एक बहुत गंभीर विषय भी है । प्रत्येक विभाग के लिये कुछ नियम हैं और जो भी नियम लागू किये जाते हैं वे सब त्रावनकोर के पक्ष में होते हैं । आप जानते हैं कि स्पष्ट बहुमत के बिना कोई संगठन या कोई सरकार दृढ़ और प्रभावोत्पादक कार्यवाहियां नहीं कर सकती है । किन्तु यहां यह संभव नहीं है ।

वहां की स्थिति यह है कि यदि सचिवालय में कोई याचिका या आवेदन पत्र दिया जाय, तो जब तक आवेदक उसके पीछे हाथ धो के न पड़ जाय, तब तक वह एक जगह से दूसरी जगह को सरकती तक नहीं है । हम जानते हैं कि कई कठिनाइयां हैं और यही कारण है कि मैं यह कहता हूं कि किसी प्रभावोत्पादक उपाय का निश्चय करने के पूर्व इन कठिनाइयों को समझना चाहिये । मैं नये गृह मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं । यदि वह वहां की सरकार से कुछ कहें, तो मुझे विश्वास है कि वह कार्यान्वित किया जायगा और प्रशासन ठीक हो जायगा । मैं तो यह कहूंगा कि कोई अनुभवी आई० सी० एस० पदाधिकारी वहां यह देखने के लिये भेजा जाय कि काग़ज़ात किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं । मुझे विश्वास है कि यदि ऐसा किया गया, तो ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार कम हो जायगा । कोचीन के दीवान श्री आर० के० वणमुखम् चेट्टी ने यह नियम बनाया था कि कोई काग़ज़ किसी निश्चित समय के बाद टेबल पर पड़ा नहीं रह सकता था ।

यदि कोई मामला अदालत में चलाये जाने योग्य न हो तो उसे विभागीय कार्य-

[श्री सी० आर० अय्युण्णि]

वाही के लिये शीघ्र ही भेजा जाना चाहिये । यदि उसमें विलम्ब हो तो सम्बन्धित अधिकारी पर जुर्माना होना चाहिये । इस प्रकार त्रावनकोर-कोचीन का शासन बहुत सुधर सकता है । जहां तक एकीकरण का प्रश्न है, वहां की राजधानी के एक कोने में स्थित होने के कारण कठिनाई उपस्थित होती है । यदि वहां एक बड़ा अफसर एकीकरण के कार्यों के लिये नियुक्त किया जाय तो बड़ी सुविधा होगी ।

जहां तक दिन प्रति दिन के कार्यों का सम्बन्ध है कोई भी बड़ा अफसर उनकी पूरी पूरी देखभाल नहीं कर सकता है और न माननीय मुख्य मंत्री ही उस सम्बन्ध में कुछ कर सकते हैं । कोई निश्चित सिद्धान्त निर्धारित किये जाने चाहियें । हमें विलम्ब निवारण के हेतु सामूहिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है ।

दिल्ली की विशेष पुलिस संस्थापन का भी यह हाल है कि अभियुक्त सज़ा कम पाते हैं और छटते अधिक हैं । अतः यदि जांच के बाद यह पाया जाये कि अभियोग चलाना सम्भव नहीं है परन्तु विभागीय कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य है तो विभागीय कार्यवाही की जाये ।

दिल्ली में यातायात पर नियंत्रण भी सन्तोषजनक नहीं है। एक साइकिल पर एक पूरा परिवार बैठा चला जाता है । साइकिल में न घंटी होती है न लैम्प ही होता है । आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं और पुलिस कोई ध्यान नहीं देती है । इस सम्बन्ध में कड़ी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है । केवल इतना ही नहीं दिल्ली में और भी भीषण अपराधों की बाढ़ सी आ रही है । चोरियां खूब हो रही हैं । स्त्रियों और बच्चों का अपहरण होता है, लूटमार होती है और यहां तक कि क़त्ल भी किये जाते हैं । इन सब बातों की ओर ध्यान देना माननीय गृह मंत्री का प्रथम कर्तव्य है और इन अपराधों को समाप्त कर देने के लिये समुचित कार्यवाही की जानी चाहिये ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है ।

श्री सी० आर० अय्युण्णि : मुझे अधिक समय नहीं लेना है । मैं ने प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री से पहले भी इन बातों के लिये कहा है और मैं उन से एक बार पुनः निवेदन कर के अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री बालकृष्णन् (ईरोड–रक्षित-अनुसूचि जातियां) : मैं सरकार की इस कल्याणकारी योजना का स्वागत करता हूं । सरकार ने अभी तक जो महान कार्य किये हैं वे निस्सन्देह प्रशंसनीय हैं । देशी राज्यों का विलयन्, शरणार्थियों की समस्या तथा अन्न समस्या का निवारण आदि कार्य सरकार के लिये गौरव के विषय हैं किन्तु अभी अनुसूचित जातियों की समस्या, जोकि एक राष्ट्रीय समस्या है, हल नहीं हो पाई है । सरकार ने जो कार्यवाही की है वह अपर्याप्त है । यद्यपि सभी लोग यह नारे लगाते हैं कि अस्पृश्यता का निवारण करो किन्तु वह अभी यथावत् विद्यमान है । अस्पृश्यता निवारण में अधिक समय लगाना लोकतंत्र के हितों के प्रतिकूल है ।

हमारी सरकार विधान पारित करती है । मद्रास सरकार तो १९२८ से इस विषय में विधान बना रही है किन्तु सामाजिक असमानतायें दूर नहीं हो सकी हैं । सरकार इस समस्या को उसी तरह हल करे जिस प्रकार उसने शरणार्थी समस्या को हल किया है ।

मैं तो यह समझता हूं कि सरकार को अनुसूचित जातियों को आर्थिक सहायता देनी चाहिये । उन्हें दुकानदार और व्यापारी बनाया जाय और उन्हें जमीनें दी जायें । केवल तभी यह समस्या हल हो सकती है । दलित जातियों के परम्परागत कार्यों में भी प्रतियोगिता होने लगी है । उदाहरण के लये उनके जूता बनाने के उद्योग को लीजिये । मद्रास में इस कार्य का ठेका दलित वर्ग के व्यक्ति को न दिया जा कर एक ब्राह्मण को दिया गया है ।

स्थान स्थान पर नई मिलें खुल रही हैं और नये उद्योग स्थापित हो रहे हैं। उनमें दलित वर्गों को कम से कम लिया जाता है । अतः मेरा निवेदन है कि जो भी उद्योग प्रारम्भ हों उनमें उन्हें अधिक से अधिक स्थान दिया जाय । कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजूरी निर्धारित की जाये । सरकारी नौकरियों में उन के लिये जो स्थान रक्षित हैं वह उन को दिये जायें और पदोन्नति के समय भी इन सुरक्षणों का ध्यान रखा जाये । दलित वर्ग के लोगों की हर प्रकार से सहायता करने की चेष्टा की जाय । महात्मा गांधी ने तो उन की सेवा के लिये अपने समस्त जीवन की आहुति दे दी थी ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि न्यूनतम वेतन अधिनियम को कृषि श्रम पर भी लागू किया जाय । इसी प्रकार प्रत्येक वभाग में नियुक्त दलित वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाय ।

मैं देश के बड़े बड़े नेताओं से, इस सभा के सदस्यों से और समस्त राष्ट्र से प्रार्थना करता हूं कि हमें पूर्णरूपेण स्वतंत्र बनाया जाय और हमारी समस्त कठिनाइयों को दूर किया जाय ।

श्री पी० सुब्बा राव (नौरंगपुर) : पहली बात तो मुझे सरकारी कार्यों में विलम्ब होने के बारे में कहनी है । विलम्ब सीमा से बढ़ गया है । एक वर्ष पहले की बात है । पटना के महाराजा सरायकेला में भाषण दे रहे थे । वहां कुछ लोगों ने गुण्डागर्दी मचाई और मारपीट हो गई । कालाहांडी के महाराजा का सिर फूट गया । मामला अभी तक अदालत में चल रहा है । अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है । इतने बड़े आदमी के चोट आने पर भी यह दशा है तो फिर अन्य मामलों के विषय में तो सहज ही में अनुमान लगाया जा सकता है ।

दूसरी बात मुझे यह बतानी है कि भूत-पूर्व नरेशों पर आश्रित व्यक्तियों को जो भी भत्ते दिये जाने के समझौते हुए हैं, उन में कोई एकरूपता नहीं है । किसी को बहुत कम मिलता है तो किसी को अधिक । पेप्सू में तो यहां तक हुआ कि आश्रितों का समस्त धन राजप्रमुख को ही दे दिया गया और उन्होंने अपनी इच्छानुसार उसे बांटा । मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस ओर ध्यान दे कर इसका उचित प्रबन्ध करेगी कि इस सम्बन्ध में कोई एक रूपता हो और केवल बदमाशी के अतिरिक्त और किसी कारण से भत्तों में कमी न की जाये ।

इसके अतिरिक्त मुझे जनगणना आंकड़ों के बारे में कहना है जिन को अधिकारी अपनी इच्छानुसार बढ़ा कर या घटा कर बड़ी गड़बड़ मचाते हैं । विशेष कर बिहार म बहुत अधिक अन्धेर हुआ है । परन्तु भारत सरकार ने इस गड़बड़ी के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है, ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं सरकार प्रांतीयता को प्रोत्साहन देना चाहती है और दे रही है । अतः मेरा निवेदन है कि सरकार यह देखे कि इन आंकड़ों में कोई गड़बड़ी नहीं की जाती है, क्योंकि इस प्रकार आंकड़ों में उलटफेर करने से भाषा-प्रान्त आयोग के कार्य में बहुत असुविधा हो जायगी । माननीय गृह मंत्री को चाहिये कि वह इस

[श्री पी० सुब्बा राव]

बात की देखभाल करें और इस में गड़बड़ी न होने दें ।

अब मैं विशेष पुलिस संस्थापन के बारे में कहता हूं । रेलवे के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी । पहले तो रेलवे के कुछ क्लर्कों को भ्रष्टाचार का पता लगाने में सहायता देने के लिये रखा गया था, और उन्होंने प्रशंसनीय कार्य भी किया, किन्तु कुछ समय पश्चात्, उन्हें उनके स्थानों पर पुनः स्थानान्तरित कर दिया गया और सरकार को भ्रष्टाचार रोकने में भी सफलता नहीं मिली । क्या इस से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि सरकार उच्च अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों को सिद्ध करने को उत्सुक नहीं है, वह केवल छोटे व्यक्तियों पर हाथ डालना चाहती है । जैसे कि कंट्रोल के समय में बड़ी बड़ी लारियां और ट्रक अनाज से भरे हुए निकल जाते थे और उनको नहीं पकड़ा जाता था पर ग़रीब आदमियों को दो दो चार चार सेर अनाज ले जाने के लिये सज़ा दी जाती थी उसी प्रकार विशेष पुलिस भी बड़े आदमियों का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकी है और छोटे आदमियों को तंग किया गया है और बेचारे क्लर्कों को पुनः अपने स्थानों पर भेज दिया गया है । पूर्वी रेलवे ने तो एक आदेश तक जारी कर दिया कि किसी भी घोषित पदाधिकारी का बिना जनरल मैनेजर की सहमति के अभियोग नहीं चलाया जायगा या जा सकता है । ऐसी कार्यवाहियों से भ्रष्टाचार के निवारण में रुकावट पड़ती है । अन्त में मैं आशा करता हूं कि सरकार इन सब बातों का समुचित प्रबन्ध करने के लिये वास्तविक कार्यवाही करेगी ।

श्री राधा रमण (दिल्ली नगर) : सर्वप्रथम मैं गृह मंत्रालय को हमारे देश में जो शान्ति नजर आती है उसके लिये बधाई देना चाहता हूं । कुछ छोटे मोटे फिर्केदारी के झगड़े इधर उधर से पिछले वर्ष में जरूर सुनने में आये, लेकिन अगर हम सारे देश की स्थिति पर गौर करें तो हमें इस बात पर सन्तोष होगा कि हमारा देश तेजी से शान्ति की तरफ जा रहा है । साथ में यह भी एक बहुत खुशी की बात है कि अभी अभी कुछ अर्सा हुआ हमारे बीच में गृह मंत्री के पद पर श्री पन्त ने पदार्पण किया । श्री पन्त जी की कुशलता, उनका व्यवहार और उन का बड़ा पुराना अनुभव हमें इस बात का विश्वास दिलाता है कि इस मंत्रालय में अब और भी ज्यादा तेजी से काम होगा और हमारे देश में जो शान्ति की चाह है और जो सारे मुल्क में एक ख़्वाहिश है इस बात की कि यह मंत्रालय बहुत सुदृढ़ हो और देश की अवस्था में दिनों दिन उन्नति करे, मेरा यह विश्वास है कि ऐसा होता चलेगा ।

पहली बात जो मैं गृह मंत्री के सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि हमारा दिल्ली का सूबा वैसे तो बहुत छोटा है, मगर उस का स्थान काफी बड़ा समझा जाता है क्योंकि यह राजधानी है । इसलिये अगर राजधानी में ऐसी बातें हों जो सन्तोषप्रद हों तो उन का प्रभाव सारे देश पर बड़ा अच्छा होता है । इसलिये वक्त कम होने की वजह से मैं और बातों पर अपने खयालात का इजहार न करते हुए जो दो तीन बातें मुझे इस सूबे के सम्बन्ध में गृह मंत्री के सामने रखनी हैं उनको मैं उनकी सेवा में उपस्थित करना चाहता हूं । मुझे इस बात की पूर्ण आशा है कि वह उनकी गम्भीरता और उनकी आवश्यकता दोनों पर विचार करते हुए पूरा ध्यान देंगे और उन त्रुटियों को जिन की वजह से गांव और शहर वालों को, बल्कि सारे सूबे वालों को, काफी तकलीफ

होती है, दूर करेंगे । सब से पहले मुझे उन का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना है कि इस सूबे में बदकिस्मती से जो यहां का गृह विभाग है वह कुछ बहुत मुन्तशिर सा है, बिखरा हुआ सा है, खास तौर पर जमीनों के सिलसिले में । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत काफी तकलीफें यहां के लोगों को नजर आती हैं । सरकार ने अपनी नीति कई बार प्रकट की है और वह यह महसूस भी करती है कि यहां पर आवश्यकता इस बात की है कि एक मास्टर प्लैन हो, एक सिंगल अथारिटी हो । जब हम बहुत सी चीजें जनता के सुधार के लिये रखते हैं तो वह पूरी नहीं हो पाती हैं । शायद आपको भी इस बात का ज्ञान होगा और हमारे बहुत से संसद् के भाइयों को भी कि दिल्ली में चार अलग अलग संस्थायें देहली प्रदेश के विकास की हैं । लोकल बोर्ड्स हैं, दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, लैंड डेवेलपमेंट आफिस और डेवेलपमेंट बोर्ड । इन चारों में सारे सूबे के विकास के काम का विभाजन किया गया है । जब कभी हम कोई काम उठाते हैं तो इन चारों में काफी टकराव होता है, और जो काम हम आज ले कर चलते हैं उसमें महीनों नहीं, बरसों तक लग जाते हैं और फिर भी काम पूरा नहीं हो पाता । अभी विधान सभा का जो अधिवेशन चल रहा है उस में शुरू के दिन हमारे सूबे के चीफ कमिश्नर ने इस बात की घोषणा की थी कि यह फैसला हो चुका है कि दिल्ली में सिंगल आथोरिटी होगी और एक मास्टर प्लान होगा और वह बहुत जल्द हमारे सामने आने वाला है । यह बात हम काफी अर्से से सुनते चले आ रहे हैं लेकिन कदम हमारे इतने धीमे हैं और तरक्की जो हम कर रहे हैं इतनी कम है कि हमें यह विश्वास नहीं होता है कि सिंगल आथोरिटी या मास्टर प्लान बहुत जल्द ही दिल्ली को मिल सकेगा जिस की वजह से बहुत सारी जो सुविधायें दी जा सकती हैं और जो अब तक रुकी पड़ी हैं वे हमें मिल सकेंगी । मैं गृह मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि काफी अर्से से दिल्ली के कुछ लोग इस बात की कोशिश में हैं कि हमें एक ऐसी ज़मीन प्राप्त हो जाय कि मौलाना शफीकुर्रहमान किदवाई की याद में एक मैमोरियल बना सकें और वहां एडल्ट एजुकेशन सेन्टर चालू कर सकें । ज़मीनें काफी पड़ी हुई हैं और एक बार फैसला भी किया गया था कि कुछ ज़मीन इस काम के लिये दी जाय लेकिन वह अभी तक दी नहीं गई है । कई बरस होने को हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया । उस ज़मीन पर मकान खड़े हैं लेकिन अभी तक उन को गिराया नहीं गया है । दिल्ली के स्वर्गीय रघुनन्द शरन जी ने एक लाख रुपये इस काम के लिये रखे हुए हैं कि एक बहुत अच्छा हाल उनके नाम पर बनाया जाय । लेकिन वह काम भी पूरा नहीं हो पा रहा है । इसका कारण यह है कि दिल्ली में कोई सिंगल आथोरिटी और मास्टर प्लान नहीं है। इस वास्ते मैं गृह मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे इस ओर जल्दी से जल्दी ध्यान दें और एक मास्टर प्लान को लायें और सिंगल आथोरिटी की स्थापना करें ताकि जो काम रुके हुए हैं वे तेज़ी से आगे बढ़ सकें ।

दिल्ली पुलिस के बारे में मेरे एक मित्र ने कुछ कहा है और मैं समझता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है उस में बहुत कुछ सच है । मैं ने एक प्रश्न किया था और पूछा था कि दिल्ली की पुलिस में अब करीब करीब १०,०२२ जवान हो गये हैं और पुलिस को आप ने जो रिऔरगेनाइज़ करना था वह अब आखिरी मंज़िल पर आ गया है तो क्या कारण है कि इस के बावजूद भी दिल्ली के अन्दर इतने क्राइम होते हैं, या जुर्म होते हैं, अभी तक उन की संख्या में इतनी कमी नहीं हुई है जितनी संख्या में कि पुलिस बढ़ी है । मैं ने यह भी पूछा था कि मुझे बताया

[श्री राधा रमण]

जाय कि क्या कारण है कि कुछ लोग तो पंजाब के और कुछ यू० पी० के भरती कर लिये जाते हैं और दिल्ली वाले जोकि यहां पर काफी अर्से से रहते हैं और यहां पर आ कर बस गये हैं उनको भरती नहीं किया जाता और जो यहां से भरती किये गये हैं उनकी संख्या कितनी है और जो यू० पी० से लिये गये हैं उनकी कितनी है और पंजाब से लिये जाने वालों की कितनी है । इस के जवाब में मुझे बताया गया है कि इस की संख्या मुकर्रर नहीं है । सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि दिल्ली के आस पास के गांवों में हरिजनों की हालत बहुत खराब है और वहां न तो उनकी बात बड़ी जाति वाले पूछते हैं और न ही छोटी जाति वाले उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं । उन की हालत बहुत ज्यादा खराब है.....

श्री पी० एन० राजभोज : हां, उनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है ।

श्री राधा रमण : मैं चाहता हूं कि जब पुलिस में भरती की जाय तो इन लोगों की पुलिस में जितनी तादाद होनी चाहिये उसके अनुसार इनको लिया जाय । इस के बारे में भी एक सवाल किया था और बताया गया था कि हम अभी तक उस संख्या तक नहीं पहुंचे हैं जो इनके लिये मुकर्रर की गई है । इसका कारण यह बताया गया कि हमें योग्य हरिजन नौजवान नहीं मिल रहे हैं । मुझे यह बात रुचिकर नहीं लगती । मेरे विचार में ऐसे हरिजन काफी संख्या में मिल सकते हैं जोकि पुलिस में भरती होने के काबिल हों । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि जब वह इस मामले की पूरी जांच करवायें और वह यह देखें कि पुलिस में इनकी भरती, जो इन के लिये रेशो रखी गई है, उसके मुताबिक क्यों नहीं होती ।

दिल्ली सूबे के पढ़े लिखे नौजवानों की हालत ऐसी है कि कोई सूबा उनको अपनाता नहीं और न ही दिल्ली सूबे का कोई अपना केडर है । नतीजा यह होता है कि इधर उधर के ज्यादा लोग भरती हो जाते हैं और यहां के नौजवान टक्करें मारते फिरते हैं और उनको कोई पूछता नहीं है । यहां पर दिल्ली की यह हालत है कि दूसरे सूबों के लोग ले लिये जाते हैं लेकिन जब ये लोग दूसरे सूबों में जाते हैं तो इन को नहीं लिया जाता है । मेरा कहने का यह मकसद नहीं है कि अगर आपको इधर उधर से अच्छे नौजवान मिलते हैं तो आप उनको पुलिस में भरती न करें लेकिन मैं आप का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस बात की शिकायत जरूर है कि जब तक आप दिल्ली के लिये कोई अपना केडर तैयार नहीं करते, और जब तक दिल्ली के नौजवानों को दूसरे सूबों में वे रियायतें नहीं मिलतीं जोकि दूसरे सूबे वालों को यहां दी जाती हैं तब तक इन में जो असन्तोष है वह दूर नहीं हो सकता । इसलिये आप को कोई ऐसा इन्तज़ाम ज़रूर करना चाहिये कि यहां के लोग यह महसूस करें कि यह हमारा सूबा है और यहां पर हमें रोज़गार मिल सकता है और हमारी आजीविका के लिये हमें वही साधन यहां प्राप्त हैं जैसेकि दूसरे सूबों में हैं । मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री इस ओर खास तौर से ध्यान दें ।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यहां की कोर्ट्स के बारे में है । यहां जो कोर्ट्स हैं उन के बारे में आपने एक फैसला किया हुआ है कि जजों की ५० फीसदी एप्वाइंटमेंट्स आप पंजाब में से करते हैं और ५० फीसदी यू० पी० में से । यह निहायत नेक फैसला है । जो यहां के जजिज़ हैं, जो मुन्सिफ लोग हैं उनके बारे में मैं अर्ज़ करना

चाहता हूं कि पिछले दो तीन सालों में उन की तादाद बढ़ी है लेकिन मुकदमों की तादाद कहीं ज्यादा बढ़ गई है और सूरत यह हो गई है कि एक मुकदमे का जहां एक या दो महीनों में फैसला हो जाना चाहिये वहां उसका फैसला करने में एक एक दो दो बरस लग जाते हैं और फिर भी उसका फैसला नहीं होता है। कोर्ट्स के अन्दर हालत यह है कि जो लोग वहां जाते हैं उनके बैठने का न तो कोई इंतज़ाम होता है और न ही उनके पीने के लिये पानी का इंतज़ाम होता है। उनके साथ वहां ऐसा सलूक होता है जैसाकि किसी आवारा गर्द के साथ होता है। कोर्ट्स के अन्दर जो काम करने वाले हैं जैसे रीडर और उनके साथी उनकी भी तादाद बहुत कम है। जब कभी भी हम किसी जज से यह बात पूछते हैं कि क्या वजह है कि मुकदमे का फैसला करने में इतनी ज्यादा देर लगती है तो हमें जवाब दिया जाता है कि जितना काम एक शख्स कर सकता है उससे ज्यादा कैसे हो सकता है। हमारे पास जितने आदमी हैं उतना हम काम करते हैं। आप तीसहज़ारी में कोर्ट्स के लिये एक इमारत बना रहे हैं और मैं समझता हूं कि वह इमारत हमारी ज़रूरतों के मुताबिक काफी होगी लेकिन साथ ही साथ मैं यह जरूर चाहता हूं कि इन्सान को सन्तुष्ट करने के लिये उसको जल्दी से जल्दी इन्साफ दिया जाय। यह बहुत जरूरी चीज़ है और अगर आप इस में ढिलाई दिखायेंगे तो लोगों का विश्वास इन्साफ में से उठ जायेगा। अगर लोगों की यह दिक्कत इसी तरह चलती रही तो लोगों की बजा तौर पर काफी शिकायत रहेगी।

दिल्ली के अन्दर जो इस वक्त प्रैस लाज़ हैं और बाकी हिन्दुस्तान में भी लागू हैं वे बिल्कुल नाकाफी हैं और बिल्कुल नामुकम्मल हैं। मैं ने एक दो केसिज़ जिन में बहुत ज्यादा अशिष्ट लिट्रेचर था, या बहुत गलत प्रकाशन थे, उनको चीफ कमिश्नर साहब के पास भेजे थे और उन्होंने काफ़ी छान बीन करवाने के बाद उन्हें अदालत में भेजा। वहां पर इनको एक एक और दो दो महीनों की सज़ा हो गई लेकिन सैशन के अन्दर जा कर उन को बरी कर दिया गया। जो प्रकाशन थे वे वाकई में ऐसे थे कि कोई भी सभ्य आदमी अगर उन्हें पढ़े तो वह उन को बरदाश्त नहीं कर सकता और सभ्य सोसाइटी के लिये उनको जायज़ नहीं समझा जा सकता था। तो हमारे कानून कुछ इस किस्म के हैं और उन में कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हैं कि जिनको सुधारने की आवश्यकता है। अगर हम चाहते हैं कि देश के अन्दर लोगों का इखलाक ऊंचा हो और वे बुरी बातों की तरफ न जायें तो हमें कोई ऐसा प्रबन्ध करना होगा जिस से कि ऐसे विशिष्ट प्रकाशनों पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके और ऐसे कानून पास होने चाहियें जिन के ज़रिये हम उन के खिलाफ़ जो इनको छपवाते हैं कड़ी कार्यवाही कर सकें।

मुझे और भी बातें कहनी थीं लेकिन सभापति महोदय ने घंटी बजा दी है और मैं चाहता हूं कि जितना समय मुझे दिया गया है मैं उस से ज्यादा समय न लूं इसलिए मैं अन्त में इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि गृह मंत्री जो जो बातें मैं ने कही हैं उनकी तरफ ध्यान दें और उन के बारे में कुछ कहें।

श्री देवगम (चैबस्सा—रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : हम आदिवासियों के लिये मंत्रालय की ओर से और बड़ी बड़ी सभाओं में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं। ट्राइबल वेलफेयर के विषय में भी बहुत अच्छे अच्छे भाषण दिये जाते हैं। लोगों को बड़े अच्छे अच्छे हरे बाग़ दिखलाये जाते हैं। यहां के लेक्चर सुनकर तो मेरा

[श्री देवगम]

मन मयूर नाच उठता है । लेकिन जब मैं अपने जिले में जाता हूं तो वहां पर वह हरे बाग नहीं दिखलाई देते जो कि यहां दिखलाई देते हैं । वहां तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखलाई देता है ।

गत बार हमारे गृहमंत्री जी काटजू साहब ने कहा था कि लोग मिशनरी स्पिरिट से ट्राइबल एरिया में जायें और वहां वालों की सेवा करें । इस सदेच्छा के लिये मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं । परन्तु मंत्री लोग और बड़े बड़े नेता लोग तो इंजीनियर हैं । उनके वायदों को पूरा करने के लिये दूसरे लोग हैं । फील्ड वर्कर दूसरे हैं । आप लोगों की सदेच्छा उन तक नहीं पहुंचने पाती । मैं चाहता हूं और हमारे बड़े बड़े नेता लोग भी यही चाहते हैं कि आदिवासियों की उन्नति अपने अपने प्रयत्नों से हो, दूसरों के प्रयत्नों से न हो । उन्हीं के लोगों को शिक्षा दे कर उन्हीं के द्वारा उनकी उन्नति कराई जाय । वे लोग अपने प्रयत्न से उठें । दूसरों को उन का उठाना ऑड जॉब है। ट्राइबल लोगों का भविष्य एक मात्र शिक्षा पर ही निर्भर करता है यह बात ठीक है । इसलिये मैं अर्ज़ करता हूं कि :

सब से प्रथम कर्तव्य है,
शिक्षा बढ़ाना देश में ।
शिक्षा बिना ही पड़े रहे हैं,
हम सब इस क्लेश में ।।

१९२० में हमारे ज़िले में एजुकेशन विभाग में ज्यादा ट्राइबल लोग काम करते थे । इंस्पेक्टिंग स्टाफ में कुछ लोग थे । हमने इंडिपेंडेंट होने पर आशा की थी अब हमारी संख्या बढ़ेगी । लेकिन हम ट्राइबल लोगों की बदनसीबी है कि आज हमारा एक भी आदमी इंस्पेक्टिंग स्टाफ में नहीं है । हमारा पहाड़ी अंचल होने के कारण बाहर के लोग जंगलों के स्कूलों को नहीं देखते । वे जंगल के हवा पानी को नहीं सह सकते । जब बाहर के लोग वहां भेज दिये जाते हैं तो मैं सच कहता हूं कि वे स्कूलों को नहीं देखते हैं । वे अपने हैडक्वार्टर्स में बैठे बैठे डायरी भरा करते हैं । इस के साक्षी सेंट्रल गवर्नमेंट के अफसर, श्री के० के० ल्यूवा, रीजनल कमिश्नर फार शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स, हैं । मैं ने उनको अपने इलाके में दौरा करने का निमंत्रण दिया था और उन्होंने वहां पर यह बात पाई कि इंस्पेक्टिंग स्टाफ स्कूलों को नहीं देखता है । स्कूल या पाठशाला के गुरुओं से विजिटर्स बुक मंगवा कर हैड-क्वार्टर्स में बैठ कर उस में लिखते हैं । मैं समझता हूं कि कोई कोई स्कूल तो एक एक साल से नहीं देखा गया है । इस विषय में हमने बिहार के डाइरेक्टर आफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन को भी लिखा ।

एजूकेशन के बाद हम लोगों के लिये दूसरी चीज़ खेती है । हम ट्राइबल्स पहाड़ी अंचल में रहते हैं । हमारे यहां की खेती की समस्या और सिंचाई की समस्या विशेष महत्व रखती है । और जगह के लिये सिंचाई की योजना बनाना सहज है, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है । इसलिये जब प्लेन्स से इंजिनियर्स हमारे यहां सिंचाई की योजनायें बनाने जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है । हमारे सिंह भूमि जिले में गत वर्ष ५९२ स्कीमें बनाई गईं जिन में २·५ लाख रुपया बरबाद हुआ । मैं ने इन सब योजनाओं को श्री के० के० ल्यूवा को दिखलाया था । कुछ तो उसी वर्ष टूट गईं जिस वर्ष कि वे बनी थीं और उन से किसी खेत में सिंचाई नहीं हुई । यह भी मैं ने ल्यूवा साहब को दिखलाया था । यह हाल तो उन योजनाओं का था जिनको कि इंजिनियरों ने बनाया था । फिर मैं ने उन योजनाओं को दिखलाया जिन को अनपढ़ किसानों ने बनाया था ।

हमारे पुरखे ऐसी योजनायें बनाते थे कि वहां पर सूखा पड़ने पर भी अकाल नहीं पड़ता था ।

हमारे यहां बिहार में एक बांध बनाया गया है । जिसका नाम मंत्री के नाम पर रखा गया है । उस का नाम कृष्ण वल्लभ बांध है। इस को एक आदिवासी ने बनाया है जिस को कभी इंजीनियरिंग कालिज को देखने का मौका नहीं मिला था । वह मिडिल तक पढ़ा हुआ था । उसने कंटूर को फालो करके उस बांध को बनाया था । उसको भी मैं ने ल्यूवा साहब को दिखलाया कि देखिये यह बांध हमारे अनपढ़ किसान भाइयों ने बनाया है जो किताबी ज्ञान से लदे हुए नहीं हैं पर जिन को अपना निजी अनुभव है । इसलिये मैं तो अर्ज करूंगा कि आप के योजना बनाने वालों को हम ग्रामवासियों को भी अपने कानफिडेंस में लेना चाहिये और हम से भी सलाह मशविरा लिया करें । लेकिन वह ऐसा कभी नहीं करते । अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो वह कहते हैं कि लोग नानकोआपरेट करते हैं । वे कहते हैं : "दे डू नाट वांट टु को-आपरेट विद मी" । लेकिन हम कभी नान कोआपरेट नहीं करते । हम लोग हमेशा सरकार के साथ सहयोग करते हैं । हमारे यहां एक विलेज हैडमैन की नौकरी इसीलिये चली गई कि जब एक बांध बन रहा था तो उस में उस ने कुछ नुक्ताचीनी की थी । जो इंजिनियर लोग थे वे ठेकेदार को लिखित आदेश देते थे । उस हैडमैन ने कहा था कि काम ठीक नहीं हो रहा है । इसलिये कि काम ठीक नहीं हो रहा था, इसी अपराध के लिये उसको मान के पद से हटा दिया गया और ल्यूबा साहब को यह काम दिया गया । उस में सीमेंट कम मिलाया गया था, वेस्ट विन को rock (चट्टान) बनवाना चाहिये था, जिस से सरप्लस वाटर चला जाय, जहां बनाना चाहिये था वहां उसको नहीं बनाया गया और इस का फल यह हुआ कि एक वर्ष के बाद ही फ्लड वाटर जो सरप्लस पानी होता है वह सीमेंट वर्क को बहा कर ले गया और सीमेंट वर्क क़ायम नहीं रह सका ।

वेलफ़ेयर वर्क्स में सब प्रकार के लोग हैं, अलबत्ता उन में आदिवासी नहीं हैं, मैं समझता हूं कि आदिवासी लोगों को भी वेलफ़ेयर वर्क्स में लेना चाहिये और मैं समझता हूं कि अगर आप उनका सहयोग इस में लेंगे तो आपको अपने फ़ाईव इयर प्लान में काफ़ी सफलता मिलेगी ।

फ़ाइव इयर प्लान के अध्याय ३७ के पैरा १३, १६, १७ और १८ में आदिवासियों का कल्याण करने का वायदा किया गया है । पैरा १३ में उन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये उन लोगों के जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, उन में उन को भाग मिलना चाहिये, जोकि नहीं मिलता है, उन लोगों को शोषण से बचाना चाहिये, यह भी नहीं होता है, उन की ज़मीन को लोग धोखे से अपने कब्ज़े में लेते जाते हैं । इस का भी नमूना मैं ने ल्यूबा साहब को दिखाया है कि किस तरह से बाहर के लोग कचहरी में फ़रज़ी नाम से ज़मीन ख़रीद लेते हैं और उस की रजिस्ट्री करा लेते हैं ।

श्री पी० एन० राजभोज : क्या नाम आपने बतलाया ?

श्री देवगम : उनका पूरा नाम है श्री के० के० ल्यूवा, रीजनल असिस्टैंट कमिश्नर, एस-सी सी/टी, बिहार तथा पश्चिम बंगाल रीजन । अब चूंकि मेरे पास समय नहीं रह गया है इसलिये बहुत संक्षेप में अपनी बात खत्म किये देता हूं । फ़ारेस्ट एकोनामी के

[श्री देवगम]

बारे में जो पंचवर्षीय योजना में कहा गया है उसका हिन्दी में मैं ने इस तरह उल्था किया है :

"यह वांछनीय है कि आदिम जातियों को जंगलों की निगरानी और विकास के लिये और जंगलों के उत्पादन धन का उपभोग करने का सर्वप्रथम साधन बनाया जाय । आदिम जाति के युवकों को जंगलों के प्रति प्रेम, इनकी रक्षा नियमानुसार जंगल की सम्पत्ति की वृद्धि के लिये काम करना सिखलाने के लिये फ़ारेस्ट स्कूल्स खोले जाने चाहियें जिसके मानी यही हैं कि बदले में उन की अपनी निजी ज़िन्दगी बेहतर बने । लेकिन फ़ारेस्ट स्कूलों में कितने आदिम जाति के युवक शिक्षा पाते हैं, इसके भी गृह मंत्री स्टेटों से आंकड़े मंगायें और देखें कि वहां उनको उचित प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं । फ़ाईव इयर प्लान के इम्पलीमेंटेशन करने के लिये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियां हर ज़िले में हैं लेकिन बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि उनके यहां इस पंचवर्षीय योजना की जो पुस्तक है, वह भी उन के पास नहीं है और तब वह कैसे जान सकती हैं कि उनको क्या करना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि मैं हरिजनों और आदिमजाति वालों की अवस्था की ओर गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर सका हूं और आशा करता हूं कि अगले वर्ष इससे अच्छा फल निकलेगा ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी (यादगीर) : हमें प्रसन्नता है कि गृह-कार्य मंत्रालय ने अपने सभी कार्य-क्षेत्रों में सर्वांगीण प्रगति की है । राज्य-मंत्रालय को गृहकार्य मंत्रालय में विलय कर के तथा अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण करके, अंडमान तथा निकोबार का विकास करके इस मंत्रालय ने प्रशंसनीय कार्य किया है । अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये ५० करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे और अंडमान में २०,००० व्यक्तियों को बसाया जायगा ।

मुझे मुख्य रूप से भाग 'ख' में के राज्यों के सम्बन्ध में कहना है भाग 'क' तथा भाग 'ख' राज्यों में किया जा रहा विभेद असन्तोष का विषय बना हुआ है । कहा जाता है कि भाग 'ख' राज्यों की शासन व्यवस्था पिछड़ी हुई है और वहां अदक्षता है । परन्तु मेरा निवेदन यह है कि भाग 'ख' राज्यों का शासन अब सुधर गया है । अतः अब भाग 'क' और भाग 'ख' राज्यों का अन्तर मिटा दिया जाना चाहिये ।

संविधान के अनुसार दस वर्ष तक भाग 'ख' राज्यों पर नियंत्रण रहना चाहिये, परन्तु संसद् इस अवधि के कम किये जाने के लिये एक विधान पारित करने की अधिकारी है ।

इसी प्रकार राजप्रमुखों को जो धन दिया जाता है वह भी बन्द किया जाना चाहिये । हैदराबाद के निज़ाम को ५० लाख रुपये दिये जाते हैं । क्या इसे उचित कहा जा सकता है ? हम एक समाजवादी समाज की स्थापना किस प्रकार कर सकते हैं जबकि इस प्रकार के विभेद वर्तमान हैं । मैं तो कहता हूं कि संसत्सदस्यों को जो वेतन मिलता है उस में भी हमें स्वतः सौ रुपये कम कर देने चाहियें, अन्यथा समाजवादी समाज और आर्थिक समानता की बातें करना व्यर्थ है ।

एक माननीय सदस्य : आप ही श्रीगणेश कीजिये ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : राजप्रमुखों की निजी थैलियां आयकर से मुक्त हैं । उन्हें यह सुविधा क्यों दी जाये ? उनके पास पहले ही इतना धन है अतः उन्हें और अधिक

धन देने की क्या जरूरत है । अब तो हम समाजवादी आधार पर राष्ट्र का निर्माण करने जा रहे हैं । समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं, अतः अब इन समझौतों के पुनरीक्षण की आवश्यकता है ।

जहां तक हैदराबाद में विधि-व्यवस्था का प्रश्न है, अभी वहां पूर्ण शान्ति नहीं है । पिछले पन्द्रह अगस्त को ही वहां पाकिस्तानी झंडे फहराये गये थे । बड़े झगड़े हुए और पुलिस ही स्थिति पर काबू पा सकी । गुलबर्गा में झगड़े हुए और शान्ति स्थापन करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा । यह सब बातें बताती हैं कि हैदराबाद में स्थिति सामान्य नहीं है । वहां फिर झगड़े होंगे । वहां जमायत-उल-उल्मा तक इन झगड़ों में लिप्त है । अतः केन्द्रीय सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिये । चारों ओर से यह मांग की जा रही है कि जब तक उस राज्य को तीन भागों में बांट कर अन्य राज्यों के साथ नहीं मिला दिया जायगा, वहां कोई न कोई गड़बड़ होती ही रहेगी । इस विषय में राज्य पुनर्गठन आयोग का ध्यान कई बार आकर्षित किया गया है । उस ने अपना प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है किन्तु मुझे आशा है कि वह भी इस से सहमत होगा ।

केन्द्रीय मंत्रियों को अधिक से अधिक बार राज्यों की यात्रा करनी चाहिये जिस से वहां की दशा से वे भली भांति परिचित हो सकें ।

मुझे यह भी बताना है कि राज्यों की जेल-व्यवस्था में कोई एकरूपता नहीं है जिस का होना बहुत आवश्यक है । बन्दियों को समुचित शिक्षा दीक्षा दी जानी चाहिये । काम के लिये उनको पारिश्रमिक दिया जाना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री तिम्मय्या (कोलार–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मैसूर राज्य के, जहां का मैं प्रतिनिधि हूं, उच्च न्यायालय में कई न्यायाधीशों के सेवा-निवृत्त होने पर कई स्थान रिक्त पड़े हुए हैं जिन के कारण न्यायालय में बहुत से मामले लम्बित हैं । इसलिये गृह-मंत्रालय से प्रार्थना है कि मैसूर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शीघ्र नियुक्ति की जानी चाहिये । साथ ही मैसूर राज्य में बेल्लारी ज़िले के मिला दिये जाने के कारण मेरा सुझाव है कि गृह मंत्रालय, मैसूर उच्च न्यायालय में कई अवर न्यायाधीशों की नियुक्ति करें ।

इस सभा में हम ने कई बार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हित की कई मांगें गृह मंत्रालय के सम्मुख प्रस्तुत की हैं तथा कई सुझाव रखे हैं । जहां तक अनुसूचित जातियों की शिक्षा सुविधाओं का प्रश्न है मुझे कुछ नहीं कहना है, परन्तु मेरे विचार से गृह-मंत्रालय को उन की आर्थिक दशा सुधारने के अवश्य प्रयत्न करने चाहियें । स्वयं संविधान में दिया गया है कि राज्य को समाज के निर्बल वर्गों की आर्थिक दशा अवश्य सुधारनी चाहिये । पंचवर्षीय योजना बनाई गई । विभिन्न परियोजनायें बनाई गईं तथा देश की आर्थिक दशा में सुधार हुआ परन्तु जहां तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है उन की आर्थिक दशा अभी भी असन्तोषजनक है ।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । इन जातियों को बेकार पड़ी भूमि मुफ्त दी जानी चाहिये । कुछ राज्यों में उन को इस प्रकार की भूमि मुफ्त दीं गई है परन्तु जो भूमि उनको दी गई है वह कृषि योग्य नहीं है तथा इस भूमि का उनको क़ब्ज़ा नहीं दिया गया है और पदाधिकारी भी इनको तंग करते हैं । इसलिये मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इस सम्बन्ध

[श्री तिम्मय्या]

में कोई एक समान नीति बनाई जाये । यदि इन ६ अथवा ७ वर्षों में सरकार ने इन व्यक्तियों को इस भूमि के वितरण की कोई योजना बनाई होती तो उनकी दशा में अवश्य सुधार हुआ होता । अभी भी समय है तथा सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की कृषि बस्तियां बसा सकती है । इसमें अन्य जातियों के भूमिहीन व्यक्तियो को भी सम्मिलित किया जा सकता है । गृह मंत्रालय को आदेश जारी करने चाहियें कि बेकार भूमि का एक निश्चित भाग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को दिया जाये तथा राज्य सरकारों को ऐसी नीति बनानी चाहिये कि प्रत्येक वर्ष में कुछ हरिजन परिवारों को भूमि दी जाये ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कुछ परम्परागत उद्योग हैं, परन्तु प्रोत्साहन न मिलने के कारण तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा इन उद्योगों के हथियाये जाने के कारण इनकी दशा गिर गई है । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार इन उद्योगों का सर्वेक्षण करे तथा उनके विकास के लिये अनुदान दे जिससे कि ये लोग अपना जीवनयापन भली प्रकार से कर सकें ।

राज्यों में कुछ इस प्रकार के ठेके होते हैं जिनको ये लोग भली प्रकार चला सकते हैं इसलिये सरकार को इस प्रकार के ठेके इन्हें ही देने चाहियें ।

हमने गृह मंत्रालय से कई बार प्रार्थना की है कि एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की दशा का पता लगाये जिस से कि समस्त देश के लिये एक समान नीति बनाई जा सके । मैं अब भी यही सुझाव प्रस्तुत करता हूं कि संसद् सदस्यों की तथा अनुसूचित जातियों की दशा को सुधारने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की जाये जिससे कि इन की दशा को सुधारने के लिये कोई नीति बनाई जा सके ।

गृह मंत्रालय ने घोषित तथा अघोषित पदों पर नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के अभ्यार्थियों के रक्षण दिये जाने के आदेश दिये थे, परन्तु उस में एक वाक्य यह भी रख दिया था कि यदि 'उपयुक्त' अभ्यर्थी न हों तो उस पद को अरक्षित समझा जाये । इस वाक्य के द्वारा जो कुछ लाभ दिया गया था सब वापस ले लिया गया है । उदाहरण के लिये, यदि एक स्नातक की आवश्यकता होती है और एक अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी आता है उस को अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाता है और इस के परिणामस्वरूप उस को नियुक्त नहीं किया जाता है । परन्तु जब विश्वविद्यालय की उपाधि अर्हता रखी जाती है तथा वह स्नातक होता है तब उस को किस आधार पर अनुपयुक्त घोषित किया जाता है । अतः मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों में ही सर्वश्रेष्ठ का चुनाव होना चाहिये उस की तुलना सभी अभ्यर्थियों से नहीं की जानी चाहिये तथा शब्द 'उपयुक्त' हटा दिया जाना चाहिये ।

पदोन्नति के सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि, सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की प्रतियोगीय परीक्षा अलग से होनी चाहिये तथा उनमें जो श्रेष्ठ हो उस को पदोन्नति होनी चाहिये । जिस से कि गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित अभ्यंश पूरा हो सके । एक बार श्री दातार ने पदोन्नति के सम्बन्ध में रक्षण दिये जाने के विषय पर विचार करने का वचन दिया था ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मैं ने कभी वचन नहीं दिया था ।

श्री पी० एन० राज भोज : वंचन दे दीजिये, कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ अच्छी बात ही हो जायेगी ।

श्री तिम्मया : मैं उन की कठिनाइयों को जानता हूं । यदि गृह मंत्रालय थोड़ा ध्यान दे तो यह सभी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं ।

चतुर्थ श्रेणी सेवा में शिक्षित तथा अशिक्षित युवक तथा युवतियों को नियुक्तियां नहीं मिल पाती हैं । गैर-सरकारी कारखानों में तो उन्हें नियुक्तियां मिलती ही नहीं हैं, यदि सरकारी कारखानों में भी काम नहीं मिलेगा तो किस प्रकार उनका सुधार होगा । गृह मंत्रालय ने परिपत्र भेजे हैं कि सभी उद्योगों में १६ २।३ प्रतिशत नियुक्तियां अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के व्यक्तियों की होनी चाहियें, परन्तु कारखानों तथा भारत इलैक्ट्रौनिक ने, अर्ह अभ्यर्थी प्राप्त होने पर भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में इन की नियुक्तियां नहीं की हैं । यदि इसी प्रकार की स्थिति रही तो हम कभी भी दावा नहीं कर सकते हैं कि हमारा देश प्रगति कर रहा है ।

सामाजिक दशा के सम्बन्ध में मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अस्पृश्यता विधेयक के पारित होने पर अस्पृश्यता अपराध बन जायेगा । मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस अधिनियम को ठीक प्रकार से लागू करे।

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर–दक्षिण) : किसी राष्ट्र की शान्ति उसके गृह विभाग के कार्य पर विशेष रूप से अवलम्बित रहती है । सौभाग्य से आज हमारा गृह विभाग ऐसे आदमी के हाथ में है जिन का शासन में बहुत बड़ा अनुभव है । जब से अंग्रेजों की शृंखला कमजोर पड़ी है और भारतीयों के हाथ में शासनसूत्र आया है, तब से शासन करने का अनुभव हमारे वर्तमान माननीय गृहमंत्री महोदय को है, और उनसे हमें बड़ी आशायें हैं । इन आशाओं के साथ में अपनी सही भावना उनके सामने रखना चाहता हूं कि आज स्वतंत्र होने के सात वर्ष बाद भी हम अपने रास्ते पर उतनी तेजी से नहीं जा रहे हैं, जितनी तेजी से जाने की देश हमसे आशा और उम्मीद रखता है । जहां कहीं हम जाते हैं हम तरक्की का वायुमंडल देखते हैं, लेकिन साथ ही यह भी लगता है कि हमारे यहां जो भावना देश के प्रति होनी चाहिये वह नहीं है । हर एक जगह व्यक्तिवाद का राज्य है । समष्टिवाद का विचार नहीं है । प्रत्येक का भला हो इस पर ध्यान न होकर हर एक आदमी का ध्यान इस पर केन्द्रित है कि उस का निजी भला हो । ऐसा क्यों है, कैसे है, इस पर हम को विचार करना चाहिये ।

कहने को यह कांग्रेस का राज्य है, लेकिन संचालन सूत्र अभी भी उन्हीं अधिकारियों के हाथ में है जो ब्रिटिश समय से आज तक हमारे साथ चले आ रहे हैं । उन अधिकारियों में ब्रिटिश राज्य के समय यह प्रवृत्ति थी कि एक उपनिवेश पर किस प्रकार शासन किया जाय । स्वराज्य के बाद उस प्रवृत्ति में कहां तक अन्तर पड़ा है इस पर अभी विचार करने के लिये समय नहीं है । यदि इस पर विचार करूंगा तो बहुत समय लग जायगा । लेकिन मेरे छोटे विचार में इस के अन्दर एक महान खामी है जिस के कारण आज हम तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं । अभी मैं ने इस रिपोर्ट को पढ़ा तो मैं ने देखा कि आजकल सुपर एन्युएशन और एक्सटेंशन आफ सरविस का प्रचार बड़े जोरों पर है । जिन लोगों को हम संविधान की दफा ३१४

[श्री सिंहासन सिंह]

में प्रोटेक्शन दे चुके हैं उन की सर्विस टर्म्स को हम खत्म नहीं कर सकते । उन को समय आने पर भी नहीं हटाया जाता और हटा कर के भी फिर रखा जाता है और रिएम्पलाय किया जाता है । इससे मेरे विचार में प्रगति कुछ रुकती है । जो आदमी उसके नीचे काम करने वाला है वह आज इस आशा से भरा हुआ है कि कल वह इस पद पर जायगा और अपनी कार्य कुशलता दिखलायेगा, लेकिन दूसरे दिन पता चलता है कि उस आदमी की सरविस बढ़ गई या वह आदमी रिएपाइंट हो गया तो जितने आदमी इस आशा में थे कि हम को तरक्की मिलेगी उनको धक्का लगता है । और धक्का लगने पर जो भावना उनकी गवर्नमेंट के प्रति होती है वह कोई अच्छी भावना नहीं होती । मैं दातार साहब से कहना चाहता हूं कि आज दुर्भाग्य से अहलकारों में यह भावना है कि इस राज्य में तरक्की तो उसी की होगी जिस की पहुंच हो, और जिस की पहुंच नहीं है चाहे वह कितना भी ईमानदार हो वह तरक्की नहीं कर पाता । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है । ऐसी भावना नहीं होनी चाहिये । हर एक आदमी को यह पूरा विश्वास होना चाहिये कि अगर वह अपना काम ईमानदारी से करेगा तो उस की तरक्की अपने आप होती चली जायगी । मेरे सामने कुछ आंकड़े हैं : वे यह तो नहीं बताते कि १९५४ में कितने रिटायर होने वाले थे और उनमें से कितनों को रिटायर होने का मौका नहीं मिला या उन की अवधि बढ़ा दी गई । मगर इन आंकड़ों से यह मालूम होता है कि ५०६ आदमी जोकि रिटायर कर दिये गये थे वह फिर से मुलाजिम कर लिये गये और और २८० आदमियों की अवधि बढ़ा दी गई । यह नहीं मालूम होता कि यह अवधि ५५ से ६० तक बढ़ी है या ६० के बाद भी बढ़ी है । लेकिन इतना तो मालम होता है कि ७८६ आदमी जोकि रिटायर हो गये उनको फिर से नियुक्त कर लिया गया या उनकी अवधि बढ़ाई गई । आपको इस से मालूम होगा कि इन ७८६ आदमियों के इस प्रकार रखे जाने से कितनों की तरक्की का क्रम रुक गया होगा । और हमारे ७८६ नौजवान जोकि इनकी जगह रखे जाते वह रह गये । आज देश में लाखों लोग बेकार हैं । बेकारों के नारे लग रहे हैं, उनके जलूस निकलते हैं । जिन आदमियों की सर्विस बढ़ाई गई है वे पहले ही काफी सरविस कर चुके हैं और काफी कमा चुके हैं । अगर वे अब भी देश सेवा करना चाहते हैं तो और तरीके से कर सकते हैं । लेकिन वे हमारे नौजवानों का स्थान ले लें यह तो हमारे ख्याल में उचित नहीं मालूम होता और उम्मीद है कि इस पर विचार किया जायगा । यह ७८६ आदमी तो पिछले साल के हैं । अगर और सालों को देखा जाय तो यह संख्या बहुत बड़ी निकलेगी । मैं एक उदाहरण दे सकता हूं । ब्रिटिश राज्य में कोई हाई कोर्ट का जज रिटायर होने के बाद रिअपाइंट नहीं होता था । लेकिन मैंने देखा कि अपने राज्य में एक हाईकोर्ट के जस्टिस सन् १९३६ में रिटायर हुए और उस के बाद सन् १९४७ में रिएपाइंट हुए । उसका परिणाम क्या हुआ । इसका यह परिणाम हुआ कि कुछ लोगों को न्यायाधीशों की तरफ से भी दुर्भावना होने लगी । और किसी देश में इस प्रकार की भावना न्यायाधीशों के प्रति होना गड़बड़ी का कारण हो सकती है । इसका यह भी परिणाम होता है कि हाई कोर्ट के दूसरे जजों के मन में भी यह भावना हो जाती है कि अगर हम सरकार को प्रसन्न रख सकेंगे तो हम भी रिएपाइंट हो जायेंगे । अब हाईकोर्ट के जज ६० वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं । इसका मतलब यह हुआ कि सन् ४७ में वह जज महोदय अपने रिटायर

होने के ११ साल बाद रिएपाइंट किये गये। अर्थात् वह ७१ साल की आयु में रिएपाइंट हुए। और इसके दो वर्ष बाद वह मर गये। यह मुझे एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया था। हमारे यहां औसत आयु २४-२५ वर्ष की है। तो वह जज महोदय इस प्रकार ७२-७३ वर्ष तक नौकर रहे। इससे न जाने कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा। मेरा खासकर आग्रह है कि इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय। इस प्रकार ३९ हाई कोर्ट के जज अवकाश प्राप्त करने के बाद पुनः नियुक्त किये गये हैं, यह व्यवस्था उचित नहीं।

दूसरी बात मुझे पब्लिक सरविस कमीशन के बारे में कहनी है। संविधान की धारा ३२० के अन्तर्गत कमीशन को अधिकार दिया गया कि यह नौकरियों में केवल परीक्षा द्वारा ही भरती करे। मैं आपके सामने संविधान की उस धारा को पढ़ दूं। वह इस प्रकार है :

> "संघ तथा राज्य के लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा कि क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिये परीक्षाओं का संचालन करे।"

अर्थात् वह सारी नियुक्तियां परीक्षा द्वारा करेंगे। लेकिन इस धारा के आश्रित जो हमने लोगों को सरविस में लेने के लिये नियम बनाये उनकी दफा ४ में हमने एक और बात बढ़ा दी है। वह यह है :

> "निर्वाचन द्वारा, विशेष मामलों में उन व्यक्तियों में से जो राज्य असैनिक सेवा के सदस्य नहीं हैं, राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में काम कर रहे हैं।"

इसका अर्थ यह हुआ कि बिना कम्पिटीशन के भी लोगों को लिया जा सकता है। ऐसे लोगो के आंकड़े रिपोर्ट के अपेंडिक्स में दिये हुए हैं। उनको देख कर मुझे कुछ हैरत हुई। सफा ३५ पर दिया हुआ है : "रिक्रूटमेंट बाई इंटरव्यू एंड सिलेक्शन"। तो यह जो सिलेक्शन हुआ इसके लिये कम्पिटीशन नहीं हुआ। इसी में क्लास डी० में दिया हुआ है।

३१,६३६ आदमियों ने दरखास्तें दीं, उनमें से केवल ५१२२ बुलाये जाते हैं और ६८५ लिये जाते हैं। यह जो किया जाता है उसके लिये हम किसी को दोष नहीं देते। लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि हर एक आदमी एम० पीज़० के पीछे दौड़ा फिरता है और कहता है कि हमारी सिफारिश कर दो ताकि हमारी दरखास्त पर हमको बुलाया जाय। हम बड़ी आफत में पड़ जाते हैं। हमारे गृह मंत्री को तो कोई आफत नहीं होती, लेकिन हम जो बाहर हैं वह इस अफत में पड़े रहते हैं। हम कितना भी लोगों को समझावें कि ईमानदारी से काम होगा, जिसका जो हक होगा वह उसको मिल जायगा, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता। वह कहते हैं कि हमारी सिफारिश कर दो। इस का नतीजा यह है कि जो आजादी कमीशन को होनी चाहिये धीरे धीरे उस पर भी बाहरी छाप पड़ने लगी है और कमीशन पर से भी लोगों का विश्वास थोड़ा बहुत ढीला हो गया है। जो संस्था शासक वर्ग का चुनाव करती है यदि उस पर से लोगों का विश्वास कम हो जाय तो आप देखेंगे कि सारी शासन की बागडोर ही ढीली हो जायगी। इसी तरीके से हमने देखा इस में तो हम को और भी कष्टकर मालूम हुआ कि इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के इम्तहान में सितम्बर सन् १९५४ में ६६२७ आदमी बैठे और १८२ आदमी इंटरव्यू के लिये बुलाये गये। लेकिन कुल जगहें कितनी थीं, इसका रिपोर्ट में कुछ पता नहीं। रिपोर्ट के इस कालम में पृष्ठ ३३ पर एपेंडिक्स लिखा हुआ है :

[श्री सिंहासन सिंह]

"रिक्त स्थानों के बारे में पूरी जानकारी अभी पता नहीं है ।"

सरकार को इस बात का पता ही नहीं है कि वेकेन्सीज़ कितनी हैं । इम्तहान हो गया, इंटरव्यू हो गई, पर आज तक यह पता नहीं कि कितनी वेकेन्सीज़ थीं, कितने आदमियों का निर्वाचन करना था और कितने आदमियों को इंटरव्यू में बुलाना है । एक जगह नहीं, तीन तीन जगह लिखा हुआ है :

"पूरी जानकारी अभी पता नहीं है ।"

सन् १९५४ की रिपोर्ट हमको १९५५ में मिली । लिखा गया कि सन् १९५४ में परीक्षा हो गई, इंटरव्यू हो गई, पर यह पता नहीं कि कितने आदमी लिये गये । इस पर आदमियों को शुबहा हो सकता है । इस से तो यह मालूम होता है कि अगर पांच आदमियों को चुनना था तो उन में किसी की सिफारिश पर नवां या दसवां आदमी रख लिया गया होगा । ऐसी सूरत में मैं गृह मंत्री से उम्मीद करूंगा और आशा करूंगा कि सर्विसेज़ के अन्दर कम से कम यह भावना नहीं होनी चाहिये कि कोई आदमी इस राज्य में किसी की सिफारिश की बदौलत नौकरी या तरक्की पायेगा । उनको यह मालूम होना चाहिये कि कोई भी आदमी इस राज्य में सिर्फ अपनी ईमानदारी के कारण ही उन्नति कर सकेगा । जब तक यह भावना लोगों में नहीं आयेगी तब तक आप खराबियों को रोक नहीं सकेंगे ।

बड़ी ख़ुशी की बात है कि हमारे गृह मंत्री ने आते ही करप्शन दूर करने के लिये और सारे मामलों की एन्क्वायरी करने के लिये एक सिविलियन आदमी यू० पी० से बुला रहे हैं । यह खबर पता नहीं कहां तक सच है अखबार में यह खबर निकली है । वह अफसर आकर सिफारिश करेगा कि करप्शन को कैसे दूर किया जाय । गवर्नमेन्ट सर्विस कंडक्ट रूल्स में यह नियम है कि चाहे कोई भी अफसर हो वह अपनी नियुक्ति के फौरन ही बाद यह रिपोर्ट करेगा कि उसके पास क्या सरमाया है, और पुनः हर साल उसको अपनी आर्थिक अवस्था की रिपोर्ट करनी होगी कि किस सरमाये से वह सर्विस में आया और उसका सरमाया आगे कैसे बढ़ता गया । अभी हमने यह रक्खा है कि एक हजार तक की खरीद के लिये रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है । मुझे इस की जानकारी नहीं है कि कोई अपने सरमाये की रिपोर्ट करता भी है या नहीं, लेकिन मैं अन्दाज़े से कह सकता हूं कि इस तरह की रिपोर्ट करने वाले शायद १ या २ परसेन्ट भी नहीं होंगे । और जो रिपोर्ट करते भी होंगे उनकी पता नहीं जांच भी कभी होती है या नहीं । जब तक लोगों को यह भय न हो जाय, डर न हो जाय और यह अनुभव न हो जाय कि जो मैं रिपोर्ट करूंगा उस की जांच होगी तब तक ज्यादा काम बनने वाला नहीं है । उनको यह मालूम हो जाना चाहिये कि उनके लिये अपने सरमाये की रिपोर्ट करना लाजिमी है क्योंकि इसकी जांच भी सरकार की तरफ से हो सकती है और जांच करने के बाद अगर उनकी ग़लती पकड़ी गई तो सजा भी हो सकती है । हम देखते हैं कि पब्लिक ऐकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट आती है, करोड़ों रुपयों के गबन के मामले सामने आते हैं, लेकिन उनमें कभी कोई जांच या कार्रवाई नहीं होती है । इसी दिल्ली के लिये कहा जाता है कि एक एक आदमी के नाम में मोहल्ले के मोहल्ले बने हुए हैं, लेकिन क्या कभी जांच हुई कि उनका वह रुपया कहां से आया, उनके पास इतना धन कैसे बढ़ गया ? अगर उस की जांच की जाय तो वह आपके उद्देश्य में बहुत

सहायक होगा । इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग जो कुछ यहां कहते हैं उसको कार्यान्वित किया जायेगा । अगर हम उस को कार्यान्वित न करें तो चाहे हम जितनी भी इच्छा रक्खें, लेकिन हमारी मंशा पूरी नहीं हो सकती । इससे हमारी क्षमता, हमारी योग्यता और हमारा विश्वास घटता ही है, बढता नहीं है ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि आप कम से कम बात को रोकने की चेष्टा करें कि लोग हमारे पास सिफारिश के लिये न दौड़ें । श्री दातार साहब ने एक सरकुलर शायद निकाला है कि कोई अधिकारी या क्लर्क अपने सम्बन्ध में किसी विधायक से न मिले, क्या यह सरकुलर निकाल देने से रुक जायेगा । यह दौड़ तब तक जारी रहेगी जब तक लोगों में यह विश्वास न हो जाय कि सब के साथ न्याय किया जायेगा । एम० पीज़० के यहां भी यह दौड़ जारी रहेगी और हम सिफारिश करने के लिये मजबूर होंगे । मान लीजिये कि हम उनकी सिफारिश न करें तो नतीजा क्या होगा ? कल परसों वह जमाना आयेगा जब हम लोगों के पास वोट मांगने जायेंगे । वह कहेंगे कि हम जरा से काम के लिये गये थे इन के पास तो इन्होंने सिफारिश नहीं की और आज वोट मांगने आ गये । आजकल डिमाक्रेसी का जमाना है । सब जगह आप यह विश्वास दिला दीजिये कि कहीं भी किसी को जाने की जरूरत नहीं है, सब लोग अपनी काबिलियत से लिये जायेंगे । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि आज किसी की भी नियुक्ति की जाये, चाहे अफसर हो या नीचे का क्लर्क हो, उस की नियुक्ति बिना पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने गये हुए न हो । जब पब्लिक सर्विस कमिशन नियुक्त किया गया है तो उसका पूरा उपयोग होना चाहिये । जब पब्लिक सर्विस कमिशन का इम्तहान होगा तो अच्छे से अच्छे आदमी और तेज से तेज आदमी सरकारी नौकरियों में आयेंगे । लेकिन अगर लोग सिफारिश ले कर आते रहे और उनको नौकरियों में रख लिया गया तो कहीं एक दिन ऐसा न आ जाये कि हिन्दुस्तान क्रान्ति की तरफ चला जाये ।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार अंडमान के लिये इस वर्ष दो करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं जबकि वहां की चिराई मिलों से ही केवल १.२५ करोड़ की आय होती है । यहां अच्छी लकड़ी पाई जाती है । प्रतिवेदन के अनुसार वहां तीन स्कूल हैं परन्तु मैं ने केवल एक ही देखा जिसमें हिन्दी अध्यापकों की कमी है । मेरी मंत्रालय से प्रार्थना है कि वहां अच्छे अध्यापक भेजने का प्रबन्ध करे ।

अंडमान में पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों को बसाया गया है जोकि अधिकांशत: खेती करते हैं । मेरा सुझाव था कि इनमें से ही हमें अध्यापकों का चुनाव करना चाहिये था जिससे कि विस्थापित व्यक्तियों के बच्चों की शिक्षा ठीक प्रकार से हो सके । वहां ५०० परिवार बसाये गये हैं जोकि उत्तरोत्तर उन्नति कर रहे हैं । सरकार का विचार ५०० और परिवार वहां भेजने का है । अंग्रेजों के समय में बंगाल ने बहुत कष्ट उठाये हैं परन्तु अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् उनके कष्टों को हमें अपने कष्ट समझना चाहिये । आज माननीय पुनर्वास मंत्री ने बताया कि औसतन २०,००० व्यक्ति प्रति मास पश्चिमी बंगाल को आ रहे हैं, तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम उन्हें किस स्थान पर पुनर्वासित करेंगे । वहां अभी तक केवल ५०० परिवार ही भेजे गये हैं । इसलिये उस स्थान को निवास योग्य बनाने के लिये जंगलों को काटना पड़ेगा जिसके लिये अधिक धन की आवश्यकता होगी ।

[श्री एस० सी० सामन्त]

मेरी प्रार्थना केवल यह है कि उनका ठीक प्रकार से ध्यान रखा जाये तथा यदि अन्य राज्य उनको पुनर्वासित करने से इन्कार करते हैं तो उन्हें अंडमान में ही बसाया जाये ।

वहां पर बसे बंगालियों ने वहां कृषि करना प्रारम्भ किया है तथा इतना अनाज उत्पन्न किया है जिस को बाहर भेजने की आवश्यकता हुई है । परन्तु परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं है क्योंकि एक सप्ताह में केवल एक जहाज वहां आता जाता है । इसलिये सरकार को इसका उत्तरदायित्व लेना चाहिये कि जो वस्तु वहां उत्पन्न की जाये वह बाहर बेची जा सके तथा अन्य आवश्यक वस्तुयें, जिन की वहां कमी है पर्याप्त मात्रा में वहां मिलने लगें ।

सरकार ने दो औषधालय वहां खोले हैं तथा एक चलता फिरता औषधालय कोलम्बो योजना सहायता के अधीन खोलने का विचार है । मेरा सुझाव है कि यदि यह औषधालय किसी अग्नि-पोट पर बनाया जाये तो इससे अधिक लाभ होगा ।

सरकार को अंडमान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये । वहां वायु-संचार सेवा को स्थापित किया जा रहा है । यह अच्छा है ।

हमने पृथक् नागा-भूमि के सम्बन्ध में सुना । यह आन्दोलन प्रगति कर रहा है । आसाम की सहानुभूति भी इसके साथ है । मेरा सुझाव है कि इसकी जांच की जानी चाहिये ।

सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम-जातियों तथा पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देती हैं । परन्तु यह छात्रवृत्तियां उन्हें ठीक समय पर नहीं मिल रही हैं उनके विषय में काफ़ी गोलमाल होता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि मंत्रालय को इस की जांच करनी चाहिये ।

श्री काजरोल्कर (बम्बई नगर–उत्तर–रक्षित-अनुसूचित जातियां) : अभी मेरे मित्र श्री राम दास जी ने आपके सामने पंजाब के हरिजनों की हालत बयान की है । और मेरे विचार में जो कुछ उन्होंने कहा है, वह सही है । मैं समझता हूं कि हरिजनों की हालत पंजाब में ऐसी नहीं है बल्कि हिन्दुस्तान में हर जगह उनकी ऐसी ही हालत है । जहां जहां हरिजनों को ज़मीन देने का प्रश्न आता है वहां उन को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । उन्हें सब से ज्यादा से ज्यादा जो कठिनाई होती है जमीन के बारे में ही होती है । सरकार जो उनको जमीन देती है सिर्फ उससे उनकी तकलीफें हल नहीं हो सकती । जब उनके पास ज़मीन आ जाती है तो ज़मींदार लोग उन पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं । जब वे लोग पुलिस के पास शिकायत ले कर जाते हैं तो वहां भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है क्योंकि पुलिस विभाग के कुछ लोगों के दिल में हरिजनों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है ।

तो मेरा कहना है कि सरकार जो कानून बनाती है उसका अमल पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा ही होगा । यदि हरिजन भाइयों की भरती इस विभाग में ज्यादा होगी तो हम लोगों को न्याय अधिक मिल सकता है ।

दूसरी बात यह है कि पंचवर्षीय योजना में शिड्यूल्ड कास्ट्स एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स और बैक वर्ड क्लासेज़ के लिये कुल ४ करोड़ रुपया रखा गया है । और यह पांच साल के लिये है । शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लिये १५ करोड़ रखा गया है । मुझे खुशी है कि उनके

लिये १५ करोड़ रुपया रखा गया । अगर उन को इससे भी ज्यादा मिले तो उससे भी मुझे खुशी होगी । लेकिन यह जो शिड्यूल्ड कास्ट और एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स और बैंक वर्ड क्लासेज के लिये ४ करोड़ रखा गया है वह बहुत ही कम है । तो मेरी प्रार्थना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारे लिये कुछ ज्यादा धन रखा जाना चाहिये ।

सरविसेज के बारे में मेरे मित्र थिमय्या ने बहुत सी बातें कही हैं । मैं देखता हूं कि क्लास १ और क्लास २ में तो अभी तक एक पर सेंट भी कोटा पूरा नहीं हुआ है । मेरे पास एक स्टेटमेन्ट है । उससे मालूम होता है कि क्लास १ सरविस में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये १६ सही दो बटे तीन प्रतिशत रिजर्वेशन है । लेकिन सन् १९५३ की जून तक कुल बीस जगहें भरी गईं और ९३८ का गेप रहा । क्लास २ में ५६५३ जगहों में से ५० जगहों पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स वाले लिये गये और ९९२ का गेप रहा । यह तो गजटेड पोस्ट्स थीं । क्लास २ नान गजटेड में ३१०३ में कुल ६३ लिये गये और ४५४ का गेप रहा, क्लास ३ में ५,४९,३०० में से २४,८१९ लिये गये और ६६,७३१ का गेप रहा । हां क्लास ४ में कुछ ठीक है । लेकिन इसका कारण यह है कि इस क्लास में बहुत सी जगहें स्वीपर्स की हैं और स्वीपर्स के लिये कोई रिजर्वेशन नहीं होता है क्योंकि इसके लिये कोई रिजर्वेशन नहीं मांगता है । इसी कारण से क्लास ४ में समाधान हुआ है ।

हमारे दातार साहब और श्रीकान्त साहब ने असिस्टेंटों की भरती के लिये एक स्कीम निकाली है जिसका मैं स्वागत करता हूं । उन्होंने १०० असिस्टेंटों को भरती करने के लिये दरख्वास्तें मांगी हैं । मैं ऐसा समझता हूं कि यह जो १०० असिस्टेंट नियुक्त करेंगे वह पांच साल तक नियुक्त होंगे । अगर १०० असिस्टेंट का कोटा बढ़ा कर ऐसा दस साल के लिये किया जाये तो मुझे बड़ी खुशी होगी ।

सरविस में जब हम लोगों को लिया जाता है तो कहा जाता है कि हमारे अन्दर पूरा मैरिट नहीं है । लेकिन आपको यह देखना चाहिये कि ऐसा क्यों है । आपको इसका कारण ढूंढ निकालना चाहिये । खाली यह कहना काफी नहीं है कि मैरिट नहीं है इसलिये नहीं रखा जाता है । लेकिन ऐसा क्यों होता है आपको इसका कारण ढूंढना चाहिये और उनको ट्रेनिंग देनी चाहिये । अगर उनको खास ट्रेनिंग दी जाये तो मुझे विश्वास है कि यह रिजर्वेशन का कोटा बहुत कुछ भर जायेगा ।

अब मैं हरिजनों के धन्धों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । हरिजनों का अधिकतर काटेज इंडस्ट्रीज का धंधा है । दूसरा उनका चमड़े का धन्धा है । लेकिन आज हालत यह है कि चमड़े का धन्धा बहुत कुछ कैपीटलिस्ट लोगों के हाथ में चला गया है । हम लोग बाटा और फ्लेक्स आदि से कम्पिटीशन नहीं कर सकते हैं । इसलिये जैसे सरकार खादी के लिये सबसिडी देती है उसी तरह उसे इन कुटीर उद्योगों को भी मदद देनी चाहिये । इन लोगों के पास पैसा नहीं होता है । इसलिये इनको कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा कुछ मदद दी जाये और उनको काम दिया जाये ।

एजुकेशन के बारे में हमारे होम मिनिस्टर, एजूकेशन मिनिस्टर और फाइनेन्स मिनिस्टर ने हमको बहुत मदद दी है उस के लिये मैं उन को धन्यवाद देता हूं । उन्हों ने शिड्यूल्ड कास्ट्स और डिड्यूल्ड ट्राइब्स तथा बैकवर्ड क्लासेज को स्कालरशिप्स दिये

[श्री काजरोलकर]

हैं । लेकिन अब इन स्कालरशिप पाने वालों में बैकवर्ड क्लासेज़ वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जो आपने हमारे लिये १,२९,४०,००० रुपया रखा है उसको बढ़ाना चाहिये ।

छूतछात निवारण कानून के सम्बन्ध में सिलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है । उस को जल्दी इस अधिवशन में हाउस के सामने आना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त मैं दो शब्द मिशनरी लोगों के बारे में कहना चाहता हूं । ब्रिटिश सरकार तो चली गई लेकिन ये मिशनरी अभी हमारे बीच में बहुत सा प्रचार करते रहते हैं । यह हम लोगों से कहते हैं कि उन का धर्म बहुत अच्छा है और इस तरह से ग़रीब और अनपढ़ लोगों को बहकाते हैं । मध्य प्रदेश में सतना में इन लोगों का बहुत ज़ोर है । मैं उनके धर्म को बुरा नहीं कहता हूं । धर्म तो सभी अच्छे हैं । हिन्दू धर्म भी ठीक है, क्रिश्चियन धर्म भी ठीक है, मुस्लिम धर्म भी ठीक है । लेकिन उनको यह नहीं कहना चाहिये कि तुम्हारा धर्म ख़राब है और हमारा अच्छा है ।

इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहता हूं । अभी मेरे पास एक पत्र यू० पी० से आया है । उसमें लिखा है कि बुलन्दशहर में एक कालिज में एक प्रीतिभोज हुआ था । उसमें सब विद्यार्थी शामिल हुए थे । लेकिन हरिजन विद्यार्थियों को अलग बिठाया गया । हम कहते हैं कि देहात के लोग अनपढ़ हैं इसलिये उनमें अस्पृश्यता है, उनको सिखाना चाहिये । जब कालिजों में जो शिक्षा के केन्द्र हैं छुआछूत का यह हाल है तो फिर देहात में क्या होगा ?

मैं अब सदन का और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं । मेरे पास यह जो रिप्रेज़ेंटेशन आये हैं और शिकायतें आई हैं, वह मैं आप के पास भेज दूंगा और मुझे आशा है कि आप इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ।

दूसरे, सरकार ने जो छुआछूत दूर करने के लिये प्रचार कार्य किया है, उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं लेकिन इसका असर तभी होगा जब पुलिस विभाग में हरिजनों और आदिम जातियो के प्रति हमदर्दी का भाव होगा, वरना आपके ये आदेश कुछ ज़्यादा कारगर नहीं होंगे ।

इस सिलसिले में मैं आपको बतलाऊं कि रत्नागिरी ज़िले में प्रचार और कीर्तन का प्रोग्राम था, उस प्रचारक ने जाकर पुलिस से कहा कि देखो वहां पर कीर्तन है और उस समारोह में काफ़ी हरिजन आने वाले हैं, इसलिये मेहरबानी करके इंतज़ाम के लिये पुलिस भेज दो । जब प्रचार और कीर्तन का प्रोग्राम शुरू हुआ तो सवर्ण लोग वहां पर जमा हो गये और कहने लगे कि अरे यह तो महार जातियों का कीर्तन हो रहा है और गड़बड़ करने लगे, तब फिर हमारे आदमी पुलिस के पास गये और कहा कि आप से वहां पर पुलिस तैनात करने के लिये कहा था लेकिन अभी तक आप ने वहां पर पुलिस का प्रबन्ध नहीं किया, तो जवाब दिया गया कि हमने पुलिस भेज दी है । नतीजा यह हुआ कि वह कार्यक्रम क़रीब दो घंटे बाद शुरू हो सका । मेरी प्रार्थना है कि भले ही आपके दिल में हमारे प्रति कितनी ही हमदर्दी और सहानुभूति क्यों न हो, और कितने ही कानून आप उनके लिये क्यों न बना डालें, जब तक पुलिस की सहानुभूति नहीं मिलेगी तब तक कुछ लाभ नहीं हो सकता है । बस इतना ही बोल कर के मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आपने जो मुझे आज बोलने का अवसर

दिया, उस के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार (जालंधर) : मैं इस अवसर पर होम मिनिस्ट्री के काम की तारीफ़ करना चाहता हूं कि उसने देश में शान्ति और सुरक्षा को क़ायम रखा है और जिस सुन्दरता से देश के अन्दर सुरक्षा और शान्ति की रक्षा की जा रही है, उस में मैं समझता हूं कि हम सब का फ़र्ज़ है कि होम मिनिस्टर को पूरी तरह से सहायता दें । लेकिन इसके साथ साथ मैं होम मिनिस्टर का ध्यान उन सरकारी कर्मचारियों की तरफ़ दिलाना चाहता हूं जोकि गवर्नमेंट के स्तम्भ हैं और जो गवर्नमेन्ट को चला रहे हैं, कारण यह कि उनकी रक्षा का जोकि तमाम देश की रक्षा करते हैं और जो देश के सारे संगठन को चलाते हैं, भार और उनके मुफ़ाद और उनके इंटरेस्ट्स को देखने का भार हमारी होम मिनिस्ट्री पर है और मुझे इस विषय में मिनिस्ट्री का काफ़ी ज़ोर से ध्यान दिलाना है क्योंकि होम मिनिस्ट्री की तरफ़ से मुख्तलिफ़ सर्विसेज़ के लिये जो रूल्स बने हुए हैं और उन नियमों में जो परिवर्तन अभी हाल में किये गये हैं और किये जा रहे हैं, उनमें भी स्थिति कुछ पहले की सी रही है । कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में हमारे उपमंत्री महोदय के कुछ विचार निकले थे, सुझाव निकले थे, मैं मानता हूं कि उन्हें इस बात की शिकायत होगी कि जो लोग गवर्नमेंट के मुलाज़िम हैं, उनकी शिकायतें ठीक तरीक़े से नहीं आती हैं, बल्कि मेम्बरों के ज़रिये से आती हैं । मैं यह नहीं चाहता कि किसी तरह से नियंत्रण के अन्दर कोई कमी आये, या हम लोग बाहर से कोई ऐसा काम करें जिससे कि गवर्नमेंट के नियंत्रण में कमी आये लेकिन जैसाकि अभी मुझ से पहले श्री सिंहासन सिंह ने कहा कि अगर गवर्नमेंट के मलाज़िमों की शिकायतें रफ़ा नहीं होंगी और उनके दिल के अन्दर एक असन्तोष रहेगा, हमेशा एक तूफ़ान सा उठता रहेगा तो वह अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे और उनकी शिकायतों को रफ़ा करने का कोई न कोई ज़रिया अवश्य होना चाहिये । आज अगर हम उन की यूनियनों को बन्द कर दें और मेम्बरों को इस बात का मौक़ा न दें कि वह उनकी शिकायतें सरकार तक पहुंचायें, तो मैं समझता हूं कि उनके तमाम रास्ते बन्द हो जायेंगे और मुझे इस बात की शिकायत है कि ऊंचे अधिकारी इस बात की पर्वाह नहीं करते कि पूरी तरह से उन की शिकायतें सुनें । अपने देश में आज हम एक सोशलिस्टिक निज़ाम बनाने जा रहे हैं । जिस समय बजट पर बहस होती है तो हमारी सरकारी मुलाज़िम इस बात की चिन्ता में रहते हैं कि देखें कि अब इस बजट के मौक़े पर हमारे लिये क्या सुधार होता है और हमें क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता है । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कुछ यूनियनों के साथ मेरा सम्बन्ध होने के कारण मेरा उन सरकारी कर्मचारियों से वास्ता पड़ता है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज सरकारी कर्मचारियों के हृदयों में एक ज्वाला सी उठ रही है जिसको कि हमें शान्त करना है और उस को बुझाना है । आप उनकी सर्विस कंडिशन्स का मामला अपने हाथ में लें और उनको सुधारने के हेतु आवश्यक क़दम उठायें । जहां तक सरकारी कर्मचारियों के कनफ़रमेशन का सम्बन्ध है, यह विषय कर्मचारियों के लिये काफ़ी असन्तोष और चिन्ता का कारण बना हुआ है, कारण ऐसे सरकारी नौकर जिनको दस-दस और बारह-बारह साल काम करते हो गये हैं, अभी तक परमानेंट नहीं किये गये हैं और उन का भविष्य अभी भी अनिश्चित बना हुआ है और अभी तक उनको मालूम नहीं

(श्री ए० एन० विश्वालंकार)

कि कब उनको नौकरी से जवाब मिल जाये। जब तक उनको उनकी नौकरी में स्थायी न किया जाय तब तक उनके सिर पर तलवार लटकी हुई है कि न जाने कल क्या हो। मैं तो कहूंगा कि इन्सानी दृष्टि से देखें चाहे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी दृष्टि से देखें, एक आदमी जो काफ़ी समय से एक जगह पर ठीक तरह काम कर रहा है उसको उस स्थान से हटा कर अन्य स्थान पर भेजना वह उसी तरह से बुरा है जिस तरीक़े से कि किसी किसान की ज़मीन छीन लेना या किसी शख़्स का कारोबार छीन लेना। आज हम किसानों के लिये नियम बनाते हैं और उनके लिये प्रधान मंत्री ने कहा कि किसानों को उनके स्थान से अथवा भूमि से निकाला न जाय, बिलकुल ठीक बात है, उसी तरह से हमें सरकारी कर्मचारियों के विषय में भी सोचना चाहिये कि कितने कर्मचारी कनफ़र्म किये जा सकते हैं और अगर कहीं पर हमको रिट्रेंच करना पड़ता है तो हमें देखना चाहिये कि उस सरप्लस स्टाफ़ को हम कहां पर खपा सकते हैं। आज ही मुझे एक जगह के एम० ई० एस० के मुलाज़िमों की चिट्ठी मिली है जिसमें कहा गया है कि एक दम से ४०० मुलाज़िमों को बिना सीन्योरिटी और जूनियारिटी का ख़याल किये हुए नौकरी से जवाब मिल गया है। अब सीन्योरिटी और जूनियारिटी का ख़याल तो इंडस्ट्रियल कारख़ानों में भी रखा जाता है, सरकार ने कुछ ऐसे वहां के लिये नियम बना दिये हैं जिनके अनुसार सर्विस में जो सब से जूनियर होता है उसको पहले निकाला जाता है और उसी तरह से जो सब से सीनियर होता है उसको सब से बाद में निकाला जाता है, लेकिन यहां एम० ई० एस० के चार सौ आदमी बिना इस बात का ख़याल किये हुए कि कौन जूनियर है और कौन सीनियर है सब निकाल दिये गये। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ नियम बनें और उन नियमों का सरकार पालन करे। मैं यहां पर एक चीज़ साफ़ कर दूं कि जो आदमी काम न करे। मेरी उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं है और मैं समझता हूं कि हाउस में कोई ऐसा शख़्स नहीं होगा जिसकी ऐसे शख़्स के साथ हमदर्दी होगी। आज हमें अपने देश को ऊपर उठाना है, हमें बड़े ज़ोर से काम करना है और हमें अपने मुलाज़िमों के दिलों में यह भावना पैदा करनी है कि उनको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिये और अपनी ड्यूटी को सही तौर पर अंजाम देना, देश की सेवा करना है। अपने अफ़सरान और मिनिस्टरों के दिलों में यह भावना पैदा करनी होगी कि उनकी रक्षा का भार, उनकी मुलाज़मत की जो कंडिशन्स हैं उनको ठीक करने और उनके खाने पीने का बोझ हमारे ऊपर है और हमें उसे पूरी तरह से निभाना है। अगर हम उस बोझ को न उठायें, जो बोझ कि हमने अपने कन्धों के ऊपर डाल रखा है तो मुझे भय है कि इसका अच्छा असर नहीं पड़ने वाला है। तीसरी और चौथी क्लास के मुलाज़िम जो थोड़ी थोड़ी तनख़्वाह पाते हैं उन पर अगर इस तरह की चिन्ता की तलवार लटकी रहेगी तो वह अपना काम भी ठीक तरह से नहीं कर पायेंगे क्योंकि हर समय उन को भय बना रहेगा कि न मालूम कब उनको नौकरी से जवाब हो जाय, इसलिये सरकार को इस ओर आवश्यक क़दम उठाने चाहियें, और ऐसे कर्मचारियों को, जो काफ़ी समय से और ठीक तरह अपना काम कर रहे हों, स्थायी किया जाय और आप देखेंगे कि वे और अधिक उत्साह के साथ अपना काम करेंगे।

इसी तरह प्रमोशन्स के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि मुझ से पहले जैसे एक

सज्जन ने बतलाया कि प्रमोशन्स होते हैं, ग्रेडेशन्स होते हैं और बहुत से लोग महसूस करते हैं कि उसमें उनके साथ अन्याय हुआ है, उसके सम्बन्ध में अधिकारियों के पास चिट्ठियां भेजी जाती हैं लेकिन वे फेंक दी जाती हैं और कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और तब वे बेचारे मेम्बरों की शरण लेते हैं और अपनी यूनियन के पास शिकायतें लेकर जाते हैं और यूनियनें उनकी शिकायतों को आगे ले जाती है। उस पर कहा जाता है कि यह तो व्यक्ति का सवाल उठाया जाता है लेकिन मैं कहूंगा कि यह एक व्यक्ति का सवाल नहीं होता है बल्कि उसूलों का सवाल हो जाता है कि प्रमोशन के लिये क्या रूल हो, और रिट्रेंचमेंट के लिये क्या रूल हो। सब से पहले जूनियर को नोटिस देना चाहिये और सर्विस के लिहाज़ से लोगों को नौकरी से जवाब देना चाहिये। अब इसी तरह ट्रांसफर का सवाल है। अब अगर रूल के मुताबिक़ किसी शख़्स का तबादला नहीं होना चाहिये था और उसका तबादला होता है और उसने उस रूल के नाम पर अपील की लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया चाहे वह किसी कारण से हो, तो हमारे सामने फिर वह चीज़ आती है और हमें सरकार का ध्यान उस ओर खींचना होता है। इस-लिये नहीं कि उस शख़्स के साथ हम कुछ रिआयत करना चाहते हैं बल्कि इसलिये कि अन्याय हो रहा है, उस अन्याय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं। जब सरकार और उसके उच्च अधिकारी उस अन्याय को दूर नहीं करते हैं तो उस अन्याय को दूर करने के लिये कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी मशीनों की तरह काम करें तो हमें उनकी सर्विस कंडिशन्स इस तरह से रखनी चाहियें जिस से वे सन्तुष्ट हों और वह उत्साह से और मन लगा कर अपना काम कर सकें। इसके लिये आवश्यक है कि उन की भावना को जगाया जाय। मशीन की तरह तभी वह काम कर सकते हैं जब उन के मन में काम करने का उत्साह हो लेकिन उनको दबा कर वह उनसे काम कराना चाहें तो वह मशीन की तरह तेज़ी से काम नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से प्रमोशन्स और ट्रांसफ़र्स का सवाल है। यूनियनों के बारे में भी मुझे यह कहना है कि जहां आपने इस के लिये इजाज़त दी है वहां यूनियनें बनी हैं। मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि अधिकारियों द्वारा किसी न किसी बहाने से उन लोगों को, जो यूनियनों में काम करते हैं, विक्टि-माइज़ किया जाता है और जब यूनियनों द्वारा उनका केस रखा जाता है तो फिर वही सवाल होता है कि आप तो इंडिविजुएल्स का सवाल उठाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में वह एक व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं होता है बल्कि एक सिद्धान्त का प्रश्न होता है। इसी तरह से पे स्केल्स की बात है। पेस्केल्स के सम्बन्ध में आज जो एनोमलीज़ विद्यमान हैं, सरकार को उनके बारे में विचार करना चाहिये और उनको हल करने के लिये चाहे आप कोई कमीशन बैठाइये या कोई एक डिपार्टमेंटल कमेटी बिठाइये जो एनोमलीज़ हैं उनको दूर करने के लिये आपको कोई न कोई इलाज करना चाहिये।

इसी तरह से हमारे यहां जो हाथ का काम करने वाले हैं और जो क़लम से काम करने वाले हैं उन दोनों में अभी तक बड़ा भेद है। हमारे यहां दफ्तरों में यह बात चलती है, हमारे दफ्तरों में इस तरह का भेद भाव है कि आज हमको उसको अपने देश में बरदाश्त नहीं करना चाहिये। यहां के दफ्तरों में आप चले जाइये। जगह जगह नोटिस लगे हुए हैं, यहां तक कि पाख़ानों तक पर लिखा हुआ है कि यह अफ़सरों का

[श्री ए० एन० विश्वालंकार]

पाखाना है और यह दूसरे मुलाज़िमों का पाखाना है । अफसरों और मुलाज़िमों के कन्वेयन्स ऐलाउंस तक में फर्क है । इस तरह की चीज़ों को हमें कभी बरदाश्त नहीं करना चाहिये । मैं इन चीजों के डिटेल में ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन इन चीजों के बारे में आप विचार करें, आप इसको ऊपर से ही न देखें बल्कि गहराई के अन्दर जायें और उनको देख कर आप मुलाज़िमों को सन्तुष्ट करने की कोशिश करें यह एक बड़ी आवश्यक चीज़ है ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जो आपके रिफ्यूजी मुलाज़िम पाकिस्तान से आये हैं उनके सम्बन्ध में आप विचार कीजिये । कुछ लोग ऐसे थे जोकि वहां रिटायर होने वाले थे, आज वह यहां पर आ गये हैं । अगर वह वहां पर होते तो उनको पेन्शन वगैरह मिल जाती, लेकिन यहां पर उनको उनका पुराना स्थान नहीं मिला । अभी उन लोगों के बारे में हम फ़ैसला नहीं कर सके हैं । जो लोग पाकिस्तान में थे और अब यहां आ गये हैं, उनके बारे में हम को जल्दी से जल्दी फ़ैसला करना चाहिये ।

इसी तरह से जो लोग वहां से आ कर यहां काम में लगे हैं वह अब तक कन्फ़र्म नहीं किये गये हैं । वह लोग उन जगहों पर रखे गये हैं जहां पहले मुसलमान काम करते थे, लेकिन उन जगहों पर उनको अब तक कन्फ़र्म नहीं किया गया है । उनको जल्दी से जल्दी कन्फ़र्म करना चाहिये । यह चीज़ बहुत अहम है जिस की तरफ मैं इस मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

एक और चीज़ जो मुझे कहनी है, वह ट्रेनिंग के सम्बन्ध में है । आ अफसरों और मुलाज़िमों को जो ट्रेनिंग देते हैं । मैं चाहता हूं कि वह ट्रेनिंग आप ज़रूर द , लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हमारे अफसरों को यह ट्रेनिंग दी जा रही है या नहीं कि उन का पुराना रवैया बदले । भारत के आज़ाद होने के बाद जो पुराने अफसर लोग हैं, उन में नई स्पिरिट आये, नया आउट-लुक आये, यह बात उनके सामने रखी जाती है या नहीं ? मैं जानता हूं कि आज अफ़सरों का वही तरीक़ा है जिसको ब्यूरोक्रेटिक ऐरोगैन्स कहते हैं, उन में ऐसा ब्यूरोक्रैटिक तरीक़ा है कि उनके मुलाज़िमान उन के सामने जाने से डरते हैं, दफ्तर के बाबू लोग उनके सामने जाने से घबराते हैं । उनका यह रवैया अब बदलना चाहिये । यह बड़ी आवश्यक चीज़ है । अगर हम उनका आउट-लुक नहीं बदलेंगे तो हमारा काम नहीं चल सकता है क्योंकि वह एक स्टैन्डर्ड हमारे सामने रखते हैं । अंगरेज़ों के ज़माने में उन के रहन सहन का स्टैन्डर्ड दूसरा था । उस वक्त शराब पीने और क्लबों में जाने का स्टैन्डर्ड लोगों के सामने रखा गया था । डिफेन्स अफसरों का रहन सहन तो बिल्कुल ही दूसरा था । अंगरेज़ों के ज़माने में यह था कि वह हमारे मालिक थे और हम उन के मुलाज़िम और मातहत लोग थे । उस ज़माने में एक अद्भुत टेंडेंसी अफ़सरों में भरी हुई है । हर एक आदमी अपने को अफ़सर कहलाना चाहता है । वह अंग्रेज़ों की ही तरह खाना चाहता है और रहना चाहता है और जब उसके पास पैसा नहीं रहता है तो वह और दूसरी तरकीबों से रुपया पैदा करने की कोशिश करता है । अभी वह अंगरेज़ों का स्टैन्डर्ड भूले नहीं हैं । हमें अपने अफ़सरों को ट्रेनिंग सेन्टर्स में यह चीज़ सिखानी है । आज उनको यह बतलाने की ज़रूरत है कि लोग क्या चाहते हैं, हमारी सरकार क्या चाहती है और उसके अनुसार उस को बदलना है । हम चाहते हैं कि इस की तरफ़ ज्यादा ध्यान

दिया जाय क्योंकि आज हम सारे देश के सामने स्टैन्डर्ड रखते हैं । सरकारी अफ़सर जानते हैं कि सिक्योरिटी आफ़ सर्विस उन के लिये है, उनको काफ़ी पैसा मिलता है । हमें यह अन्तर भी लाना है कि ऊंचे अफ़सर और डिपार्टमेंट के नीचे के आदमियों में भेद कम हो । हम इसकी कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे यह हाता जायेगा, यह मैं जानता हूं, लेकिन साथ ही साथ हमें नई भावना उनके अन्दर लानी है, उन के दृष्टिकोण को हमें बदलना है । अगर हम इस आवश्यक चीज़ को नहीं करेंगे तो हमारी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जायेंगी । इसकी तरफ़ मैं खास तौर से सरकार की तवज्जह दिलाना चाहता हूं ।

अब मैं एक और चीज़ कह कर खत्म करूंगा । वह चीज़ यह है कि आज होम-मिनिस्ट्री की तरफ़ से आर्डर आफ़ प्रिसिडेन्ट निश्चित किया जाता है । हो सकता है कि सेन्टर में यह चीज ठीक हो, लेकिन प्रदेशों में जा कर देखिये कि इस आर्डर आफ़ प्रिसिडेन्स की क्या हालत है । जब कोई जल्सा या तक़रीब होती है तो वहां पर आर्डर आफ प्रिसिडेंस पर पूरी तरह से अमल नहीं होता है । मैं ने कई दफा देखा है प्रदेशों में मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट को पीछे बिठलाया जाता है । आम तौर से अफसरों को सब से आगे बिठलाया जाता है । उस के बाद प्राविन्शियल मेम्बर्स को बिठलाया जाता है । कई जगह तो मेम्बर्स आफ़ पार्लियामेन्ट को सब से पीछे फेंक दिया जाता है मैं समझता हूं कि क्लिअर इन्स्ट्रक्शंस होने चाहियें ।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : पार्लियामेंट के मेम्बर के लिये कोई डिगनिटी नहीं है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : मैं समझता हूं कि आर्डर आफ़ प्रिसिडेन्स में यह चीज क्लिअरली डिफ़ाइन होनी चाहिये कि पार्लियामेन्ट के मेम्बर्स की वहां पर स्थिति क्या है और उनकी पोज़ीशन ऐसी तक़रीबों और उत्सवों में क्या होनी चाहिये । मैं समझता हूं कि यह बहुत ही आवश्यक है ।

एक और चीज़ कह कर मैं खत्म कर दूंगा । मैं आदमियों के नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं समझता हूं कि जो एप्वाएंट-मेन्टस होते हैं बड़े पदों पर भी जैसे हाई कोर्ट्स वगैरह में या दूसरे ऐसे स्थानों में कोई आदमी रखे जाते हैं, वहां पर बहुत सोच समझ कर आदमियों को रखा जाना चाहिये । मैं यहां पर हाउस में तो कोई बात नहीं कहना चाहता लेकिन प्राइवेट तौर पर मैं मिनिस्टर साहब को बतला सकता हूं कि मेरी नोटिस में कुछ मामले आये हैं, वह चाहें तो उसकी एन्क्वायरी कर लें, लेकिन मैं अपनी वाक़फ़ियत से कह सकता हूं कि ऐसे आदमी कभी कभी एप्वाइंट किये जाते हैं जिनके रेकार्ड पहले से खराब हैं, उनके लिये यह दर्ज है कि उन का रेकार्ड खराब है । ऐसी अवस्था में हमें देखना चाहिये कि हम उचित आदमियों को ही नियुक्त करें । इस प्रकार से ज़िम्मेदार अफ़सरों को नियुक्त करते वक्त हमें देखना चाहिये कि हमें देश के सामने अच्छेस्टैन्डर्ड्स रखने हैं । हमें ऐसे आदमी नहीं रखने चाहिये जिनके ऊपर कोई एक आवाज़ भी निकाल सके, हम ऐसे आदमी रखें जिन पर किसी को ज़रा भी शक न हो सके, वह बिल्कुल 'एबव सस्पिशन' हों । अगर हम अच्छे चरित्रवान आदमियों को ऊंची जगहों पर एप्वाइंट करेंगे तो हम अपने मुल्क और अपनी गवर्नमेन्ट को ऊंचे स्टैन्डर्ड पर आगे ले जा सकेंगे ।

इस के पश्चात लोक-सभा गुरुवार, ७ अप्रैल, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

———

GIPD—HS—55 LSD—6-1-56—240